4

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-21)

चौथा प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चौथा प्रतिवेदन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(2020-2021)

(सत्रहवीं लोक सभा)

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

29.01.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
29.01.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

जनवरी, 2021/ माघ , 1942 (शक)

विषय सूची

(एक) समिति (2020-21) की संरचना		vii
(दो) समिति (2019-20) की संरचना		viii
(तीन) प्राक्कथन		ix

प्रतिवेदन

भाग-एक

अध्याय-एक	**प्रस्तावना**	1
(i)	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल-ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में)	1
(ii)	एच ए एल की यात्रा	1
(i)	कंपनी की वर्तमान स्थिति	4
अध्याय-दो	**कंपनी का परिचय**	6
(i)	निदेशक मण्डल	6
(ii)	संगठन चार्ट	6
(iii)	मानव संसाधन	7
अध्याय-तीन	**कंपनी का कार्य-निष्पादन**	9
	(क) वास्तविक कार्य-निष्पादन	9
(i)	कंपनी द्वारा निर्मित उत्पाद	9
(ii)	विशिष्ट उत्पाद	9
(iii)	विभिन्न क्षेत्रों के उत्पाद	10
(iv)	राष्ट्रीय हित के उत्पादों का विनिर्माण	11
(v)	उत्पादन सुविधाएं	11
(vi)	उत्पादन क्षमता	11
(vii)	पिछले पाँच वर्षों के दौरान उत्पादन क्षमता का उपयोग	13
(viii)	संयंत्र और मशीनरी की स्थिति	15
(ix)	संयंत्र/मशीनरी का आधुनिकीकरण/उन्नयन	16
	(ख) वित्तीय कार्य-निष्पादन	16
(i)	कंपनी को हुआ लाभ/हानि	16
(ii)	महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात	17
अध्याय-चार	**एच ए एल की अनुषंगी कंपनियां**	21

(i) महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फारमास्युटिकल्स लिमिटेड 21
(ii) मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फारमास्युटिकल्स लिमिटेड 24
अध्याय-पांच भारतीय भेषज क्षेत्र 27
(i) भारतीय भेषज उद्योग की वर्तमान स्थिति 27
(ii) भेषज उद्योग:एक रणनीतिक क्षेत्र 27
(iii) भारतीय भेषज उद्योग में सीपीएसयू 38
(iv) फार्मा क्षेत्र के सीपीएसयू के संबंध में कैबिनेट का निर्णय 40
अध्याय-छह देश में उत्पादन की आवश्यकता 42
(i) भेषज उद्योग:स्वस्थ राष्ट्र हेतु एक मूलभूत आधार 42
(ii) आयात पर अत्यधिक निर्भरता से बचना 42
(iii) विदेशी मुद्रा का संरक्षण 45
(क) भेषज उद्योग का आकार 45
(ख) भेषज उद्योग में एफ डी आई 46
अध्याय-सात कोविड -19 महामारी : इसके प्रभाव और अन्य अप्रत्याशित घटनाएं 47
अध्याय-आठ सरकार द्वारा किए गए उपाय 49
(i) रणनीतिक बिक्री : इस पर पुनर्विचार करना 49
(ii) बल्क ड्रग पार्क स्कीम को बढ़ावा देना 50
(iii) उत्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन योजना 51
(iv) बाजार हिस्सा और विपणन रणनीतियां 53
(v) फार्मा क्षेत्र के तीन सीपीएसयू का एक में विलय करना 54
(vi) अधिशेष भूमि का मुद्रीकरण 55
(vii) ए पी आई और अन्य कच्चे माल का विनिर्माण 58
अध्याय-नौ एच ए एल की मुख्य क्षमता 59
(i) विशाल भूमि परिसंपत्ति 59
(ii) स्थापित उत्पादन सुविधाए 59
(iii) अनुसंधान और विकास केंद्र 60
(iv) पेटेंट/आविष्कार 61
(v) स्थापित ब्रांड और साख 62
अध्याय-दस एच ए एल के त्वरित पुनरुद्धार हेतु उठाए गए कदम 64
(i) संयंत्र/मशीनरी का आधुनिकीकरण/उन्नयन 64
(ii) लागत कटौती उपायों को अपनाना 65
(iii) कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग करना 67

(iv) प्रभावी विपणन रणनीति तैयार करना 67
(i) मिश्रधातु निगम के साथ समझौता ज्ञापन 67
(ii) बिक्री और विपणन 67
(iii) ग्राहक 68
(iv) पी एम जे ए पी के माध्यम से बिक्री 69
<u>अध्याय-ग्यारह</u> लंबित सी एंड एजी पैराओं की स्थिति 72

भाग -दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें 73-83

परिशिष्ट

एक. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 02.12.2019 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश.....84

दो. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 17.**08.**2020 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश.....87

तीन. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 18.08.2020 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश.....90

चार. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 07.01.2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश.....93

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-21) की संरचना

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
3. श्री सी.पी. जोशी
4. श्रीमती कनिमोझी
5. श्री रघु रामकृष्ण राजू कानुमुरू
6. श्रीमती पूनमबेन माडम
7. श्री अर्जुन लाल मीणा
8. श्री जनार्दन मिश्र
9. श्री राम मोहन किंजरापु
10. प्रो. सौगत राय
11. डॉ अरविन्द कुमार शर्मा
12. श्री रवनीत सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री उदय प्रताप सिंह
15. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

16. श्री प्रसन्न आचार्य
17. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
18. श्री अनिल देसाई
19. श्री जोगिनीपल्ली संतोष कुमार
20. श्री ओम प्रकाश माथुर
21. श्री सुरेद्र सिंह नागर
22. श्री एम.शनमुगम

सचिवालय

श्री आर.सी.तिवारी	-	संयुक्त सचिव
श्री निवासुलु गुंडा	-	निदेशक
श्री जी.सी. प्रसाद	-	अपर निदेशक
श्री सत्यकाम यादव	-	सहायक कार्यकारी अधिकारी

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-20) की संरचना

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. कुंवर दानिश अली
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्रीमती करूणानिधि कनिमोझी
6. श्री रघु रामकृष्ण राजू कानुमुरू
7. श्रीमती पूनमबेन माडम
8. श्री अर्जुन लाल मीणा
9. श्री जनार्दन मिश्र
10. प्रो. सौगत राय
11. डॉ अरविन्द कुमार शर्मा
12. श्री रवनीत सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री उदय प्रताप सिंह
15. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

16. श्री प्रसन्न आचार्य
17. श्री अनिल जैन
18. मोहम्मद अली खान
19. श्री ओम प्रकाश माथुर
20. श्री महेश पोद्दार
21. श्री ए.के. सेल्वाराज
22. श्री सुरेद्र सिंह नागर

प्राक्कथन

मैं, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-21) की सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर समिति का हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड संबंधी यह चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।

2. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-20) ने व्यापक जांच हेतु उपर्युक्त विषय को चुना था । चूँकि, विषय की जांच सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-20) की कार्यावधि के दौरान पूरी नहीं हो पायी, अतः, वर्तमान समिति (2020-21) ने कार्य को पूरा करने के लिए इस विषय पर आगे कार्य करने का निर्णय लिया।

3. समिति (2019-20) ने प्रारंभ में 02 दिसंबर, 2019 को इस विषय पर हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी ली । तत्पश्चात्, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-20) ने 17 अगस्त, 2020 को हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया और 18 अगस्त, 2020 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) के प्रतिनिधियों का भी मौखिक साक्ष्य लिया ।

4. समिति (2020-21) ने 7 जनवरी 2021 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

5. समिति रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों का समिति के समक्ष साक्ष्य देने और विषय की जांच के संबंध में समिति को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए धन्यवाद करती है ।

6. समिति, पूर्व समिति का विषय की जांच करने के संबंध में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद करती है ।

7. संदर्भ और सुविधा हेतु समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं ।

नई दिल्ली;
7 जनवरी, 2021
17 पौष, 1942 (शक)

मीनाक्षी लेखी
सभापति,
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्याय 1

प्राक्कथन

क. हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का संक्षिप्त इतिहास

1.1 हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) 1954 में एंटिबायोटिक दवाओं के विनिर्माण के लिए सरकार द्वारा स्थापित पहली दवा कंपनी होने का गौरव प्राप्त है। एचएएल ने बल्क ड्रग पेनिसिलिन एंटिबायोटिक के साथ विनिर्माण शुरू किया और बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एम्पीसिलीन, एमोक्सिससिलिन और 6एपीए जैसी विभिन्न एंटिबायोटिक दवाओं का भी विनिर्माण किया। एचएएल एकमात्र भारतीय कंपनी है, जिसे पौधों के विभिन्न फफूंद और जीवाणु रोगों को नियंत्रित करने के लिए कृषि में उपयोग के लिए ऑरियोफंगीन और मनुष्यों के लिए हमायसिन और नामक दो एंटिबायोटिक दवाओं का आविष्कार करने का गौरव प्राप्त है। बल्क ड्रग विनिर्माण के अलावा, एचएएल ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल्स, टैबलेट, कैप्सूल्स और लिक्विड फॉर्मुलेशन्स के विनिर्माण के लिए सुसज्जित फॉर्मुलेशन संयंत्र भी है।

1.2 कंपनी का पुणे के पिंपरी में 263 एकड़ फ्रीहोल्ड जमीन पर अपना प्लांट है, और वर्तमान में 464 कर्मचारियों की श्रमशक्ति है। कंपनी के पास किण्वन आधारित विनिर्माण सुविधाएं हैं, जो पहले पेनिसिलिन-जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट आदि जैसे किण्वन आधारित थोक के निर्माण के लिए उपयोग की जाती थीं। यह वर्तमान में कार्य नहीं कर रही है। वर्तमान में, कंपनी फार्मा और एग्रो मार्केट की विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए फार्मा फॉर्मुलेशन और एग्रो-फॉर्मुलेशन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। फार्मा उत्पादों में विभिन्न खुराक के उत्पाद शामिल हैं जैसे इंजेकटेबल्स, टैबलेट, कैप्सूल, इन्ट्रावीनस उत्पाद, सिरप आदि। एचएएल के अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को बाजार की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न नए उत्पादों को तैयार करने की क्षमता है। एचएएल ने नए एंटीबायोटिक्स, एंटीडायबेटिक्स और एंटीहाइपरटेंसिव उत्पादों के उत्पाद-मिश्रण के विस्तार के द्वारा निरंतर विकास की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। आदेश प्राप्ति और आपूर्ति के माध्यम से वर्ष 2018 -2019 में 67 करोड़ रुपए की आय के साथ गत वर्ष की तुलना में 100 % की वृद्धि हुई। एचएएल की दो सहायक कंपनियां भी हैं, अर्थात् (i) मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एम एस डी पी एल) इम्फाल में, जो 1998 से बंद है और (ii) महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एम ए पी एल) नागपुर जो 2003 से बंद है।

ख. एचएएल की यात्रा

1.3 एचएएल ने लाभ से हानि तक की यात्रा निमन्वत प्रस्तुत किया : -

"हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) पिंपरी, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के विनिर्माण के लिए सरकार द्वारा भारत में 1954 में स्थापित पहली दवा कंपनी है। । इसके बाद, एचएएल ने अन्य एंटीबायोटिक्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, 6APA, एम्पीसिलीन आदि का विनिर्माण शुरू किया।

एचएएल 1972-73 तक एक लाभदायक कंपनी के रूप में चल रही थी। 1954 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार, एचएएल को 1973-74 में 1.48 करोड़ रुपये की हानि हुई । यह तेल संकट के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के कारण था, जिसके कारण पेनिसिलिन और अन्य थोक दवाओं के उत्पादन की लागत में समग्र वृद्धि हुई। पेनिसिलिन के लिए दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (डी पी सी ओ) मूल्य, जो कि 1970 में 400 / बी ओ यू निर्धारित किया गया था, 1976 तक अपरिवर्तित रहा, जब इसे लगभग 8% बढ़ाया गया। इसके बाद, 1981 तक लगभग 5 वर्ष के लिए कीमत स्थिर रही।

डी पी सी ओ की कीमतों में संशोधन न होने के कारण, 1973-74 से एच ए एल को घाटा हुआ। 1973-74 से 1981-82 तक की नकदी हानि से उबरने के लिए, गैर-योजना ऋण सरकार से अलग-अलग ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिया गया था। भारत की । ब्याज देयता ने कंपनी पर और बोझ डाल दिया क्योंकि डी पी सी ओ द्वारा तय किए गए उत्पादों की कीमतें लगभग स्थिर रहीं।

इस समस्या को दूर करने के लिए, कंपनी ने में इस गैर-योजना ऋण को बट्टे खाते में डालने के लिए, एक प्रस्ताव सरकार को 1982 में दिया था। क्योंकि यह सरकार की नीति थी की सरकार के अस्पतालों और आम जनता के लिए इस आवश्यक जीवन रक्षक दवा की कीमत में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। । परंतु पूरे ऋण और ब्याज को एक गैर योजना ऋण में परिवर्तित कर दिया गया था।

1982 में संशोधित पेन जी फर्स्ट क्रिस्टल और स्ट्रेप्टोमाइसिन की डीपीसीओ कीमत लगभग 5 वर्षों तक स्थिर रही और अगला संशोधन केवल 1987 में किया गया। इस के कारण कंपनी 1987-88 तक लगातार घाटा उठाती रही। 1982-87 की अवधि के दौरान हानि के कारण कंपनी ने फिर सरकार से संपर्क किया था की 1973-74 से 1981-82 की अवधि के दौरान दिए गए गैर योजना ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया जाए , जिसे बाद में एक नए ऋण में परिवर्तित किया गया। भले ही इसने कार्यशील पूंजी की मांग को पूरा करने में मदद की, लेकिन इससे कंपनी पर ब्याज का बोझ बढ़ गया, जिससे कंपनी की लाभप्रदता प्रभावित हुई। कंपनी ने 1988-89 से 1992-93 तक लाभ कमाया।

(i) ऋणों को इक्विटी में बदलना
सरकार भारत ने पत्र क्रमांक 12 (3) / 90-पी आइ (V) दिनांक 18.3.1994 से एक और पूंजी पुनर्गठन 1.4.1992 से प्रभावी किया जिसके तहत कंपनी में बकाया ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया गया था ।

उपरोक्त आदेशों को लागू करने के लिए, कंपनी अधिनियम में निर्दिष्ट कुछ वैधानिक आवश्यकता जैसे कि ऋण को इक्विटी शेयर कैपिटल में परिवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 81 (4) के तहत आदेश जारी करने और रूपांतरण के नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करने संबंधी सरकारी आदेश, कंपनी अधिनियम की धारा 81 (6)के तहत संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिनों की अवधि के लिए उक्त आदेश को प्रस्तुत करना आदि का अनुपालन करने की आवश्यकता थी। जब यह कार्यवाही चल रही थी, तो 1993-94

से 1996-97 के दौरान भारी नुकसान के कारण कंपनी रुग्ण पड़ गई थी और कंपनी को 31.3.1997 को रुग्ण घोषित कर दिया गया था। इस लिए 1994 के उपरोक्त पुनर्गठन आदेश को लागू नहीं किया जा सका और इसे बी आइ एफ आर द्वारा विचाराधीन पुनर्वास पैकेज का अभिन्न अंग बनाया गया था।

पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के विनिर्माण के लिए प्रमुख इनपुट यूटिलिटीज (लगभग 40%) है। यूटिलिटीज की लागत में वृद्धि और आवधिक ऋण पर उच्च ब्याज बोझ से कंपनी की लाभप्रदता प्रभावित हुई क्योंकि सरकार ने आवधिक ऋण के रूप में कंपनी को वित्तीय सहायता दी थी । नब्बे के दशक में कंपनी ने पेनिसिलिन की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाया। कंपनी ने गैर-पेनिसिलिन उत्पाद जैसे टैबलेट, पेनिसिलिन टैबलेट, पेनिसिलिन कैप्सूल, पाउडर इंजेक्शन और आईवीएफ का भी विनिर्माण आरंभ किया ।

(ii) एम ऐक्स जी बी (हिंदुस्तान मैक्स- जीबी) के साथ संयुक्त उद्यम
1995 में, एच ए एल ने पेनिसिलिन के विनिर्माण के लिए मैक्स- जीबी के साथ तकनीकी सहयोग में किया और एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी हिंदुस्तान मैक्स- जीबी (एच एम जीबी) का गठन किया गया। इस अवधि के दौरान भी कंपनी को उच्च ब्याज बोझ के कारण नुकसान हो रहा था। 1995 से 2003 तक, एच एम जीबी ने पेनिसिलिन प्लांट का संचालन किया। 2002-2003 की अवधि के दौरान, सरकार ने बहुत कम दरों पर पेनिसिलिन के आयात की अनुमति दी थी। चीन से पेनिसिलिन का आयात मूल्य 300 रुपये प्रति बीयू से कम हो गया, जबकि भारत में पेनिसिलिन के विनिर्माण के लिए ब्रेक-ईवन की कीमत लगभग 500 रुपये प्रति बीयू थी। (चीन में पेनिसिलिन की विनिर्माण लागत बहुत कम है क्यों की उपयोगिताओं (यूटिलिटी) जैसे बिजली, भट्ठी के तेल आदि की कीमत बहुत कम है।) इस से भारत में पेनिसिलिन के विनिर्माण में विभिन्न कंपनियों जैसे एस पी आइ सी, जे के फार्मा , टॉरन्ट , एच ए एल और अलेम्बिक पर इसका अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ज्यादातर कंपनियों ने अपने प्लांट बंद कर दिए। एच एम जीबी ने सरकार से चीन से सबसे कम दर पर पेनिसिलिन के आयात के मद्देनजर उनके पट्टे के किराए को कम करने के लिए अनुरोध किया, ताकि वे अपने कार्यों को जारी रख सकें। हालाँकि, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। एचएमजीबी ने 2003 दिसंबर में एचएएल में अपना कार्य बंद कर दिया। चीन से पेनिसिलिन के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने या भारत के पेनिसिलिन विनिर्माताओं को कोई भी सब्सिडी प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने किसी भी तरह के राहत उपाय नहीं किए ।

पेनिसिलिन के विनिर्माण के लिए एचएएल ने एचएमजीबी को 415 कर्मचारी दिए । एचएएल उनसे पैसे ले कर उपयोगिताओं (यूटिलिटी) की आपूर्ति कर रहा था। एचएएल एचएमजीबी को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा था जिसके लिए एचएमजीबी इन अधिकारियों के वेतन का आंशिक भुगतान कर रहा था। इस अवधि के दौरान, एच ए एल ने आरपीजी लाइफ साइंसेज लिमिटेड (आरपीजी एल एस) को विटामिन बी -12 के विनिर्माण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन विनिर्माण सुविधा का हिस्सा किराए पर दिया था और आरपीजी एल एस के लिए 125 व्यक्तियों की सेवाएं दी थीं। आरपीजी एल एस को भी एच ए एल सुविधा में विटामिन बी 12 का विनिर्माण रोकना पड़ा क्योंकि चीन से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। एचएएल इन थोक संयंत्रों की उपयोगिता (यूटिलिटी) आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापक उपयोगिता का

संचालन कर रहा था। एचएमजीबी और आरपीजीएलएस द्वारा एचएएल में अपने संचालन को बंद कर देने से एचएमजीबी और आरपीजीएलएस के लिए 540 व्यक्तियों का वेतन एचएएल को देना पड़ा । इसके अलावा, एचएएल को उपयोगिताओं (यूटिलिटी) के संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक सहायक स्टाफ, वित्त विभाग, खरीद विभाग, कार्मिक विभाग डी ई ई टी आदि को बनाए रखना था जो परोक्ष रूप से एचएमजीबी और आरपीजी एल एस के थोक संयंत्र के संचालन से जुड़े थे। इन अतिरिक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त वेतन बोझ ने एचएएल पर भारी वित्तीय बोझ डाला और इसलिए एचएएल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2006 में वीआरएस की पेशकश की गई थी और लगभग 496 कर्मचारियों को एचएएल के रोल से कम कर दिया गया थापरंतु अभी भी 500 से अधिक कर्मचारियों अतिरिक्त थे। 27.12.2019 को, एचएएल की कुल मानव शक्ति लगभग 885 थी , हालांकि फॉर्मुलेशन प्लांट के संचालन के लिए लगभग 350 से 400 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वेतन का कुल वित्तीय बोझ लगभग 50 से 54 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। कंपनी इस राशि का 50% यानी लगभग 25 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष लगभग 500 कर्मचारियों को वीआरएस देकर बचाने का प्रस्ताव कर रही है।

(iii) अतिरिक्त भूमि का मुद्रीकरण

भले ही एच ए एल को 1997 में बी आइ एफ आर के लिए संदर्भित किया गया था, लेकिन पुनरुद्धार योजना को केवल 2007 में यानी लगभग 10 साल बाद मंजूरी दी गई थी। एचएएल के पास संचालन के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी नहीं थी और उसे उन अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी करना पड़ता था, जो बल्क प्लांट और उससे जुड़ी उपयोगिताओं और सेवा डिपो को चलाने के लिए आवश्यक थे। 2007 के पुनरुद्धार पैकेज में, इसकी खुली भूमि के हिस्से की बिक्री के लिए परिकल्पना की गई थी। बोलीकर्ताओं ने भूमि की बिक्री के लिए अच्छी दरों का प्रस्ताव दिया था। महाराष्ट्र की सरकारी क्षेत्र की कंपनी म्हाडा ने सबसे अधिक बोली लगाई थी, परंतु भूमि की बिक्री को 2016 तक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। चूंकि भूमि की बिक्री पूरी नहीं हो सकी, इसलिए एचएएल अतिरिक्त कर्मचारियों को वीआरएस देने के लिए आवश्यक धन नहीं जुटा सका और निर्माण गतिविधियाँ पूरी क्षमता से चलाने के लिए कार्यशील पूंजी भी नहीं थी । यह उल्लेख किया जा सकता है कि एचएएल की पुनर्गठन योजना, भूमि बिक्री से जुटाए गए धन से किए जाने के लिए सरकार ने पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। और चूंकि भूमि बिक्री नहीं हो सकती थी, इसलिए एचएएल को कभी भी वित्त उपलब्ध नहीं कराया गया था। पिछले 10 वर्षों में अतिरिक्त जनशक्ति के कारण संचित बोझ लगभग 458 करोड़ रुपये है।

ग. कंपनी की वर्तमान स्थिति

1.4 28.12.2016 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में, मंत्रिमंडल ने सरकारी एजेंसियों को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की अतिरिक्त भूमि बेचने का फैसला किया था और 820 करोड़ रु की बकाया देनदारियों को बिक्री की आय से समाप्त करना था । यह तय किया गया कि देनदारियों को पूरा करने के बाद, एचएएल को रणनीतिक बिक्री के लिए रखा जाएगा। एचएएल ने सरकारी एजेंसी मेसर्स एमएसटीसी के माध्यम से अतिरिक्त भूमि की बिक्री के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन कई बार निविदा जारी करने के बावजूद खरीदार नहीं मिला । इस बीच, लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) ने पीएसयू की भूमि के

निपटान के संबंध में 14.06.2018 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए । कंपनी ने दिसंबर 2019 के बाद से 379 कर्मचारियों को वी आर एस दिया है और कंपनी की वर्तमान कर्मचारियों की संख्या अब 464 है। सरकार के निधि प्राप्त होने पर कर्मचारियों को वी आर एस देने की प्रक्रिया आरंभ होगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में, एचएएल ने अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू किया और वर्ष 2018-19 में लगभग 35 करोड़ रु और 63 करोड़ रु का उत्पादन स्तर प्राप्त किया । जैसा कि समिति को सूचित किया गया है, एचएएच वर्ष 2019-20 में लगभग 100 करोड़ रु और वर्ष 2020-21 में 150 करोड़ रु के उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए आशान्वित था।

द्वितीय अध्याय

कंपनी परिचय

क निदेशक मंडल

2.1 विषय की जांच के दौरान समिति ने बताया था कि कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश कंपनियों को निर्दिष्ट करता है कि समिति जैसे कि लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति इत्यादि के अलावा बोर्ड में कार्यात्मक, नामांकित और स्वतंत्र निदेशकों भी हो। समिति ने एचएएल को कंपनी में विभिन्न समितियों के कामकाज पर जैसा कि कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों में परिकल्पित किया गया है की जानकारी मांगी । एचएएल ने एक लिखित उत्तर में निदेशक मंडल की संरचना के बारे में बताया:

क्र.सं.	विवरण	स्वीकृत पद	वास्तविक संख्या.	रिक्त
1.	कार्यात्मक निदेशक	2	1	1
2.	सरकारी नामांकित निदेशक	1	1	शून्य
3.	स्वतंत्र निदेशक	2	1	1

2.2 एचएएल ने विभिन्न समितियों का गठन किया है:

i. लेखा समिति

ii. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति.

iii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति.

ख. संगठनात्मक गठन

2.3 एचएएल के कामकाज को निम्नलिखित विभागों के माध्यम से किया जाता है:

(i) इंजीनियरिंग विभाग

(ii) विनिर्माण विभाग

(iii) वित्त विभाग

(iv) विपणन विभाग

(v) सामग्री और निर्यात विभाग

(vi) कार्मिक विभाग

(vii) प्रयोगशाला

2.4 एचएएल 2 शाखा कार्यालयों और 8 सी एंड एफ के साथ काम कर रहा है जो संबंधित राज्यों के क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, एचएएल ने पूरे भारत में 31 संपर्क एजेंट और 27 अस्पताल वितरक भी नियुक्त किए हैं जो अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत काम कर रहे हैं।

ग मानव संसाधन

2.5 एचएएल की स्वीकृत मानव शक्ति और वास्तविक मानव शक्ति का विवरण निम्नानुसार है :

कुल स्वीकृत मानव शक्ति :1724 कर्मचारी
01.11.2019 को कर्मचारी :888 कर्मचारी
30.11.2019 को कर्मचारियों को कार्य मुक्त किया जायगा : 299 कर्मचारी

जनशक्ति का युक्तिकरण

2.6 एचएएल ने अपने अद्यतन पृष्ठभूमि नोट में मानवशक्ति के युक्तिकरण के बारे में अन्य बातों के अलावा निम्नानुसार बताया- :

"2018-19 के दौरान, कोई भी स्थायी कर्मचारी भर्ती नहीं किया गया था। 31 मार्च, 2019 को कंपनी के 918 कर्मचारी थे, जिसमें 110 महिला कर्मचारी भी शामिल थीं। 1 अगस्त, 2020 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 464 है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और चिकित्सा योजनाएं भी कंपनी में हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, जी एम पी , सुरक्षा और स्वच्छता, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस, सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए एस ओ पी की कल्याणकारी योजनाएं, भ्रष्टाचार का उन्मूलन - नए भारत का निर्माण, महिला करमचारियों के लिए व्यक्तिगत वित्तीय योजना जैसे विषय पर कुल 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम / सेमिनार आयोजित किए गए थे । लगभग 165 अधिकारियों और 260 श्रमिकों ने इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। जैसा कि ऊपर बताया गया है, एचएएल ने लगभग 379 कर्मचारियों को वी आर एस के द्वारा कार्य मुक्त किया है।

उसके बाद, वेतनमान को संशोधित करना आवश्यक है क्योंकि मुख्य क्षेत्र में गुणवत्ता कर्मियों की आवश्यकता है। 1997 से एचएएल को वेतन संशोधन नहीं मिला है। अन्य सीपीएसयू पहले से ही 2007/2017 के संशोधन के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं। एचएएल को विपणन, उत्पादन, कार्मिक, वित्त आदि. की एक कोर समूह बनाने में अच्छी गुणवत्ता वाले लोगों की जरूरत है। एचएएल कर्मचारियों के लिए 2007 वेतनमान उत्पादकता बढ़ाने के लिए तुरंत आवश्यक है, इसके लिए एचएएल को डीपीई दिशानिर्देशों से इतर देखना होगा है।

प्रतिभा को बरकरार रखने में विफलता

2.7 एचएएल ने बताया कि चूंकि उनकी कंपनी घाटे में चल रही थी, इसलिए वे 6 वें वेतन आयोग को लागू नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप समान उद्योगों में उनके समकक्षों की तुलना में एचएएल कर्मचारियों का वेतन बहुत कम था। इस वजह से एचएएल न तो प्रतिभाओं को बरकरार रख सका और न ही नई प्रतिभाओं को आकर्षित कर सका ।

पुराने संयंत्र और मशीनरी

2.8 अधिकांश उपकरण पुराने थे जिनकी उच्च रखरखाव की समस्या थी। फॉर्म्यूलेशन संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी को अभी भी विशाल उपयोगिता) यूटिलिटी (प्रणालियों का उपयोग करना होगा जो वास्तव में बल्क प्लांट संचालन के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इन विशाल प्रणालियों के लिए परिचालन और रखरखाव की लागत बहुत अधिक है।फॉर्म्यूलेशन उपकरणों के संचालन के लिए, सरलीकृत उपयोगिताओं)यूटिलिटी (प्रणाली की ही आवश्यकता होती है, जिसमें कम परिचालन और रखरखाव लागत होती है। निधियों की कमी से, कंपनी उपयोगिताओं के लिए उन्नयन कार्य करने में सक्षम नहीं थी, विशेष रूप से विद्युत, दबावकृत हवा और ठंडा पानी के संबंध में, फॉर्मुलेशन संयंत्रों के लिए कम आवश्यकता को पूरा किया जाए । 2006-07 में, कुल उत्पादन मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपये था और वर्ष 2007-08 में यह बढ़कर 140 करोड़ रुपये हो गया और वर्ष 2008-09 में 149 करोड़ रुपये हो गया। इसके बाद, विभिन्न कारकों के कारण, उत्पादन प्रभावित हुआ और उसके बाद यह गिरना शुरू हो गया और वर्ष 2016-17 में यह 11.36 करोड़ रुपये तक कम हो गया।

कंप्यूटरीकरण:

2.9 एक इंटरनेट आधारित सॉफ्टवेयर प्रणाली, जिसे तैयार उत्पाद से संबंधित ट्रैकिंग और प्रबंधन के लिए बनाया गया है, पूरे भारत में हेड ऑफिस के साथ-साथ सभी बिक्री बिंदुओं)एचएएल शाखाओं और सीएंडएफ / सी एंड एस एजेंटों (पर सफलतापूर्वक चल रहा है। यह प्रणाली बहुत पुरानी और अप्रचलित है, इसलिए एचएएल क्लाउड आधारित व्यापक ई आर पी प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

अध्याय- तीन
कंपनी का प्रदर्शन

क. वास्तविक प्रदर्शन

(i) कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पाद

3.1 एचएएल न केवल मनुष्यों के लिए दवाइयों का विनिर्माण करता है, बल्कि इसका ऍग्रो-वेट विभाग भी है जिसके तहत एचएएल द्वारा कृषि उत्पादों और पशु चिकित्सा उत्पादों का विनिर्माण और विपणन किया जाता है। कंपनी कुछ विशेष उत्पाद भी बनाती है जिसे अगले पैराग्राफ में विस्तृत किया गया है।

ii) विशेष उत्पाद

3.2 सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए एचएएल "सोडियम क्लोराइड विद ग्लिसरीन इंजेक्शन" और "पोटेशियम आयोडेट टैबलेट" जैसे विशेष उत्पादों का विनिर्माण करता है जिसका उपयोग रक्षा क्षेत्र के लिए और "नारकोटिक्स डिटेक्शन किट" सुरक्षा उपयोग के लिए किया जाता है। एचएएल ने अपनी फार्मा उत्पाद सूची और इसी मूल्य सूची को जी ई एम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (पर अपलोड किया है। यह पोर्टल केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद प्रदान करता है। एचएएल ने इस पोर्टल से विभिन्न संगठनों से आदेश प्राप्त करना शुरू कर दिया है। एचएएल ने वर्ष 18-2017 के दौरान स्ट्रैप्टोसाइक्लिन की 59.92 लाख पाउच 6) ग्राम (की उच्चतम बिक्री हासिल की है। एचएएल को ग्लिसरीन इंजेक्शन के साथ एंटी फ्रीज खारा सोडियम क्लोराइड जैसे विशिष्ट उत्पादों के विकास और विनिर्माण का श्रेय भी है, जिनका उपयोग उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है। रक्षा क्षेत्रों के लिए और पोटेशियम आयोडेट टैबलेट और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए नारकोटिक्स डिटेक्शन किट का भी विनिर्माण किया जाता है । पिछले पांच वर्षों के लिए सरकारी ग्राहकों से उपरोक्त उत्पादों की बिक्री से अर्जित राजस्व पर आंकड़ों के बारे में पूछे जाने पर, एचएएल ने उत्तर दिया- :

"पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्लिसरीन इंजेक्शन के साथ एंटी फ्रीज खारा सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडेट गोलियों का विनिर्माण और बिक्री नहीं हुई थी। पिछले पांच वर्षों) वर्षवार (के दौरान सरकारी ग्राहकों से नारकोटिक्स डिटेक्शन किट की बिक्री से प्राप्त राजस्व का आँकड़ा इस प्रकार हैं- :

वर्ष	**उपरोक्त उत्पादों के लिए सरकारी ग्राहकों से (बिक्री कारोबार) (लाख रु)**
2015-16	87.11

2016-17	93.77
2017-18	122.26
2018-19	135.02
2019-20	171.54

iii) **विभिन्न खंडों के उत्पाद**

3.3एचएएल अपने उत्पादों को तीन अलग-अलग खंडों में बनाती है।) ए (मानव दवाओं 103- उत्पादों)बी (कृषि उत्पादों 06 -और) सी (पशु उत्पादों .05 - कृषि, फार्मा और स्वच्छता खंडों में, एचएएल ने निम्नलिखित उत्पादों का निर्माण किया:

(क(<u>कृषि उत्पाद</u>:
(स्ट्रेप्टोविक्लाइन) जीवाणुरोधी
<u>(ख (फार्मा उत्पाद:</u>
क - (सेफलोस्पोरिन - पाउडर इंजेक्शन) विभिन्न खुराक में
ख - (पेनिसिलिन-पाउडर इंजेक्शन) विभिन्न खुराक में
ग - (बड़ी मात्रा में पैरेन्टल) इंट्रा वीनस तरल पदार्थ
घ - (ओरल खुराक फार्म) गोलियाँ
ड - (सादा गोलियाँ) मानव और पशु चिकित्सा
च - (मौखिक खुराक फार्म) गोलियाँ
छ - (लेपित गोलियाँ) विभिन्न शक्तियों में
ज - (मौखिक खुराक फार्म) गोलियाँ
झ - निरंतर रिलीज़ टैबलेट) विभिन्न स्ट्रेंथ ऑरल डोज़ फॉर्म) कैप्सूल (में
न - (कैप्सूल) विभिन्न शक्तियों में
त - स्वच्छता उत्पाद:

ग (स्वच्छता उत्पाद:
महामारी कोविद 10- के प्रकाश में, एचएएल ने फार्मा उत्पादों की अपनी श्रेणी में और एग्रो उत्पाद को भी विकसित करना शुरू कर दिया है: एच ए एल आर यू बी - अल्कोहलिक हैंड डिसइन्फेक्टेंट, एचएएल - स्वास्थ्य कियॉस्क और हैंड सैनिटाइजेशन डिस्पेंसर ताकि देश की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को आंशिक रूप से पूरा किया जाए ।

(iv) राष्ट्रीय हित के उत्पादों का विनिर्माण
3.4 अपने पृष्ठभूमि नोट में, एचएएल ने बताया कि राष्ट्रीय हित के उत्पादों के विनिर्माण और आपूर्ति में प्रयास किए गए हैं जैसे की टीबी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए दवाओं का

विकास। उपरोक्त हेतु एचएएल के योगदान के संबंध में, एक लिखित उत्तर में, एचएएल ने इस प्रकार बताया- :

"सरकारी संस्थानों से एचआईवी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तथा टीबी रोधी दवाओं की आपूर्ति के लिए पूछताछ) खरीद हेतु (सीमित है। यह आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय में चर्चा के अनुरूप था, जो बाद में अमल में नहीं आया। इसलिए, एचएएल वर्तमान में इन दवाओं के विकास और निर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। उपरोक्त दवाएं फार्मास्युटिकल परचेज पॉलिसी) पीपीपी (सूची का हिस्सा नहीं हैं और एचएएल का ध्यान मुख्य रूप से पीपीपी सूची संबंधी व्यवसाय पर है। "

(v)उत्पादन सुविधाएं

3.5 समिति को सूचित किया गया कि एचएएल के पास निम्नलिखित उत्पादन सुविधाएं हैं: -

क) "बल्क प्लांट: एचएएल के पास 19 x 92 एम 3 किण्वक के साथ इसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, सॉल्वेंट रिकवरी और संबद्ध उपयोगिताओं (यूटिलिटी) जैसे भाप, ठंडा पानी, कूलिंग टॉवर का पानी, संपीड़ित हवा आदि सहित किण्वन आधारित विनिर्माण सुविधाएं हैं। यह सुविधाएं पहले किण्वन आधारित थोक उत्पादों के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाती थीं जैसे पेनिसिलिन-जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट । यह सुविधाएं वर्तमान में निष्क्रिय हैं और पट्टे के लिए उपलब्ध हैं।

बी) फॉर्मुलेशन सुविधा: एचएएल वर्तमान फार्मा फॉर्मूलेशन और बेहतर भविष वाले एग्रो-फॉर्मूलेशन के विनिर्माण पर ध्यान दे रहा है ताकि फार्मा और एग्रो मार्केट की विस्तृत श्रृंखला की मांग पूरी की जाए ।एचएएल फार्मा उत्पादों में विभिन्न खुराक के रूप शामिल हैं जैसे इंजेक्शन उत्पाद, टैबलेट, कैप्सूल, इंट्रा-वीनस उत्पाद, लिक्विड सिरप आदि।

(vi) <u>उत्पादन क्षमता</u>

3.6 एचएएल ने बताया की फार्मा और एग्रो - केम की उत्पादन क्षमता निम्न है:

क्रमांक	उत्पादन सुविधाएं	क्षमता (मौजूदा) लाख नं। / वर्ष
क	फार्मा संयंत्र	
1	पाउडर इंजेक्टेबल	
	सेफैलोस्पोरिन	450
	पेनिसिलिन	450

2	टैबलेट	
	पेनिसिलिन	1200
	गैर- पेनिसिलिन	2400
3	पेनिसिलिन कैप्सूल	2500
4	आइ वि फ्लूइड्स	120
5	तरल सिरप और बाह्य प्रेप्रेसन	24
ख	एग्रो-केम प्लांट्स	
	एग्रो-केम (स्ट्रेप्टोसाइक्लिन)	180
	हुमऊर फॉर्म्यूलैशन	210 KL*
	औरोफुंगिन बल्क	0.810 tonnes
	एज़ोटोमिल	50 KL*
	फॉस्फिल	50 KL*
C	अलकहोलिक हैन्ड डिसिन्फेक्टन्ट	12

* इन उत्पादों की क्षमता आवश्यकता के आधार पर बढ़ाई जा सकती है क्योंकि एचएएल निष्क्रिय निष्क्रिय किण्वन की सुविधा रखता है। "

(vii) पिछले 5 वर्षों के लिए उत्पादन क्षमता उपयोग

3.7 वर्ष 2009-10 से 2018-19 की अवधि के दौरान विभिन्न खंडों में क्षमता उपयोग निम्नानुसार है:

वर्ष 2009-10 से 2018-19 की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग				
वर्ष	**उत्पाद**	**संस्थापित क्षमता**	**उत्पादन**	**% क्षमता उपयोग**
2009-10	वियल्स (एस डी आधार)	630	507.3	80.52
	टैबलेट	2400	2257.19	94.05
	कपसूल	2500	941.62	37.66
	आइ वि एफ	120	96.48	80.4
	ऍग्रो केम	48	60.59	126.23
2010-11	वियल्स (एस डी आधार)	530	148.27	27.98
	टैबलेट	2400	1158.71	48.28
	कपसूल	2500	202.55	8.1
	आइ वि एफ	120	84.18	70.15
	ऍग्रो केम	48	38.6	80.42
2011-12	वियल्स (एस डी आधार)	450	141.28	31.39
	टैबलेट	2400	977.67	40.74
	कपसूल	2500	249.04	9.96
	आइ वि एफ	120	83.27	69.39

	ऍग्रो केम	72	50.25	69.79
2012-13	वियल्स (एस डी आधार)	787.5	178.04	22.61
	टैबलेट	2400	590.36	24.6
	कपसूल	2500	642.78	25.71
	आइ वि एफ	120	48.12	40.1
	ऍग्रो केम	72	33.28	46.22
2013-14	वियल्स (एस डी आधार)	900	126.73	14.08
	टैबलेट	2400	146.04	6.09
	कपसूल	2500	127.4	5.1
	आइ वि एफ	120	13.61	11.35
	ऍग्रो केम	72	36.39	50.54
2014-15	वियल्स (एस डी आधार)	900	39.74	4.42
	टैबलेट	2400	37.99	1.58
	कपसूल	2500	34.08	1.36
	आइ वि एफ	120	5.47	4.56
	ऍग्रो केम	72	38.8	53.89
2015-16	वियल्स (एस डी आधार)	900	5.95	0.66
	टैबलेट	2400	95.72	3.99
	कपसूल	2500	34.12	1.36
	आइ वि एफ	120	0	0

	ऍग्रो केम	108	44.8	41.48
2016-17	वियल्स (एस डी आधार)	900	8.81	0.98
	टैबलेट	2400	21.35	0.89
	कपसूल	2500	13.35	0.53
	आइ वि एफ	120		0
	ऍग्रो केम	180	36.2	20.11
2017-18	वियल्स (एस डी आधार)	900	57.52	6.39
	टैबलेट	2400	627.86	26.16
	कपसूल	2500	137.31	5.49
	आइ वि एफ	120	0	0
	ऍग्रो केम	180	67.36	37.42
2018-2019	वियल्स (एस डी आधार)	900	57.04	6.34
	टैबलेट	2400	1042.97	43.46
	कपसूल	2500	194.96	7.8
	आइ वि एफ	120	5.96	4.97
	ऍग्रो केम	100	51.47	51.47

Viii . संयंत्र और मशीनरी की स्थिती

3.8 संयंत्रों के कई वर्षों तक निष्क्रिय अवस्था में रहने के मद्देनजर इसके बारे में, एचएएल ने बताया: -

"एचएएल संयंत्रों की मशीनरी काफी पुरानी है। आईवीएफ, एफआर II, (सेफालोस्पोरिन और बेटालैक्टम) और एफआर III जैसे निर्माण संयंत्र आधुनिक मानकों के हैं। एचएएल विनिर्माण गतिविधियों के लिए

अपने संयंत्रों का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है और पेनिसिलिन जी को छोड़कर कोई भी संयंत्र अप्रचलित या आउट डेटेड नहीं है। "

(ix**) संयंत्र / मशीनरी का आधुनिकीकरण / उन्नयन:**

3.9 दिनांक 18-8-2020 को दिए गए साक्ष्यों के दौरान सचिव, फार्मास्युटिकल विभाग ने खाली पड़ी मशीनरी को चालू करने और एपीआई उत्पादन आरंभ करने में लिए जाने वाले समय पर एक प्रश्न के जवाब में निम्नानुसार प्रतिक्रिया व्यक्त की : -

> "एचएएल को भी दो साल की आवश्यकता होगी ..... उन्होंने रिपोर्ट दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास किण्वन संयंत्र है। लेकिन वह मशीनरी और सभी अब अप्रचलित हैं। उनका भवन हो सकता है। लेकिन मशीन अप्रचलित हैं। इसलिए, उन्हें केवल एक एपीआई, यानी पेनिसिलिन लगाने के लिए 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन्हें भी इतना समय चाहिए होगा। मैडम, वे 90 के दशक की मशीनें हैं। वे टेक्नोलॉजी के काम में भी नहीं आ एंगी और उसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। अब नई मशीनें आ गई हैं, जिनकी कॉस्ट भी बहुत कम है। नई टेक्नोलॉजी आ गई है । उन्हें खरीदना पड़ता है। यदि हम पुनर्जीवित करते हैं, तो भी सरकार द्वारा इसे पुनर्जीवित करने के लिए एक निर्णय लिया जाता है, उन्हें नवीनतम तकनीक, नवीनतम मशीनरी के लिए जाना है। उनकी जो पुरानी जो मशीनें हैं, वे काम में नहीं आएगी।... .... एचएएल वास्तव में इस क्षेत्र में सबसे अच्छे सार्वजनिक उपक्रमों में से एक है, लेकिन दुर्भाग्य से एकमात्र कारण यह है कि वे अधिक जनशक्ति कम नहीं कर सके हैं। आप का प्लांट बंद हो गयाहै, इसलिए आप को लोगों को निकालना चाहिए । खर्चा काफी बढ़ गया है। "

ख **. <u>वित्तीय निष्पादन</u>**

(i) कंपनी का लाभ / हानि

3.10 पिछले पांच वर्षों के एचएएल के उत्पादन, बिक्री कारोबार और शुद्ध लाभ / हानि के विवरण इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपए में)

	2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
उत्पादन	14.45	11.36	37.44	54.51	43.05
बिक्री कारोबार	15.12	10.73	35.21	66.85	61.25
शुद्ध लाभ (हानि)	(74.68)	78.24	208.32*	(71.10)	(72.42)

* शुद्ध लाभ आय की एक असाधारण मद का परिणाम है अर्थात सरकार द्वारा इसकी योजना और गैर योजना के 186.96 करोड़ रुपये के ऋण की और 89.94 करोड़ की छूट । (कुल 276.90 करोड़ रुपये ऋण और ब्याज)

3.11 अपने बेहतर वित्तीय प्रदर्शन के लिए 2019-20 में उत्पादन गतिविधियों को फिर से शुरू करने को श्रेय देते हुए पृष्ठभूमि नोट में एचएएल ने बताया :

"वर्ष 2019-20 के दौरान. एचएएल ने 61.25 करोड रुपये का बिक्री कारोबार हासिल किया। पिछले वर्ष के दौरान यह 66.85 करोड रुपए था. विभिन्न संयंत्रों सहित पायलट प्लांट (औरिओफनगीन और हमाओर के निर्माण के लिए) और आई वी एफ प्लांट (थोक में पैरेन्टेरल्स के निर्माण के लिए) में उत्पादन गतिविधियों को फिर से शरू करने के कारण यह संभव हआ है। आईवीएफ प्लांट को लगभग साढ़े चार साल बाद फिर से शुरू किया गया।

3.12 उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि बिक्री का कारोबार 2019-20 में 61.25 करोड रुपये था जो एचएएल दवारा डस वित्तीय वर्ष के लिए 100 करोड के टर्नओवर के लक्ष्य से 40% से कम है। डस प्रश्न के लिखित उत्तर में कि क्यों टर्नओवर में लक्ष्य की तुलना में 40% की गिरावट हुई , लिखित उत्तर में एचएएल इस प्रकार बताया :

" कल राजस्व में गिरावट आई है. क्यों की एचएएल वर्ष 2019-20 के दौरान अपने कर्मचारियों को वीआरएस देने के लिए पनर्गठन की प्रक्रिया में था। पनर्गठन की प्रक्रिया अब परी हो गई है और डस वर्ष कंपनी को अच्छी बिक्री की उम्मीद है जो डससे परिलक्षित होती है कि एचएएल ने वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 18 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है, जो 2019-20 में इसी अवधि में 9.91 करोड़ रुपये था।

3.13 जब पछा गया कि एच ए एल को 2017-18 में 35.21 करोड रूपए के बिक्री कारोबार की तलना में 2018-19 में 66.85 करोड रुपये के बिक्री कारोबार जो लगभग 90% अधिक है के बावजूद 71.10 करोड़ रूपए का क्यों नुकसान हुआ , ने बताया : -

"कंपनी ने भारी रोजगार लागत और अन्य निश्चित (फिक्स्ड) खर्चों के कारण 7.10 करोड़ रूपए का नुकसान उठाया।"

(ii) मुख्य वित्तीय अनुपात

3.14 कंपनी के 2018 -2019 के वार्षिक प्रतिवेदन में दिए गए **मुख्य वित्तीय अनुपात :**

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
प्रति शेयर कमाई (अंकित मूल्य रु। 1000 / -)			

(बुनियादी **(ख) कम**	(1090.99) (1090.99)	(956.22) 2904.70	(991.32) (991.32)
प्रति शेयर बुक मूल्य (अंकित मूल्य रु 1000)	1000.00	1000.00	1000.00
कुल कारोबार एवं सकल स्थाई परिसंपत्तियो का अनुपात (%)	3.95	13.92	26.52
वित्त लागत एवं कुल कारोबार का अनुपात **(%)**	237.30	85.92	48.72

3.15 वास्तविक (सकल बिक्री) और वर्ष 2008-09 से 2018-19 की अवधि के दौरान एचएएल का नकद लाभ / हानि निम्नानुसार है: -

रू. करोड

वर्ष	वास्तविक (कुल बिक्री)	नकद लाभ /हानि (+/-)

2008-09	147.39	(-)15.14
2009-10	117.87	(-) 43.64
2010-11	89.04	(-) 44.69
2011-12	72.02	(-) 67.69
2012-13	52.09	(-) 64.49
2013-14	30.19	(-) 79.47
2014-15	18.53	(-) 66.44
2015-16	15.12	(-)70.85
2016-17	10.73	(-) 74.22
2017-18	31.48	(-)64.89
2018-19	59.46	(-) 67.26

3.16 चूंकि सकल बिक्री और नुकसान के बीच कोई संबंध नहीं था, इसलिए एचएएल से स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए, एचएएल ने निम्नलिखित बताया :

(रुपये करोड़)

वर्ष /मानदंड	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**

उत्पादन मूल्य (रुपये लाख)	1728.56	1445.30	1135.58	3744.06	5451
सकल बिक्री	18.54	15.12	10.73	31.48	59.46
नकदी हानि	-66.44	-70.85	-74.22	-64.89	-67.26

उपरोक्त से. देखा जा सकता है कि बिक्री की मात्रा कम होने के कारण नकसान लगभग 70 करोड रुपये के आस पास हैं। कंपनी अपने निर्धारित खर्चों को वसलने की स्थिति में नहीं है। यदि हमारी बिक्री 180 करोड रुपये से 200 करोड रुपये हो जाये तो निर्धारित खर्चों को वसलने की स्थिति हो जाएगी । एचएएल अपने कर्मचारियों को वेतन / मजदरी देने की स्थिति में नहीं था। 2017-18 से, वेतन का आंशिक भुगतान किया जा रहा है, इसलिए इससे नुकसान भी बढ़ रहा है।"

अध्याय- चार

एचएएल की सहायक कंपनियां

4.1 एचएएल के पास इस समय महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एमएपीएल) और मणिपुर स्टेट ड्रग फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एमएसडीपीएल) इंफाल नामक दो सहायक कंपनियां हैं । एचएएल ने इससे पहले पेनिसिलिन के निर्माण के लिए मैक्स जी बी के साथ एक संयुक्त उपक्रम का गठन किया था । दोनों सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम अब निष्क्रिय हैं ।

क. महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एमएपीएल)

4.2 महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एमएपीएल), नागपुर की स्थापना हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के अंतर्गत 1979 ई॰ में केंद्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मिलकर एसआईसीओएम और वित्तीय संस्थान आईडीबीआई, के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में, हिंगाना एमआईडीसी, नागपुर में लगभग 12.5 एकड़ जमीन पर की थी जोकि 95 वर्ष के पट्टे पर ली गई थी । इसके शेयर धारक इस प्रकार थे:-

एचएएल - 59%, एसआईसीओएम - 33% और आईडीबीआई - 8%.

इक्विटी शेयर 1,23,97,000/-रू. कुल शेयरों की संख्या - 100 रू. प्रति शेयर के कुल 123970

एचएएल - 73440 शेयर

एसआईसीओएम - 40910 शेयर

आईडीबीआई - 9620 शेयर

4.3 जैसा कि समिति को सूचित किया गया है, एमएपीएल को बीआईएफआर मे विलय कर देने का आदेश दिया गया है और उक्त आदेश की पुष्टि एएआईएफआर द्वारा की गई है । इस आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय बंबई, नागपुर खंडपीठ ने एमएपीएल के कर्मचारियों के समूह द्वारा दायर रिट याचिका के आधार पर रोक लगा दी थी । उक्त रिट याचिका 21-11-2016 को माननीय बंबई उच्च न्यायालय , नागपुर खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। सुनवाई के दौरान कर्मचारियों के समूह ने मामला वापस ले लिया और तदनुसार मामले का निपटारा किया गया । पर्यावरण अभियांत्रिकी इंक द्वारा दायर डब्ल्यू.पी.265/2002 दिनांक 10-7-2017 को माननीय बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था और इसे न्यायालय द्वारा 12/07/2017 के अपने आदेश के माध्यम से निपटाया गया था । मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, एमएपीएल और एमएसडीपीएल को पृथक करने की प्रक्रिया का पता लगाया जा रहा है। वर्ष 1998-99 से 2017-18 की अवधि के लिए एमएसडीपीएल और 2010-11 से 2017-18 की अवधि के लिए एमएपीएल के खातों का सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई और इसे पूरा किया गया। इसे सीएंडएजी को उनके ऑडिट के लिए भेजा जाता है।

4.4 एमएपीएल के संचालन के संबंध में होल्डिंग कंपनी एचएएल ने निम्नवत बताया:-

"शुरुआत से ही एमएपीएल ने कार्यशील पूंजी की समस्याओं के कारण हानि उठाना शुरू कर दिया। इसके बाद एमएपीएल को 04.09.2000 को बीआईएफआर द्वारा बीमार औद्योगिक इकाई घोषित किया गया। इस निर्णय की पुष्टि एएआईएफआर ने 20.07.2001 को की। पर्यावरण इंक (ईईआई) ने बीआईएफआर में एक पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की थी, जिसे बीआईएफआर द्वारा वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं पाया गया था। बीआईएफआर और एएआईएफआर के आदेशों को बॉम्बे हाईकोर्ट, नागपुर बेंच में पर्यावरण इंक (ईईआई) ने रिट याचिका संख्या 265/2002 द्वारा चुनौती दी है।

सितंबर 2002 में, ईईआई के श्री पालीवाल ने एसआईसीओएम की 33% शेयर धारिता खरीदी। लेकिन एमएपीएल ने शेयर-धारक के रूप में अपना नाम दर्ज नहीं किया क्योंकि एचएएल ने समझौते के आधार पर एसआईसीओएम के शेयर होल्डिंग के हस्तांतरण पर आपत्ति जताई थी, जिसमें एचएएल को पहले प्रस्ताव का अधिकार दिया गया था। यह मामला कंपनी लॉ बोर्ड (सीएलबी) के पास चला गया, जिसने एसआईसीओएम से ईईआई में शेयरों के हस्तांतरण की अनुमति दी। एचएएल ने बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर बेंच में सीएलबी के आदेश को चुनौती दी। मामला अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है।"

4.5 इसके अलावा, एचएएल ने निम्नवत बताया:-

"वर्ष 2008 में, माननीय बंबई उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी. सं. 265/2002 में बीआईएफआर को एमएपीएल के बंद होने के मामले को फिर से देखने के लिए निर्देशित किया। तदनुसार, आईडीबीआई (प्रचालन एजेंसी) ने एक तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन किया और एमएपीएल को केवल तभी व्यवहार्य घोषित किया जबकि सरकार और प्रमोटर कंपनी अर्थात एचएएल की बकाया राशि को माफ कर दिया जाए और सरकार द्वारा विभिन्न रियायतें और राहतें प्रदान की जाएं। दिनांक11.08.2008 को बीआईएफआर को लिखे गए अपने पत्र के माध्यम से सरकार ने घोषणा की कि एमएपीएल को ऑन-लोन देने के लिए एचएएल को दिया गया उसका ऋण बट्टे खाते में नहीं लिखा जाएगा और सरकार का विनिवेश के माध्यम से एमएपीएल के पुनरुद्धार का कोई इरादा नहीं है। बीआईएफआर ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 17.06.2010 को माननीय बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर बेंच को भेज दी है। माननीय बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर बेंच में सुनवाई के लिए मामला अभी भी लंबित है।

इस बीच, एचएएल को कर्मचारी बकाया, वैधानिक देय राशि और वीएसएस लाभों के भुगतान के लिए एमएपीएल को ऋण देने के लिए भारत सरकार से ऋण प्राप्त हुआ था जिसे भारत सरकार को 21.75% ब्याज के साथ वापस किया जाना था। एमएपीएल द्वारा एचएएल को लौटाया जाने वाला कुल ब्याज मार्च 2016 तक 300 करोड़ रुपये से अधिक था।

<u>एचएएल द्वारा एमएपीएल को दिया गया ऋण</u>

0.94 करोड रूपये - दिनांक. 28.03.2002.

6.94 करोड रूपये - दिनांक. 03.10.2003.

8.50 करोड रूपये - दिनांक. 22.02.2006.

16.38 करोड रूपये + पहले दिए गए 4 करोड़ रुपये

(1) एमएपीएल में उत्पादन गतिविधि वर्ष 2003-04 तक जारी रही। वर्ष 2003-04 तक तीन प्रमुख उत्पादों का निर्माण किया जाता रहा :

उत्पादों के जेनेरिक नाम:

i) इंजे. सेफ़ाटॉक्सीम 1.00 ग्राम / 500 मिलीग्राम

ii) इंजे. जेंटामायसिन 80 मिलीग्राम / 2 मिली शीशी

iii) इंजे. सेफ़ोपाराज़ोन 1 ग्राम

(2) वर्ष 2009-10 की एमएपीएल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, एमएपीएल की अचल संपत्तियों का 17.10.2008 को श्री बेलेकर, पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता ने शुद्ध प्राप्ति मूल्य को प्रतिबिंबित करने के लिए फिर से मूल्यांकन किया। अचल संपत्तियों का मूल्यांकन अक्टूबर, 2008 में 245.79 लाख रुपये था। एमएपीएल को बंद करने के लिए बीआईएफआर और एएआईएफआर के आदेश को बंबई उच्च न्यायालय में कर्मचारियों के समूह और पर्यावरण अभियंता इंक (ईईआई) द्वारा याचिका संख्या .265 / 2002 के माध्यम से चुनौती दी गई है। इस मामले में यदि सरकार द्वारा कंपनी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया जाता है, उच्च न्यायालय में एक पुनर्वास योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए बीआईएफआर / एएआईएफआर पर मामला फिर से खोलने के लिए आदेश पारित करेगा।

4.6 वर्तमान स्थिति के संबंध में एचएएल ने इस प्रकार ब्यौरा प्रस्तुत किया है-

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा सरकार के पत्र सं. 54014/1/2016-पीएसयू दिनांक 09/01/2017 के माध्यम से
- निदेशक मंडल को दिनांक 17/01/2019 को मंत्रिमंडल के कार्यवृत्त को स्वीकार करना है
- एनबीसीसी को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया/जा रहा है।

- एमएसटीसी को नीलामी एजेंसी (एए) के रूप में नियुक्त किया गया है/ जा रहा है।

- वीआरएस - एमएपीएल में कोई भी कर्मचारी नही है।
- 1998-99 से 2018-19 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया है।
- नागपुर में 03/02/2012 को अंतिम अर्थात 30 वी एजीएम आयोजित की गई।

नई दिल्ली में 3/8/2018 को अंतिम बोर्ड बैठक अर्थात निदेशक मंडल की 131 वीं बैठक आयोजित की गई।

ख. मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एमएसडीपीएल)

4.7 एचएएल द्वारा दी गई एमएसडीपीएल पर स्थिति रिपोर्ट इस प्रकार है--

एमएसडीपीएल **पर एक स्थिति रिपोर्ट**

"मणिपुर राज्य ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एमएसडीपीएल), टिडिम रोड, शामपेट जंक्शन, इम्फाल-मणिपुर -795001 एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है जिसे वर्ष 1989 में एचएएल और मणिपुर सरकार द्वारा एमएएनआईडीओ के माध्यम से स्थापित किया गया था और एमएसडीपीएल में एचएएल और एमएएनआईडीओ की हिस्सेदारी क्रमशः 51% और 49% है। एचएएल ने एमएसडीपीएल की इक्विटी शेयर पूंजी में 43.35 लाख रुपये का निवेश किया था जबकि एमएएनआईडीओ ने एमएसडीपीएल की शेष इक्विटी शेयर पूंजी का निवेश किया है।

एचएएल	-	43350 के इक्विटी शेयर्स प्रति 100/- रू.
एमएएनआईडीओ	-	41650 के इक्विटी शेयर्स प्रति 100/- रू.

कुल	-	85000 के इक्विटी शेयर्स प्रति 100/- रू.
		==========

"

4.8 समिति को सूचित किया गया कि प्रारंभ में एचएएल ने इसके लिए इक्विटी शेयर पूंजी के अलावा अपने स्वयं के संसाधनों से एमएसडीपीएल की लागत का वित्त पोषण करने की कोशिश की। एचएएल ने एमएसडीपीएल में ऋण के माध्यम से पर्याप्त राशि का निवेश किया। जैसा कि समिति को सूचित किया, मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार ने अपने दिनांक 30-11-2002 के पत्र द्वारा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के सचिव को प्रस्ताव दिया कि सेवांत लाभ देकर कर्मचारियों की छंटनी और देनदारियों मे कमी करके एमएसडीपीएल को बंद किया जाए । रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने उक्त पत्र को एचएएल को अपने दिनांक 11-12-2002 के माध्यम के विचार हेतु अग्रेषित कर दिया।

एमएसडीपीएल के निदेशक मंडल ने 26-3-2003 को हुई बैठक में एमएसडीपीएल को समाप्त करने और एमएसडीपीएल के कर्मचारियों की कुल लागत से 161.20 लाख रुपये की छंटनी करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया। निदेशक मंडल द्वारा किए गए निर्णय के आधार पर एचएएल के निदेशक मंडल ने 24-6-2003 को आयोजित अपनी बैठक में एमएसडीपीएल के निदेशक मंडल द्वारा एमएसडीपीएल को बंद करने और उसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की छंटनी के संबंध में किए गए निर्णय को अनुमोदित

करते हुए प्रस्ताव भी पारित किया । बोर्ड ने यह भी संकल्प लिया कि एमएसडीपीएल के बंद होने के बाद कर्मचारियों की देयता को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि के आधे हिस्से के संबंध में भारत सरकार के साथ चर्चा की जाए ताकि मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तावित एचएएल को आवश्यक धन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा सके । एचएएल ने अपने पत्र दिनांक 29-9-2003 के माध्यम से रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग को सूचित किया कि कर्मचारियों की देयता के लिए 161.97 लाख रुपये की आधी राशि की मंजूरी पर विचार किया जाए। एचएएल ने एमएसडीपीएल के एमडी से छंटनी/समाप्ति पर कर्मचारी संबंधित देनदारियों के निपटारे के बाद एमएसडीपीएल को बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी अनुरोध किया जो अभी भी लंबित है । अंतिम उत्पादन: 1997-98 वार्षिक रिपोर्ट बिक्री और प्रस्तुतियों से पता चलता है ।

4.9 समिति को बताया गया कि रिकार्ड के अनुसार मणिपुर सरकार द्वारा एमएसडीपीएल के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। एमएसडीपीएल ने मणिपुर औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (मैनिडको) के लिए मणिपुर राज्य के ग्राम निलाकुठी, इंफाल पूर्व में स्थित लगभग 10 (दस) एकड़ जमीन पर अपनी पूरी अचल संपत्तियों पर पहला कब्जा 6 जून, 1991 को एक मोरगेज डीड के माध्यम से किया। 10 जनवरी, 2008 को हुई एमएसडीपीएल के निदेशक मंडल की 42वीं बैठक के मिनट्स से पता चलता है कि एमएसडीपीएल के पास कोलकाता, पश्चिम बंगाल के बेहल वाणिज्यिक परिसर में पट्टाधारित परिसर भी है जो प्राइम लोकेशन प्राइम पर है और इसके अधिग्रहण के बाद से इसका मूल्य काफी बढ़ा है । उक्त बीओडी की बैठक में बीओडी ने प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया कि वे मणिपुर में उद्योग निदेशक, मणिपुर और अन्य राज्य सार्वजनिक उपक्रमों (एमएफआईसीएल सहित) से संपर्क करें ताकि इसे पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर स्थानांतरित किया जा सके। एमएसडीपीएल के निदेशक मंडल ने अपनी 44वीं बैठक में बेहला वाणिज्यिक परिसर कोलकाता में स्थित अपने परिसरों को एचएएल को सौंपने का निर्णय लिया। बोर्ड ने एमएसडीपीएल, इंफाल से एचएएल, पुणे में प्लांट और मशीनरी ट्रांसफर करने का भी फैसला किया। एचएएल ने 23 जनवरी, 2019 के पत्र के माध्यम से और उसके बाद तीन अनुस्मारकों द्वारा मणिपुर सरकार को एमएसडीपीएल में एचएएल के शेयरों और ब्याज की पेशकश करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

4.10 एमएसडीपीएल की वर्तमान स्थिति के संबंध में एचएएल ने निम्नवत बताया -

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा सरकार के पत्र सं. 54014/1/2016-पीएसयू दिनांक 09/01/2017 के माध्यम से
- **निदेशक मंडल को दिनांक को मंत्रिमंडल 2019/07/17के कार्यवृत्त को स्वीकार करना है**
- एमएसडीपीएल के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया जाना है क्योंकि मणिपुर सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पोर्टफोलियो में बदलाव किया गया है जो एमएसडीपीएल के निदेशक मंडल मे थे। जैसे ही एमएसडीपीएल के बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी।
- 1998-99 से 2017-18 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया है।
- 1998-99 से 2017-18 तक सी एंड एजी रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

- अंतिम अर्थात 9 वीं वार्षिक आम बैठक 16/03/2017 को इम्फाल (मणिपुर) में आयोजित की गई।
- अंतिम बोर्ड बैठक अर्थात निदेशक मंडल बोर्ड की 44 वीं बैठक 17/04/2018 को इम्फाल (मनिपुर) में आयोजित हुई।

अध्याय- पाँच

भारतीय फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र

क. भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उद्योग की वर्तमान स्थिति

5.1 भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उद्योग वॉल्यूम के मामले में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा और गुणवत्ता के मामले में दसवां सबसे बड़ा उद्योग है। उद्योग का कुल आकार (ड्रग्स और चिकित्सा उपकरणों सहित) लगभग 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर (3,01,000 करोड़ रुपये) है और वर्तमान में दवा क्षेत्र में 7-8% और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में 15-16% की वृद्धि दर है। कुल निर्यात (दवाएं और चिकित्सा उपकरण) 20 अरब अमेरिकी डॉलर (1,47,420 करोड़ रुपये) के लगभग हैं, जिनमें से दवाओं का कुल निर्यात का लगभग 90% है। आयात की राशि लगभग 72,800 करोड़ रुपये है जिसमें से चिकित्सा उपकरण की राशि लगभग 52% है। भारत विश्व स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। भारत से सस्ती एचआईवी उपचार तक पहुंच चिकित्सा में सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है। भारत दुनिया में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है । कम कीमत और उच्च गुणवत्ता के कारण, भारतीय दवाओं को दुनिया भर में पसंद किया जाता है, जिससे देश को "दुनिया की फार्मेसी" का नाम वास्तव मे दिया जाता है। दवा क्षेत्र वर्तमान में देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.72% योगदान देता है।

5.2 भारतीय फार्मा निर्यात अमेरिका, पश्चिम यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अत्यधिक विनियमित बाजारों सहित 200 से अधिक देशों में होता है । भारत ने 2018-19 में 10.72% की रिकॉर्ड वृद्धि के साथ 1,33,910 करोड़ रुपये की फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात किया। 2018-19 के दौरान भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में ड्रग फॉर्मूलेशन एंड बायोलॉजिकल्स तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा थे । भारत काफी हद तक अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और रूस को निर्यात करता है। 2018-19 के दौरान दवाओं का आयात दवा फॉर्मूलेशन और बायोलॉजिकल्स (36%) के बाद थोक दवाओं और मध्यवर्ती के साथ 35,000 करोड़ रुपये का था जिसमें कुल दवा आयात का 63% शामिल था । भारत काफी हद तक चीन, अमेरिका, इटली और जर्मनी से आयात करता है। देश में फार्मास्यूटिकल व्यापार में अधिशेष है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है ।

ख. फार्मास्युटिकल उद्योग: एक रणनीतिक क्षेत्र

5.3 एक सवाल के लिखित जवाब में कि कैसे एक दूसरा देश भारतीय फार्मा क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार बन गया है और किसने इसे भारतीय फार्मा बाजार में प्रमुख भागीदार बनाया, एचएएल ने निम्नवत बताया:-

> "चीन न केवल भारतीय फार्मा बाजार में प्रमुख भागीदार है, बल्कि वे फार्मा बाजार में वैश्विक अगुआ हैं । फार्मा बाजार का नेतृत्व करने के लिए अन्य देशों के ऊपर चीन को लाभ देने वाले अनुकूल कारक इस प्रकार हैं:-
>
> क. सभी फार्मास्यूटिकल्स निर्माताओं को 2004 तक जीएमपी मानकों को पूरा करने की आवश्यकता
>
> ख. अस्पतालों के माध्यम से दवाओं की बिक्री मे कमी
>
> ग. सार्वजनिक रूप से दवा खरीद के लिए बोली लगाना

घ. राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल बीमा प्रणाली को लागू करना

ड़. बौद्धिक संपदा संरक्षण और एफडीए पर्यवेक्षण को मजबूत करना।

समग्र लक्ष्य विनिर्माण और वितरण क्षमता में सुधार करना, दवा सुरक्षा पर्यवेक्षण को मजबूत करना और दवा खुदरा व्यापार से अस्पतालों को अलग करना है । इसके अलावा, भारत की तुलना में चीन में दवा निर्माण के लिए एक आवश्यक सामग्री सस्ती दर पर उपलब्ध है ।

5.4 आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से भारतीय विनिर्माताओं को थोक में दवाएं उपलब्ध कराने के लिए एचएएल द्वारा किए गए प्रयासों के संबंध में एचएएल ने लिखित उत्तर में इस प्रकार बताया -

"एचएएल देश में बदलाव लाने और उपयोगी योगदान देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि भारतीय विनिर्माताओं को घरेलू बाजार से खरीद करने में सुविधा हो सके और इस तरह चीन पर निर्भरता कम हो सके । इस योजना के एक भाग के रूप में, एचएएल ने लगभग 50 से 60 टन अमोक्सीसिलिन ट्राइहाइड्रेट प्रति माह की प्रारंभिक विनिर्माण क्षमता के साथ थोक विनिर्माण सुविधा की स्थापना की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इस साल के अंत तक यह सुविधा शुरू होने की संभावना है। एचएएल ने विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए आवश्यकता पड़ने पर पेनिसिलिन वी गोलियों की मांग को पूरा करने की भी योजना बनाई है। एचएएल ने पहले ही विभिन्न पौधों की बीमारियों के लिए उपयोग किए जाने वाले एंटीफंगल जीवाणुरोधी ऑरेफुंगिन के उत्पादन को फिर से शुरू कर दिया है और हैमीसिन के निर्माण को फिर से शुरू करने और मानव अनुप्रयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीफंगल जीवाणुरोधी को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया में है । एचएएल ने एंटी फ्रीज सेलीन (ग्लिसरीन के साथ सेलीन) विकसित किया है जिसका उपयोग सियाचिन जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसी प्रकार रक्षा क्षेत्र के लिए एचएएल द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद विकास गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। (एचएएल के पास सार्वजनिक क्षेत्र में एकमात्र सक्रिय फार्मा अनुसंधान एवं विकास है) । इसी तरह, एचएएल ,नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार को नारकोटिक डिटेक्शन किट की आपूर्ति कर रहा है । (एचएएल इन किटों का निर्माण करने वाला भारत का एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है) । एचएएल ने सरकारी स्तर पर विभिन्न मंचों पर पेनिसिलिन बल्क सुविधा को फिर से शुरू करने की संभावना का पता लगाया है। हालांकि, चूंकि एचएएल को कैबिनेट के फैसले के अनुसार 'रणनीतिक बिक्री' के लिए निर्धारित किया गया है, इसलिए उक्त प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन के लिए लंबित हैं।

5.5 विदेशों से उत्पाद के आयात पर कम निर्भरता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय सीपीएसयू को वरीयता देने के लिए किसी विशिष्ट नीति के बारे में पूछे जाने पर फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी) ने इस प्रकार बताया :-

"महत्वपूर्ण कुंजी प्रारंभिक सामग्री (केएसएमएस)/ड्रग इंटरमीडिएट (डीआईएस)/एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए तैयार किए गए दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) से डीओपी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आवेदन प्राप्त होता है, जैसा कि उक्त योजना में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन है, तो ऐसे आवेदक सीपीएसई का राष्ट्रीय हित में चयन किया जा सकता है । हालांकि यह फैसला कंपनी के रणनीतिक विनिवेश के फैसले की समीक्षा के अधीन लागू होगा।"

5.6 समिति की इस आशंका का जवाब देते हुए कि जीवन रक्षक दवाओं के लिए किसी विशेष देश पर बहुत अधिक निर्भरता वांछनीय नहीं है, विशेष रूप से भू-राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और इसलिए उत्पादों के आयात स्रोत में विविधता लाने की आवश्यकता है, और इस संबंध में, यदि कोई योजना बनाई गई है , तो फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने निम्नवत बताया :

"विभाग इस बात से सहमत है कि लाइफ सेविंग दवाओं के लिए किसी खास देश पर बहुत ज्यादा निर्भरता वांछनीय नहीं है । देश में मादक पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने बल्क ड्रग्स पार्क को बढ़ावा देने और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं शुरू की हैं । इसके बदले में, यह उत्पादन लागत को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित करने की तुलना में आम सुविधाओं का दोहन करके उत्पादन की लागत को कम करेगा"

5.7 समिति को बताया गया कि भारत सरकार एचएएल की रणनीतिक बिक्री की योजना बना रही है। समिति के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कि विशेष रूप से (**i**) जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री (एपीआई), थोक दवाओं और अन्य मदों जैसे एल्कोहलिक हैंड रब, स्वास्थ्य कियोस्क उत्पाद आदि और (**ii**) इसकी हानि का मुख्य कारण सस्ती दरों पर चीन से आयात है, को ध्यान में रखते हुए क्यों इसे रणनीतिक बिक्री के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने एक विस्तृत उत्तर में निम्नवत बताया :-

"विभाग के तत्वावधान में पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) हैं नामत: हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल), इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स (आरडीपीएल), बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केपीएल) हैं । इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना पचास और साठ के दशक में की गई थी ताकि दवा निर्माण में प्रारंभिक कदम उठाया जा सके ताकि दवा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके । हालांकि, अब स्वदेशी निजी उद्योग स्वस्थ, मजबूत, प्रतिस्पर्धी और सामाजिक और सरकारी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम हो गया है । दवा उद्योग का सालाना कारोबार करीब **3** लाख करोड़ रुपए का है। इसमें से निर्यात आधे से अधिक का है । फार्मास्यूटिकल क्षेत्र एक निजी उद्यम आधारित उद्योग है और उसमें पांच फार्मा

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान काफी नगण्य है। एचएएल का करीब **60** करोड़ रुपए का कारोबार देश के कुल फार्मा उत्पादन का मुश्किल से **0.02** फीसद है।

1983, 1988 और **1994** में तीन पूंजी पुनर्गठन योजनाओं के बावजूद, कंपनी को औपचारिक रूप से बीमार घोषित करके वर्ष **1997** में बीआईएफआर को रेफर कर दिया गया। भारत सरकार ने मार्च, **2006** में चौथे पुनर्वास को **137.59** करोड़ रुपये की नकद सहायता और **267.57** करोड़ रुपये की नकद सहायता के साथ मंजूरी दी थी। इसके बाद, दिसंबर **2016** में फिर से, सरकार ने **307.23** करोड़ रुपये के ऋण और ब्याज को माफ कर दिया। (मूलधन **186.96** करोड़ रुपये + ब्याज **120.27** करोड़ रुपये), **128.68** करोड़ रुपये की विभिन्न बकाया राशि को स्थगित कर दिया और मजदूरी, वेतन और अन्य महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने के लिए **100** करोड़ रुपये का ऋण भी स्वीकृत किया। चूंकि पहले के पुनरुद्धार/पुनर्वास पैकेज वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल, **2016** में निर्देशित अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए एचएएल की अतिरिक्त और खाली भूमि के हिस्से की बिक्री के लिए एक अन्य पुनर्वास प्रस्ताव पर विचार करते हुए कहा था कि तीन वरिष्ठ मंत्रियों की एक समिति पीयू में सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियों की स्थिति की व्यापक जांच कर सकती है और अन्य उपाय सुझा सकती है ।नीति आयोग की एक उच्च स्तरीय समिति ने अलग से निर्णय लिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्राथमिकता उनके द्वारा की गई गतिविधि की प्रकृति के आधार पर होनी चाहिए न कि उनके वित्तीय प्रदर्शन पर। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस आधार पर वर्गीकृत किया कि क्या वे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित किसी रणनीतिक उद्देश्य की सेवा कर रहे हैं, संप्रभु या अर्ध संप्रभु कार्य कर रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य में शामिल हैं, जहां निजी क्षेत्र प्रदर्शन करने में विफल रहा है या जिनकी सार्वजनिक उपयोगिता है, जहां सार्वजनिक उद्यम की उपस्थिति सार्वजनिक उद्देश्य की सेवा के लिए वांछनीय थी । उपरोक्त चार मानदंडों में से एक को पूरा करने वाले किसी भी पीएसयू को 'उच्च प्राथमिकता' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। फार्मास्यूटिकल्स पीएसयू जो उपरोक्त कार्यों में से किसी भी कार्य का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, को निम्न प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था । समिति ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जांच करने के बाद प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में राज्य सरकार को पुनरुद्धार/विलय/बिक्री/अंतरण आदि के संबंध में उपक्रम को बंद करने/ लीज पर देने/ सामरिक विनिवेश के लिए अपनी सिफारिशें दी थीं। हालांकि, समिति ने फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में अपनी सिफारिशों को तब तक रखने का निर्णय लिया जब तक कि मंत्रियों की समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता।

मंत्रियों की समिति ने इस मुद्दे की व्यापक जांच करने के बाद सिफारिश की थी कि एचएएल, आईडीपीएल, आरडीपीएल और बीसीपीएल की अधिशेष भूमि को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से सरकारी एजेंसियों को अधिमानतः बेचा जाएगा और बिक्री आय से उनकी बकाया देनदारियों को पूरा किया जाएगा । इसमें सिफारिश की गई थी कि देनदारियों को पूरा करने के बाद आईडीपीएल और आरडीपीएल को बंद किया जाए और एचएएल और बीसीपीएल को रणनीतिक रूप से बेचा जाए। **28.12.2016** को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा

मंत्रियों की समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई थी। चूंकि सरकारी एजेंसियों से अधिशेष भूमि के लिए कोई बोलियां प्राप्त नहीं हुई थीं, इसलिए कैबिनेट ने अपने पूर्व निर्णय को 17.07.2019 को संशोधित किया और **14-06-2018** के संशोधित डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिशेष भूमि की बिक्री की अनुमति दी और अपने कर्मचारियों के हिस्से को लंबित वेतन और वीआरएस के भुगतान के लिए कंपनी को **280.15** करोड़ रुपये के ऋण के रूप में बजटीय सहायता भी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने परिसंपत्तियों की बिक्री और बकाया देनदारियों की मंजूरी सहित बंद करने /रणनीतिक बिक्री से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए मंत्रियों की एक समिति के गठन का निर्णय लिया । कंपनी ने पुणे स्थित अपने संयंत्र की अधिशेष भूमि का मूल्यांकन मै॰ एनबीसीसी लिमिटेड, अधिकृत भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के माध्यम से करवाया और उसके आधार पर मंत्रियों की समिति इसके निपटान के संबंध में शीघ्र ही निर्णय ले सकती है ।

क्रिटिकल एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स मैटेरियल्स (एपीआई) और की-स्टार्टिंग मैटेरियल्स (केएसएमएस) पर देश की उच्च निर्भरता को समझते हुए, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने हाल ही में **3000** करोड़ रुपये की योजनाएं देश में तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के साथ-साथ देश में महत्वपूर्ण केएसएमएस/इंटर्मीडीयरीस और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद आधारित प्रोत्साहन योजना के लिए **6940** करोड़ रुपये की योजना शुरू की है। एचएएल, जिसे वर्ष **1954** में पेनिसिलिन और अन्य थोक दवाओं का उत्पादन करने वाली थोक दवा निर्माता कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, देश में थोक दवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी के औपचारिक प्रस्ताव पर, यदि कोई हो, विभाग द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा। दो लाभ कमाने वाले पीएसयू केपीएल और बीसीपीएल के रणनीतिक विनिवेश के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए, विभाग की रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (**17**वीं लोकसभा) की सिफारिशों के आधार पर, माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) ने अलग से न केवल लाभ कमाने वाले पीएसयू केपीएल और बीसीपीएल बल्कि लाभ नहीं कमाने वाले पीएसयू एचएएल के संबंध में भी विनिवेश के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए उपाध्यक्ष, नीति आयोग और केंद्रीय वित्त मंत्री से **3**-7-2020 को व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है।

विभाग की इच्छा है कि फार्मा पी एस य को बरकरार रखा जाए देश में दवा सरक्षा सनिश्चित हो और इस संदर्भ में नीति आयोग से अनरोध किया गया है की विनिवेश के तहत तीन पीएसय के विलय की संभावना की जांच के लिए या तो आयोग स्वयं या किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराएं ।

5.8 नीति आयोग के विधिक दर्जे चंकि विभाग ने मौखिक साक्ष्य के दौरान कहा था कि एचएएल से जडे विभिन्न मददों हेत एचएएल से जडे विभिन्न मददों के लिए वह उनका परामर्श ले रहे हैं,के संबंध में समिति द्वारा स्पष्टीकरण मांगने पर विभाग के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित उत्तर दिया;

“यह एक ऐसा निकाय है जिसका काम सिफारिश करना है यहां तक की नीति आयोग की सिफारिश जिस पर वित्त मंत्रालय दवारा विचार किया गया था पर पांचवी पीएसयू केपीएल को भी रणनीतिक रूप से बेचने का निर्णय लिया गया “

5.9 सामान्य रूप से पीएसय और विशेष रूप से एचएएल के विनिवेश में नीति आयोग की भमिका और \ii\ क्या डस तरह के मदटों को स्वतंत्र रूप से तय करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय ने अर्थात, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को अधिकार नहीं दिया गया है,तो विभाग ने निम्नवत बताया:

“व्यावसायिक नियमों के आवंटन के अनसार. नीति आयोग को अन्य बातो के साथ राष्टीय विकास प्राथमिकताओं. क्षेत्रों और रणनीतियों की एक साझा दृष्टि को विकसित करने और रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम ढांचे और पहलों को डिजाडन करने का जनादेश दिया गया है। नीति आयोग विकास के एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मदटों के समाधान में एक महत्वपर्ण भमिका निभाता है। नीति आयोग की एक समिति ने अपने तत्कालीन उपाध्यक्ष की अध्यक्सता मे विभिन्न घाटे मे चलने वाले / बीमार / बेकार सीपीएसई की जांच करते हए. विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों को 'उच्च प्राथमिकता' या 'निम्न प्राथमिकता' के रूप में प्राथमिकता दी थी। डस तरह की प्राथमिकता के आधार पर. डसने अलग-अलग सार्वजनिक उपक्रमों में उनके पनरुदधार. बंद करने या विनिवेश के लिए अलग अलग कारर्वाई की सिफारिश की । हालाँकि. उक्त समिति ने फार्मा पीएसय के संबंध में अपनी सिफारिशें यथावत रखीं क्योंकि मंत्रियों की एक समिति उसी समय घाटे में चल रही फार्मा पीएसय (एचएएल सहित) की एक साथ जांच कर रही थी। प्रमख नीतिगत निर्णयों से जडे मदटों में. प्रशासनिक मंत्रालय अकेले निर्णय नहीं लेता है. अपित सार्वजनिक उपक्रम विभाग. निवेश विभाग और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन. वित्त मंत्रालय, आदि से जानकारी लेकर और उनकी सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाता है ”

5.10 यह पछे जाने पर किक्यों के ए पी एल को बेचने का निर्णय क्यों लिया गया. तो 18.08.2020 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर औषधि विभाग के सचिव ने निम्नानसार बताया: - “एक समिति का गठन किया गया था। मल रूप से. उन्होंने फैसला किया कि किस सार्वजनिक उपक्रम को जारी रखा जाना चाहिए और किसे बंद किया जाना चाहिए।

5.11 एक निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर देते हए कि क्या नीति आयोग के अनसार फार्मा रणनीतिक रूप से महत्वपर्ण विषय नही है,तो सचिव ने समिति के समक्ष 18.08.2020 को उपस्थित हो कर निम्नलिखित उत्तर दिया:

“यह नीति आयोग की रिपोर्ट है। उस समय. उन्होंने फार्मास्यटिकल्स क्षेत्र जिसे डस क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों के अस्तित्व की आवश्यकता है,फार्मा को शामिल नहीं किया था।पर यह है।

5.12 समिति के प्रश्न कि एचएएल को क्यों पनर्जीवित नहीं किया जा सकता है और क्या फार्मास्यटिकल विभाग को चल रही महामारी और लोगों के जीवन और आजीविका पर डसके प्रतिकल प्रभाव के मदटेनजर डसके पनरुदधार की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है, तो सचिव ने18.08.2020 को समिति के सामने उपस्थित हो कर निम्नलिखित उत्तर दिया: -

“देश में रसायन उदयोग बहत मजबत उदयोग है। हाल ही में. कोविद -19 महामारी के दौरान. हमने परी दनिया को एचसीक्य सहित कई आवश्यक दवाएं प्रदान की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एचसीक्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन हमने बताया कि हम इसे अपने देश में बना सकते हैं. और इसे परी दनिया को महैया करा सकते हैं। वही हम कर सके हैं। यहां तक कि टीकाकरण के संबंध में. भारत एक अग्रणी देश के रूप मे भमिका निभा रहा है। यह बात अन्य दवाओं चाहे यह पेरासिटामोल हो या कोई अन्य दवा .पर भी लाग होती है । लॉकडाउन के दौरान भी. हमने एक भी यनिट को परी तरह से बंद नहीं होने दिया। हमने परे देश को और परी दनिया को भी दवाइयां प्रदान की हैं। हमारे उदयोगों में कल विनिर्माण 3.00.000 रुपये के आसपास है जिस में से लगभग 50 प्रतिशतअर्थात. 1.50.000 करोड रुपये का निर्यात किया गया।परा यरोप. अमेरिका. कनाडा और यहां तक कि दक्षिण अमेरिका भी जीवन रक्षक दवाओं के लिए हम पर निर्भर हैं। इस प्रकार. मैं परी तरह से सहमत हूँ, कि फार्मास्युटिकल क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और हम किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं हो सकते हैं।

1990 के दौरान यही हआ था। मैं किसी देश का नाम नहीं लंगा लेकिन कछ देशों ने रणनीतिक रूप से एपीआई को देखना शरू कर दिया है जो आवश्यक दवाओं के लिए बहत महत्वपर्ण हैं। फिर. उन्होने प्रोत्साहन और निर्यात राजसहायता देने के माध्यम से उन बडे उदयोगों को प्रोत्साहित करना शरू कर दिया। उन्होंने उन देशों में बहत सस्ते दरों पर एपीआई का निर्माण करना शरूकिया। इसलिए. यहां तक कि जो कंपनियां इन कंपनियों का निर्माण कर रही थीं. उन्होनेइसके निर्माण को रोकदिया थाऔर आगे उनका आयात करना शरु कर दिया था । अन्य. जो निजी क्षेत्र की कंपनियों से एपीआई खरीद रहे थे और एचएएल ने उनसे खरीद बंद कर दी थी. और चीन से इसका आयात शरू कर दिया था। इसलिए. हम उन पर गंभीर रूप से निर्भर हो गए हैं। 1990 में ऐसा हआ था। उस संबंध में कई रिपोर्टें आईं और कई समितियां गठित हईं। ऐसा नहीं है कि हम सभी प्रकार के एपीआई के लिए उन पर निर्भर हैं। एपीआई की सन्ख्या 1200-1300 से अधिक हैं जिनमें से हम 500 से अधिक एपीआई का निर्माण करते हैं. और बहत थोडी एपीआई का आयात करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम 58 एपीआई की आवश्यक दवाओं के लिए गंभीर रूप से एक देश पर 80 से 100 प्रतिशत तक निर्भर हैं। जब मैंने कार्यभार सम्भाला. तो पहले से ही बहत सारी कमेटी की रिपोर्टें थीं. और विभाग ने यह अभ्यावेदन किया था कि हमें तरंत सहमति देनी चाहिए और इसके बारे में कछ करना चाहिए। हम उसके लिए दसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए. मझे सही अधिकारियों के सामने प्रस्तति देने का अवसर मिला और मझे योजना तैयार करने के लिए कहा गया। हमने स्कीम तैयार कर ली है। मैं माननीय समिति कोआश्वासन दे सकता हं कि इन एपीआई के संबंध में हमें दो साल के भीतर यथोचित रूप से आत्मनिर्भर हो जायेंगे। यह वह योजना है जिसे हम सामने लेकर आये हैं। मझे 53 एपीआई हेत उत्पादन लिंक्डेंट (पीएलआई) योजना के लिए कल 6.700 करोड रुपये और तीन बल्क इग पार्क लगाने के लिए 3.000 करोड रुपये मिले हैं । ये पार्क वे पार्क होंगे जहां कोई जा सकता है, अपना पैसा लगा सकता है और एपीआई में निवेश कर सकता है

उन्हें एक स्थान पर सभी सविधाएं दी जाएंगी. जहां पानी की आवश्यकता होती है. 24/7 बिजली की आवश्यकता होती है. प्रयोगशाला परीक्षण की आवश्यकता होती है. और कछ अन्य सविधाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए. हम इसको शामिल कर रहे हैं। हम एक और काम कर रहे हैं। एपीआई के लिए अनसंधान और विकास हमारे देश में बहत मजबत नहीं है। इसलिए. इन सभी बल्क इग पार्कों में उत्कष्टता का एक केंद होना चाहिए. जहां निरंतर अनसंधान किया जा सके। हमने यह योजना पहले ही शरू कर दी है. और 13-14 राज्य पहले ही आ चके हैं। लेकिन राज्यों का चयन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए, हमने तय किया है कि जो राज्य कम बिजली दरों, कम पानी के शुल्क,

जमीन के पटटे के कम किराए के रूप में निवेशकों को सबसे अच्छी सुविधाएं और लाभ देंगे, उन्हें रैंकिंग के आधार पर चुना जाएगा। इसलिए, यह योजना आ रही है।

जैसा कि पीएलआई योजना. किण्वन-आधारित उत्पादन में. हमने चीन और भारत के बीच लागत के अंतर की गणना की। उनकी नीति के कारण ही हमारी लागत अधिक है। हमें पता चला कि लागत अंतर 15-23 प्रतिशत के बीच है। डसलिए. हमने तय किया है कि हम सभी वदधिशील उत्पादन पर 20 प्रतिशत का प्रोत्साहन देंगे। यह एक बहत ही आकर्षक योजना है। जैसा कि रासायनिक-आधारित उत्पादन के संबंध में. हमने फिर से लागत की गणना की. तकनीकी समितियों की स्थापना की गई. और सभी उदयोगों से परामर्श किया गया। डसलिए. यदि हम डसका निर्माण पिछड़े एकीकरण के साथ करते हैं तो हम इनवॉइस मूल्य पर 10 प्रतिशत प्रोत्साहन देने जा रहे हैं। "

5.13 फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव ने आगे कहा:

मारे सार्वजनिक उपक्रमों की समस्याएं दो हैं। एक है. एचएएल को समस्या थी क्योंकि चीन में कीमतें कम थीं. वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे और उन्हें संयंत्र बंद करना पड़ा था। यही एक कारण था। वे तुरंत किसी भी वैकल्पिक कदमो की घोशणा

नहीं कर सकते थे और कछ अन्य क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे थे. विनिर्माण कर रहे थे और कंपनी को जीवित रख रहे थे । जैसा कि आपने उल्लेख किया है. चार-पांच बार उन्हें प्रोत्साहन और पैकेज दिए गए थे. लेकिन वे कंपनी को जीवित नहीं रख सके। उसके दो कारण हैं। एक तो यह कि भारत में निजी क्षेत्र तेजी से बढा है। वे लागत प्रभावी तरीकों. स्वचालन और अन्य चीजों के साथ सामने आए हैं जो एचएएल नहीं कर सका: न केवल एचएएल. बल्कि अन्य सार्वजनिक उपक्रम भी ऐसा नहीं कर सके। यही एक कारण था। फिर. एक समिति का गठन किया गया। कैबिनेट ने फैसला किया कि सभी सार्वजनिक उपक्रमों को या तो बंद करना होगा या उनका रणनीतिक रूप से विनिवेश करना होगा। एचएएल उनमें से एक है। जब हम कोविद -19 महामारी के दौरान एक समीक्षा कर रहे थे. उस समय हम काफी दबाव में थे. क्योंकि हम जानते थे कि एपीएल की आपर्ति की समस्या और कछ अन्य समस्या है। डसलिए. हमारे स्तर पर. हमने अपने माननीय मंत्री के साथ चर्चा की कि हमारे पास कम से कम. एक सार्वजनिक उपक्रम ऐसा होना चाहिये जिस पर आवश्यकता पडने पर भरोसा किया जा सके। डसीलिए. सिर्फ एक महीने पहले. हमने नीति आयोग को लिखा हैऔर हमारे माननीय मंत्री ने वित्त मंत्री को भी लिखा है कि डस पर पनर्विचार करने की आवश्यकता है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हं कि समिति ने सझाव दिया है कि वे कौन से रणनीतिक क्षेत्र हैं जहां पीएसय की आवश्यकता है। डसे स्वीकार कर लिया गया है और तदनसार तीन मंत्रियों की हमारी समिति ने विनिवेश करने या उन्हें बंद करने का फैसला किया। डसलिए. हमें उन पर विचार करना होगा। हम उनसे डस पर फिर से विचार करने के लिए कहेंगे। हमने वित्त मंत्री से भी डस पर दोबारा विचार करने को कहा। यदि वे डस पर दोबारा गौर करते हैं. तो हम उसके अनसार निर्णय लेंगे। अन्यथा. मझे डस पीएसय को बंद करने के लिए जो निर्णय लिया गया है उसे बदलने के लिए फिर से कैबिनेट में जाना होगा। हम डेटा तैयार कर रहे हैं कि यह कैसे आवश्यक है. एचएएल की भमिका क्या होनी चाहिए आदि। विलय भी एक विकल्प है।

हम उनसे पछ रहे हैं कि हम डस तरह से कैसे काम कर सकते हैं कि फार्मास्युटिकल्स सेक्टर में कम से कम एक पीएसयू हो जो आवश्यकता पड़ने पर वापस आ जाए।

5.14 समिति ने दिनांक 18-08-2020 को आयोजित साक्ष्य के दौरान "घाटे मे चल रही सीपीएसयू की समीक्षा" से सम्बंधित नीति आयोग के बारे मे समिति के 24वे प्रतिवेदन मे शामिल की गयी निम्नलिखित सिफारिश की ओर डीओपी के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया:

"समिति का कहना है कि निवेश में चल रही सार्वजनिक उपक्रमों की बढती संख्या के मददेनजर सरकार ने अपने बजट (2016-17) की घोषणा में नीति आयोग को ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान करने और उनकी रणनीतिक बिक्री. विनिवेश या बंद करने के लिए सिफारिशें देने का काम सौंपा था। । समिति यह भी नोट करती है कि पीएसय के लिए डीपीई नोडल विभाग होने के साथ-साथ प्रत्येक पीएसय के प्रशासनिक मंत्रालयों को क्रमशः उनके बीमार पीएसय की पहचान करने और उनके लिए पनर्गठन योजना तैयार करने का काम सौंपा जा रहा है. इन प्रदर्शन में कोई महत्वपर्ण प्रगति नहीं देखी जा सकी है। प्रमख क्षेत्र के मोडन। इसलिए. अब नीति आयोग पीएसय की रुग्णता की जांच कर रही है और परी तरह से उनके बंद होने / विनिवेश / बिक्री आदि की सिफारिश कर रही है। समिति को आशा है कि नीति आयोग को पीएसय के नकसान की सिफारिश करने के लिए जनादेश दिया गया हैऔर देश के सरकारी उपक्रमों के वित्तीय स्वास्थ्य को विनियमित करने और उसकी निगरानी करने के लिए बहत जरूरी नीति. जो एक शीर्ष-प्रबंधन \ प्रबंधन. कर्मचारियों के कल्याण पर जोर देती है हैऔर कंपनियों में अतिरिक्त ओवरहेड व्यय पर नियंत्रण करती है ,तैयार कर रहा होगा और समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में अवगत कराया जाये । "

5.15 समिति ने दिनांक 18-08-2020 को आयोजित साक्ष्य के दौरान "घाटे मे चल रही सीपीएसय की समीक्षा" के बारे मे समिति के 24वे प्रतिवेदन मे शामिल की गयी निम्नलिखित सिफारिश की ओर डीओपी के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया:

डीपीई दवारा दी गई जानकारी से समिति ने ध्यान किया कि घाटे मे चल रही 79 सीपीएसय में से (2015-16 तक). नीति आयोग ने 36 सीपीएसय का रणनीतिक रूप से विनिवेश किये जाने की सिफारिश की है। जिसमें से. सरकार ने 24 सीपीएसय या उनकी इकाइयों के रणनीतिक विनिवेश के लिए सरकार ने सिदधांत रूप मे मंजरी दे दी है। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि इन 24 सीपीएसय में से केवल 8 सीपीएसय को ही घाटे मे चल रही सीपीएसय बनाने की सची में दिखाया गया है जो संकेत करता है कि विनिवेश के लिए चनी गयी अधिकांश सीपीएसय वास्तव में लाभकारी संस्था हैं। समिति को सचित किया गया कि रणनीतिक क्षेत्रों को छोडकर सभी सीपीएसय रणनीतिक विनिवेश के लिए पात्र हैं। हालांकि. रणनीतिक क्षेत्र कौन से माने जाते है.के सम्बंध मे समिति के समक्ष अलग-अलग राय व्यक्त की गई थी। नीति आयोग का विचार था कि राष्टीय सरक्षा उददेश्य. संप्रभ या अर्ध-संप्रभ कार्यों को रणनीतिक 'सीपीएसय के रूप में वर्गीकत किया जा सकता है और इसे सरकार दवारा बनाए रखा जाना चाहिए। भारी उदयोग विभाग (DHI) का विचार था कि CPSU आवश्यक वस्तओं और सेवाओं को प्रदान करते हैं और पेटोल. बिजली. इस्पात. खनन और परिवहन क्षेत्रों में प्रमख बाजार महत्व रखते हैं. जो 'रणनीतिक' हैं। भारत पेटो रिसोर्सेज लिमिटेड (BPRL). भारत पेटोलियम कोर्प लिमिटेड (BPCL) की पर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जो भारत में तेल और गैस की खोज में लगी है और विदेशों में राष्टीय नीति का समर्थन कर रही है. खद को एक 'रणनीतिक' सीपीएसय मानती है। MTNL और BSNL. जो दरसंचार क्षेत्र में काम कर रहे हैं. खद को 'रणनीतिक' महत्व का मानते हैं।विनिवेश आयोग ने सीपीएसय को वर्गीकत किया है जो "रणनीतिक" श्रेणी में संचालित होता है जैसे (i) हथियार और गोला-बारूद. और रक्षा उपकरण. रक्षा विमान और यदधपोत. (ii) परमाणु ऊर्जा, (iii) अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों की सूची संबद्ध वस्तुएँ। परमाणु ऊर्जा (उत्पादन और

उपयोग का नियंत्रण) आदेश 1953. और (iv) रेलवे परिवहन। इसके अलावा. NIPFP. एक विशेषज्ञ संगठन जिसने समिति के सामने साक्ष्य दिया था. का मानना है कि सीपीएसय जो रक्षा उपकरणों के उत्पादन या परमाण ऊर्जा उत्पादन से संबंधित महत्वपर्ण कार्य कर रहे हैं. रणनीतिक हैं। समिति यह जानकर हैरान है कि 'रणनीतिक' की परिभाषा निर्धारित करने से पहले नीति आयोग ने सरकारी उपक्रमो के साथ कोई परामर्श नहीं किया था। आयोग. अपने स्वयं के प्रस्ततिकरण के अनसार. वर्ष 1997 में प्रदान की गई परिभाषा पर निर्भर करता है जो पर्ववर्ती विनिवेश आयोग और 14 वें वित्त आयोग दवारा दी गई थी। समिति इस बात से चिंतित है कि लगभग दो दशक पहले तय किए गए मानदंडअभी भी इस उददेश्य की पर्ति कैसे करेंगे. खासकर तब जब सरकार की / विभागों से मौखिक रणनीतिक 'की परिभाषा पर अलग-अलग राय सामने आ रही हो। समिति इस प्रकार यह महसस करती है कि. सरकार की स्थिति में स्वयं सीपीएसय को 'रणनीतिक' के रूप में वर्गीकत करने के लिए एक समान अभ्यास नहीं होने के कारण. उनके लिए किसी भी निष्कर्ष पर पहंचना मश्किल होगा कि क्या किसी विशेष सीपीएसय को सरकार दवारा बंद. या बंद रखा जाना है। वापस ले ली। ऐसे परिदृश्य में. समिति सरकार को मापदंडों की एक समान परिभाषा / मापदंडों पर काम करने की सिफारिश करती है। खासकर तब जब सरकार की सीपीएसय / विभागों से रणनीतिक की परिभाषा पर अलग-अलग राय सामने आ रही हो। समिति इस प्रकार यह महसस करती है कि. सरकार की स्थिति में स्वयं सीपीएसय को 'रणनीतिक' के रूप में वर्गीकत करने के लिए एक समान अभ्यास नहीं होने के कारण. उनके लिए किसी भी निष्कर्ष पर पहंचना मश्किल होगा कि क्या किसी विशेष सीपीएसय को सरकार दवारा बंद. या बंद रखा जाना है। वापस ले ली। ऐसे परिदृश्य में. समिति सरकार को मापदंडों की एक समान परिभाषा / मापदंडों पर काम करने की सिफारिश करती है। खासकर तब जब सरकार की CPSUs / विभागों से की परिभाषा पर अलग-अलग राय सामने आ रही हो। समिति इस प्रकार यह महसस करती है कि. सरकार की स्थिति में स्वयं सीपीएसय को 'रणनीतिक' के रूप में वर्गीकत करने के लिए एक समान मानदंड नहीं होने के कारण. उनके लिए किसी भी निष्कर्ष पर पहंचना मश्किल होगा कि क्या किसी विशेष सीपीएसय का सरकार दवारा विनिवेश किया जाना है . बंद किया जाना है या रखा जाना है। ऐसे परिदृश्य में. समिति सरकार को मापदंडों की एक समान परिभाषा / मापदंड तैयार करने की सिफारिश करती है।

5.16 24 वीं रिपोर्ट में समिति की उपर्यक्त सिफारिशों पर प्रतिक्रिया देते हए. 18.08.2020 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर औषध निर्माण विभाग के सचिव निम्नवत बताया : -

"मैडम उस संबंध में. हमने लिखने का फैसला किया। मैंने अपने माननीय मंत्री जी से निवेदन सम्मान किया था।. यही हमें लिखने की जरूरत है क्योंकि संकट के समय में. हमें कम से कम. एक पीएसय तो रखना होगा। अब. चाहे वह एक हो . दो हो या तीन: मैंने फैसला नहीं किया है। हम निर्णय कर सकते हैं। हमें तीनों को मिलाना चाहिए और इसे एक बहत मजबत एक सरकारी उपक्रम बनाना चाहिए. ताकि आप एक साथ दो अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की क्षमता का उपयोग कर सकें: या आप दो अन्य को अलग-अलग रख सकते हैं। इसे अलग से करें। लेकिन हमारी इच्छा है कि हमें एक पीएसय की आवश्यकता है। मैडम. अब. आप कह रहे हैं कि हमे नीतिआयोग को अलग रखना चाहिए। मैडम. हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमे उनकी मदद की आवश्यकता है। नीति आयोग के साथ पहले ही परसो मेरी एक बैठक हो चुकी है। और मैंने अपनी मदद करने का अनुरोध किया है। "

5.17 समिति की इस आशंका के जवाब में कि भारतीय फार्मा क्षेत्र में बहराष्टीय कंपनियों का वर्चस्व. विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धी के कारण एपीआई बनाने वाली कई भारतीय फार्मा कंपनियों के विनिर्माण

उदयोग को बंद करना. आदि घटनाये फार्मा उदयोग के लिए अच्छा नहीं हैऔर डस दिशा मे सधारात्मक कार्रवार्ड की आवश्यकता के संबंध में, 18.08.2020 को समिति के समक्ष उपस्थित सचिव, डीओपी ने निम्नानुसार बताया: -

“हम आपसे केवल सहमत ही हो सकते हैं. मैडम। जहां तक डस पहल का संबंध है. केवल एक पीएसय् होना ही चाहिए. जो हमें मुश्किल समय से उबारने में मदद करे। हमने भी उसी समय तय किया। यही हम चाहते हैं। "

5.18 समिति के विशिष्ट प्रश्न का जवाब देते हए कि एचएएल की 'रणनीतिक बिक्री' का टैग कैसे चलेगा. 18.08.2020 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर औषध निर्माण विभाग के सचिव ने निम्नानुसार बताया: -

"मैडम. मझे कैबिनेट में वापस जाना है: और डसके लिए हमें कछ कागजात चाहिए। हमें नीति आयोग के साथ काम करना है. और हम काम करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था. हमने उन्हें लिखा है. और हमारी एक बैठक हर्ड है उनके साथ भी। माननीय मंत्री भी संबंधितों के साथ एक बैठक करेंगे। हमने उनसे अनरोध किया है। हम देखेंगे. मैडम। हमारे पास अलग रणनीति है। लेकिन मददा यह है कि हमें सामरिक क्षेत्र में 'फार्मास्यूटिकल्स को शामिल करने पर सहमत करना होगा' । ' हमें उन्हें बताना होगा। ”

5.19 डस तथ्य को ध्यान में रखते हए (i) एमटीएनएल और बीएसएनएल को 'रणनीतिक रूप से महत्वपर्ण' के रूप में वर्गीकत किये जाने के मददेनजर उनका लगातार घाटे मे चलना. (ii) विनिवेश आयोग दवारा कछ क्षेत्रों जैसे हथियारों और गोला-बारूद. और संबदध मद रक्षा उपकरण. रक्षा विमान और यदधपोत. परमाण ऊर्जा. अनसची में निर्दिष्ट खनिज. रेलवे परिवहन.मे प्रचालनरत पीएसय का रणनीतिक रूप से महत्वपर्ण केरूप मे वर्गीकरण (iii) एनआईपीएफपी / एनआईपीपी के विचार हैं कि जो सीपीएसय रक्षा उपकरण और परमाण ऊर्जा उत्पादन के उत्पादन से संबंधित महत्वपर्ण कार्य कर रहे हैं.रणनीतिक रूप से महत्वपर्ण हैं।. समिति ने यह जानना चाहा है कि क्या 'फार्मा सेक्टर' को भी रणनीतिक घोषित किया जाना चाहिए तो 18.08.2020 को आयोजित साक्ष्य के दौरान औषधि निर्माण विभाग के सचिव ने निम्न उत्तर दिया: -

“हम बता रहे हैं कि हमें एक पीएसय की आवश्यकता है. हम जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। हमारा विचार है कि हमें एक सार्वजनिक उपक्रम की आवश्यकता है और महत्वपर्ण समय में. हम उनका उपयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि हमने लिखा है।हमारे माननीय मंत्री ने माननीय वित्त मंत्रीको लिखा है और नीति आयोग को भी। डसलिए. हम डस बात से सहमत हैं कि हमारे पास एक पीएसयू होना चाहिए, जिस पर हम भरोसा करते हैं ... हां, हम सोचते हैं कि यह रणनीतिक महत्व का है

5.20 आगे और स्पश्टीकरण देते हुए , सचिव, फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने इस प्रकार बताया है:

जी मैडम". मैं सिर्फ यह स्पष्ट करना चाहता था। आपने अभी नीति आयोग को जोडा है। दरअसल. जब नीति आयोगने डन विचार किया पीएसय पर 79 या 74. तो उन्होंने फार्मा पीएसय पर भी विचार किया. लेकिन उन्होंने फार्मा पीएसय की सिफारिश नहीं की क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी प्रस्तति में उल्लेख किया है. उस समय ग्रप ऑफ मिनिस्टर्स. एक उच्च निकाय फार्मा पीएसयू के मामले को देख रहा था। इसलिए, हमारे मामले में निर्णय केबिनेट द्वारा

अनुमोदित मंत्रियो की एक समिति का है ।

5.21. औषध निर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए औषध निर्माण विभाग दवारा शरू की गई बल्क डग्स पार्क स्कीम जैसी प्रोत्साहन योजनाओं का उल्लेख करते हुए समिति ने यह जानना चाहा कि क्या एच एल एल को योजनाओं में भागीदार विशेष रूप से इस बात के मददेनजर कि सीपीएसय पर रणनीतिक बिक्री का टैग लगा हुआ है. बनने की अनमति दी जाएगी तो , तो विभाग के सचिव ने दिनांक 18 2020 को आयोजित साक्ष्य के दौरान इस प्रकार बताया

मैंने इस पीएसय का विस्तार सेअध्ययन किया है सार्वजनिक उपक्रमों विशेषकर फार्मास्यटिकल पीएसय की समस्या यह है कि हम चाहे उनको राज सहायता अथवा निवेश के लाभ प्रदान कर दें फिर भी वे निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने मैं समर्थ नहीं है मान लीजिए वेपीएल आडसक्रीम को लेते हैं मैं भी शामिल हं मैडम क्या बे अपने उत्पादन की लागत को निजी क्षेत्र के बराबर या उससे कम रख सकते हैं। यह हमारा अनभव है उनको निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी मैंने पहले ही पीएलआई स्कीम में एक प्रावधान किया है कि सरकार कतिपय एपीआई का विनिर्माण करने के लिए उनको परियोजना दे सकती है। हमने सकते हैं इसलिए लिखा क्योंकि हमें इस क्रम को पलटना है हम नीति आयोग को लिखा है यदि वे इसे पलट दे तो हम उनको दे सकते हैं कोई समस्या नहीं है निवल मल्य का पहल और अन्य पहलओं को भी देखा जा सकता है यह कोई बडी समस्या नहीं है हमारी सबसे बडी समस्या यह है क्या एच ए एल निजी क्षेत्र के साथ उतनी ही प्रतिस्पर्धात्मक रूप से और दक्षता पूर्ण ढंग से विनिर्माण कर सकेगी?

5.22 पनरुदधार के लिए एचएएल की व्यावसायिक योजना को प्रस्तत करने का उल्लेख करते हुए. समिति ने इस सम्बंध मे विभाग दवारा की गई कार्रवाई के बारे मे पूछे जाने पर विभाग के सचिव ने 18.08.2020 को दिए गए साक्ष्य के दौरान इस प्रकार बताया है: -

"वास्तव में. समस्या यह है। यहां तक कि यदि. मान लीजिए. हम उन्हें देना चाहते हैं. तो उन्हें 800 करोड रुपये या 900 करोड रुपये की आवश्यकता होगी। यही वे बता रहे हैं। वे उदाहरण के लिए एपीआई का निर्माण करना चाहते हैं। उन्हें उतने पैसे की आवश्यकता है। दसरी बात. उनका शदध मल्य नकारात्मक है। तो. कोई भी बैंक उन्हें ऋण नहीं देगा। वास्तव में. उन्होंने बैंकों को ऋण का भगतान नहीं किया है। अब. कोई भी बैंक उन्हें ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए. आपको पहले एक निर्णय लेना होगा कि इसे रणनीतिक रूप से नहीं बेचा जाना चाहिए। यही कारण है कि. हम कहते हैं कि कछ अधिशेष भमि बेची गई है। उनके पास पैसा हो सकता है। हमने उनसे पछा है कि जिस भमि की आवश्यकता नहीं है, कृपया उसे बेच दें। वह पैसा वहांआता है। आप इस परियोजना को अपना सकते हैं। "

ग. भारतीय औषधि निर्माण उद्योग में केंद्रीय सरकारी उपक्रम

5.23 औषध निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 5 केंदीय सरकारी उपक्रम सीपीएसय आते हैं सरकार ने दो पीएसय अर्थात इंडियन डग्स एंड फार्मास्यटिकल्स लिमिटेड आईडीपीएल राजस्थान डग्स एंड फार्मास्यटिकल्स लिमिटेड आरडीपीएल को बंद करने और शेष तीन पीएसय अर्थात हिंदस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड एच ए एल बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यटिकल्स लिमिटेड बीसीपीएल और कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यटिकल्स लिमिटेड केपीएल की रणनीतिक बिक्री करने का निर्णय लिया है। इन सरकारी उपक्रमों का सारांश इस प्रकार हैं

(विभाग के केंद्रीय सरकारी उपक्रमो का सारांश) (दिसम्बर 2019 को)

	एच ए एल	**आई डी पी एल**	**आरडीपीएल**	**बीसीपीएल**	**केएपीएल**
मे स्थापित	1954	1961	1978	1981	1981
वर्गीकरण	रुग्ण	रुग्ण	प्रारम्भिक रूप से रुग्ण	रुग्ण(अब लाभ मे)	अब लाभ मे
निवल मूल्य(करोड रुपय मे)	-430.58	-7626.58	-76.88	-66.78	179.58
कारोबार (करोड रुपय मे)	66.85	33.96	शून्य	100.50	360.36
प्रचालन लाभ/हानि(करोड रुपय मे)	-38.30	-13.25	तूलन पत्र को अंतिम रूप नही दिया गया	25.26	25.23
देयताये(करोड रुपय मे)	806.82	7812	114 करोड	208.92	168.81
कर्मचारियो की संख्या	918	15	128	195	658
अधिकारी स्तर	174	3	12	51	225
कामगार स्तर	744	12	116	144	433
कुल जमीन	263.77 एकड	1815.048 एकड	9.35 एकड	72.89 एकड	40.34 एकड
लीजहोल्ड	शून्य	833.878 एकड	9.35 एकड	1.10 एकड	शून्य
फ्रीहोल्ड	263.57 एकड	981.17 एकड	शून्य	71.79 एकड	40.34 एकड

घ औषध निर्माण संबंधी केंद्रीय सरकारी उपक्रमों के बारे में केबिनेट निर्णय

क. मंत्रियों की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल ने दिनांक 28 12 2016 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि

एक. एच ए एल. आर्ड डी पी एलआरडीपीएल और बीपीसीएल की उतनी ही अधिशेष भमि को खली प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से सरकारी एजेंसियों को बेची जाएगी जितनी कि उनकी देनदारियों को परा करने के लिए आवश्यक है और बकाया देनदारियां बिक्री से होने वाली आय से चकार्ड जाएंगी स्वैच्छिक रूप से नौकरी त्याग योजना /स्वैच्छिक सेवानिवत्ति योजना भी डन सरकारी उपक्रमों के बंद करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए डनमें कार्यान्वित की जाएं। जमीनों के शेष भाग का प्रबंधन निवेश निवेश और सरकारी परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग डीआर्डपीएएस और लोक उदयम विभाग डीपीर्ड के डस संबंध में दिशा निर्देशों के अनरूप किया जाए और आवश्यकता पड़े तो इस प्रयोजन हेतु सृजित एसपीवी में उनका निवेश किया जाए

दो. देनदारियों सखाने के बाद तलन पत्र दरुस्त करने के बाद और स्वैच्छिक रूप से नौकरी त्यागने की योजना /स्वैच्छिक सेवानिवत्ति योजना लाग करने के बाद विभाग आर्डडीपीएल और आरडीपीएल और एचएल और बीपीसीएल को बंद करें और रणनीतिक विक्री हेतु उन्हें प्रस्तुत करें

तीन. सरकारी उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लेते समय विभाग एचएएल और आर्डडीपीएल की सहायक कंपनियों के लिए निजी भागीदारी हेतु जहां कहीं भी व्यवहार्य पाई जाए ,उनका विभाजन करने की संभावना भी तलाशे

ख. सखी अधिशेष भमि हेत सरकारी एजेंसियों से कोर्ड बोली प्राप्त नहीं हर्ड तो केंदीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 17 साथ 2019 को अपनी पहले के निर्णय में संशोधन किया और दिनांक 14 6 2018 के संशोधित डीपी दिशा निर्देशों के अनुसार अधिशेष भूमि की बिक्री किए जाने की अनुमति प्रदान की और कर्मचारियों की देयताओं

ब्रैकेट गैर भुगतानशुदा वेतन 158 .35 करोड +वीआरएस हेतु 172 करोड़ रूपए ब्रैकेट बंद

के भुगतान हेतु 330 पॉइंट 35 करोड रुपए ऋण के रूप में बजट सहायता निम्नानुसार प्रदान की

क. आईडीपीएल-6.50 करोड़ रूपए

ख. आर डी पी एल-43.70करोड रुपए

ग. एच ए एल-280.15करोड रुपए

मंत्रिमंडल ने परिसंपत्तियों की बिक्री और बकाया देवताओं को चकाने सहित बंद करने/रणनीतिक बिक्री से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए एक मंत्रियों की समिति का गठन करने का भी निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है

ग. पथक रूप से. आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति सीसीर्डए ने दिनांक 1-11 -2017 को आयोजित अपनी बैठक में के एपीएल में भारत सरकार की शत प्रतिशत हिस्सेदारी का रणनीतिक विनिवेश किए जाने को सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया

वर्तमान में निर्णय पर रोक लगी हुई है क्योंकि यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है

घ. डसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 20-11-2019 को औषध निर्माण सरकारी उपक्रमों को अंतिम रूप से बंद किए जाने ऑब्लिक रणनीतिक विक्री किए जाने तक फार्मास्यूटिकल खरीद नीति पीपीपी के विस्तार को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

अध्याय-छह

स्वदेशी उत्पादन की आवश्यकता

क. फार्मास्युटिकल उद्योग: एक स्वस्थ राष्ट्र का मूल आधार

6.1 वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग का सालाना कारोबार करीब 2,58,534 करोड़ रुपये रहने का अनुमान था। वर्ष 2018-19 के लिए थोक दवाओं, ड्रग इंटरमीडिएट और ड्रग फॉर्मूaलेशन, बायोलॉजिकल्स के निर्यात मे हिस्सेदारी 1,28,0282 करोड़ रुपये थी। भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग टीकों, एपीआई और तैयार उत्पादों सहित दवाओं की वैश्विक आपूर्ति के महत्वपूर्ण प्रतिशत की आपूर्ति करता है। भारत की वैश्विक निर्यात मे 20% हिस्सेदारी है। भारत के फार्मा निर्यात में मुख्य रूप से दवा फॉर्मूलेशन और बायोलॉजिकल्स 77% और बल्क ड्रग्स और इंटरमीडिएट 21% तक शामिल हैं।

ख. आयात पर अत्यधिक निर्भरता से बचना

6.2 आयात निर्भरता: थोक दवाएं: थोक दवाएं/एपीआई फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास की बुनियाद हैं। फार्मा क्षेत्र के भविष्य की वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण बल्क दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की हमारी क्षमता और निरंतर अनुसंधान तथा आपात स्थितियों के दौरान उनके विनिर्माण को जारी रखने की हमारी क्षमता पर निर्भर है । वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, देश के कुल फार्मा आयात मे थोक दवाओं का हिस्सा 63% (3.41 अरब डॉलर) था । भारत मुख्यतः आर्थिक आधार पर थोक दवाओं का आयात करता है।

6.3 **पिछले 10 वर्षों में थोक दवाओं के आयात और निर्यात के आंकड़े:**

		(यूएसडी बिलियन)
वर्ष	**निर्यात**	**आयात**
2009-2010	3.52	2.15
2010-2011	3.62	2.57
2011-2012	4.44	2.96
2012-2013	4.23	3.19
2013-2014	3.61	3.15
2014-2015	3.56	3.25
2015-2016	3.59	3.25
2016-2017	3.38	2.74

2017-2018	3.54	2.99
2018-2019	3.91	3.56
2019-2020	3.88	3.41

6.4 <u>आयात निर्भरता: चिकित्सा उपकरण:</u>

चिकित्सा उपकरण उद्योग अत्यधिक पूंजी प्रधान है जिसमें अत्यधिक समय लगाने की आवश्यकता होती है जिसमें कि नई प्रौद्योगिकियों को निरंतर शामिल करना, नई प्रौद्योगिकियों के अनुकूल स्वास्थ्य प्रदाताओं का निरंतर प्रशिक्षण, अच्छी तरह से विकसित पारिस्थितिकी प्रणाली और नवाचार चक्र जिसे अभी तक भारत में पूरी तरह से विकसित किया जाना है, शामिल हैं । उद्योग 86% तक आयात पर निर्भर करता है। घरेलू विनिर्माण सर्जिकल, कार्डियक स्टेंट और सामान्य चिकित्सा उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों के उत्पादन तक सीमित है।

6.5 डीओपी द्वारा प्रस्तुत पिछले पांच वर्षों के दौरान चिकित्सा उपकरणों के आयात के आंकड़े इस प्रकार हैं:-

चिकित्सा उपकरणों का आयात	
	करोड़ रुपये में
2015-2016	26779
2016-2017	28688
2017-2018	32155
2018-2019	39861
2019-2020	41412

6.6 **डीओपी डेटा के अनुसार उपकरणों के आयात का सेगमेंट वार शेयर (2019-2020)**

उपकरणों के आयात का सेगमेंट -वार शेयर (2019-2020)	
	%
इंप्लांट्स	7
आईवीडी रीजेंट	9
सर्जिकल उपकरण	10

कंजूमेबल्स और डिस्पोजेबल उपकरण	18
इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण	56

6.7 **फार्मा क्षेत्र में निम्नलिखित चुनौतियां हैं :**

(i) एपीआई/बल्क ड्रग्स: आयात निर्भरता

(ii) चिकित्सा उपकरण: आयात निर्भरता

(iii) अनुसंधान और विकास कौशल: दवा की खोज पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है

6.8 एचएएल ने अपनी बीमारी के कारणों के बारे में पूछे जाने पर अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में पेंसिलिन, विटामिन, अन्य जीवन रक्षक दवाओं का निर्माण करने वाली कई कंपनियां चीन से आयात के कारण बंद हो गई हैं जहां कि बिजली, फर्नेस तेल आदि जैसी आवश्यक चीजों की लागत कम होने के कारण विनिर्माण की लागत बहुत कम है । फार्मास्युटिकल विभाग ने इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए बताया :-

"विभाग इस आशंका से सहमत है कि सस्ते आयात के कारण भारत में कुछ एपीआई विनिर्माण अव्यवहार्य हो गए हैं। पेंसिलिन और अन्य जीवन रक्षक औषधियों जैसी औषधियों के संबंध में चीन पर निर्भरता अधिक है । इस निर्भरता को दूर करने के लिए, विभाग ने जनवरी, **2020** में औषधि सुरक्षा पर एक समिति बनाई थी। उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर, विभाग ने देश में तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए **3000** करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के साथ-साथ देश में खराब स्थिति वाले केएसएमएस/इंटरमिडियरीस और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्ट लिंक्ड इनसेनटिव स्कीम के लिए **6940** करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं शुरू की हैं।"

6.9 पिछले **10** वर्षों में पड़ोसी देश चीन से आयातित पेनिसिलिन की मात्रा के आंकड़े के साथ ही इसके आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा की मात्रा के बारे में पूछे जाने पर, फार्मास्यूटिकल्स विभाग/एचएएल ने निम्नवत बताया :-

"एचएएल ने पिछले दस वर्षों में चीन से पेनिसिलिन की कोई मात्रा आयात नहीं की है ।

6.10 जब यह पूछा गया कि क्या फार्मास्यूटिकल्स विभाग का यह मानना है कि पेनिसिलिन और अन्य जीवन रक्षक दवाओं जैसी जीवन रक्षक दवाओं के आयात के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भरता वांछनीय है और यदि हां, तो जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई पर, डीओपी ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :-

"घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए, भारत में दो योजनाएँ नामतः क्रिटिकल- की- स्टार्टिंग- मेटेरियल्स (केएसएमएस)/ड्रग- इंटरमीडिएट (डीआईएस) और एक्टिव -फार्मास्यूटिकल- इंग्रेडिएंट्स (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम और क्रिटिकल बल्क ड्रग के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बल्क ड्रग पार्क्स को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **20** मार्च**, 2020** को मंजूरी दे दी है। उक्त योजनाओं को लागू करने के लिए उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद **27** जुलाई**, 2020** को योजना के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

ग. विदेशी मुद्रा का संरक्षण

(क) फार्मा उद्योग का आकार

6.11 डीओपी द्वारा प्रस्तुत उद्योग का सारांश(2019-20) इस प्रकार है:

	फार्मास्यूटिकल्स		**चिकित्सा उपकरण**		**कुल**	
	करोड़ रुपये	**यूएसडी बीएन**	**करोड़ रुपये**	**यूएसडीबीएन**	**करोड़ रुपये**	**यूएसडी बीएन**
घरेलू बाजार	1,51,700	20.50	57,029	7.71	2,08,729	28.21
आयात	40,139	5.42	41,412	5.60	81,551	11.02
निर्यातित माल	1,52,440	20.60	18,582	2.51	1,71,022	23.11
उद्योग का आकार	3,04,140	41.10	75,611	10.22	3,79,751	51.32

विकास दर :ड्रग:**10-12%,** मेडिकल डिवाइस: **12-15%**

6.12 डीओपी के अनुसार फार्मा क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह इस प्रकार है: -

दवाएं:

- 2019-20 में 3,650 करोड़ रुपये
- 2018-19 में 1,842 करोड़ रुपये

- 98% की वृद्धि

चिकित्सा उपकरण:

- 2019-20 में 2,196 करोड़ रुपये
- 2018-19 में 1108 करोड़ रुपये
- 98% की वृद्धि

(ख) फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

6.13 फार्मास्यूटिकल्स विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (2019-20) के अनुसार, फार्मा क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति निम्नवत है: -

"ग्रीनफील्ड निवेश के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है और ब्राउन फील्ड निवेश के लिए 74 प्रतिशत तक है। ब्राउनफील्ड निवेश के लिए, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एफडीआई की 74% से अधिक के निवेश के लिए, अनुमति सरकार के अनुमोदन मार्ग के माध्यम से होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी दिनांक 24.05.2017 को हुई बैठक में फ़ोरन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) को समाप्त करने को मंजूरी दी । प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को एफडीआई के लिए आवेदनों को स्वीकार करना होता है, जिसके लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है । फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से संबंधित प्रस्तावों पर डिपार्टमेन्ट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के आधार पर और संबंधित सरकारी एजेंसियों के परामर्श से विचार किया जाता है। एफआईपीबी को समाप्त करने के बाद, अनुमोदन मार्ग के तहत, फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने अब तक लगभग 2,496 करोड़ रुपये के 25 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। फार्मास्युटिकल भारत के उन शीर्ष आठ क्षेत्रों में से एक है जो एफडीआई को आकर्षित करते है। मेडिकल डिवाइसेज में एफडीआई, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड दोनों सेक्टर्स के लिए ऑटोमैटिक रूट के तहत आता है ।"

अध्याय 7

कोविड-19 महामारी-----इसका प्रभाव और अन्य घटनाएं जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता

7.1 एच ए एल के कार्य पर लॉकडाउन के प्रभाव के विषय में पूछे जाने पर समिति को बताया गया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन से पूरा राष्ट्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है और ऐसे में एच ए एल इस प्रभाव के मामले में अपवाद नहीं है। बल्क औषधियों के मूल्यों में काफी बढ़ोतरी हुई है जिसके कारण उनकी लाभकारिता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। अजिथ्रोमायसिन बल्क ड्रग का मूल्य 8000- 9000 प्रति किलो से बढ़कर 14000-15000 रुपए प्रति किलो हो गया है। लॉकडाउन के कारण कर्मचारियों के लिए परिवहन सुविधा को बंद करना पड़ा जिसके कारण नगरीय क्षेत्र से आने वाला स्टाफ अपनी ड्यूटी पर नहीं आ पाया। केवल वही कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर आए जो कॉलोनी में रहते थे। इसलिए कंपनी तीनों पारियों में अपने संयंत्र प्रचालन को संचालित नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त बाहरी परिवहन सुविधा कच्चे माल और तैयार माल के लिए उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण उत्पादन योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चूंकि स्थानीय सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग बंद पड़े थे, बड़ी पैकिंग मैटेरियल और एक्सिपिएंट्स की आपूर्ति प्रभावित हुई। एच ए एल में आईवीएफ संयंत्र को पुनः चालू करने की प्रक्रिया चल रही है इसके लिए मशीनों की मरम्मत की जा रही है। तथापि अभियांत्रिकी उद्योगों के बंद होने के कारण मशीनों की मरम्मत में रुकावट आ रही है। इन सब बातों के बावजूद एच ए एल ने अपने पास उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ उत्पादन कार्यकलाप जारी रखें।

7.2 विकसित और निर्मित किए गए स्वच्छता उत्पादों पर प्रकाश डालते हुए एच ए एल ने यह बताया है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्नलिखित का विकास किया गया है:

एच ए एल रब-एल्कोहलिक हैंड डिसइनफेक्टेंट-एस ए एल 50 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर और 5 लीटर के कैन में प्रोपेनॉल बेस के साथ हाल रब अल्कोहलिक हैंड डिसइनफेक्टेंट एचडी का विनिर्माण और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं ,सरकारी अस्पतालों ,नगर निगम पुलिस विभाग इत्यादि को विपणन कर रहा है जोकि कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में एक सशक्त हथियार है।

एचएएल हेल्थ किओस्क-कोरोनावायरस ने उन लोगों को सर्वाधिक प्रभावित किया है जिनकी प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर है। किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा शक्ति की पहचान करने के लिए बाजार में एक हेल्थ किओस्क उतारा है। यह एक तरह का हेल्थ एटीएम है जो 23 स्वास्थ्य मानदंडों की पहचान करता है जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है जिससे कोई भी अपने शारीरिक स्वस्थता की पहचान कर सकता है और तदनुसार सुधारात्मक कार्यवाही कर सकता है। यह हेल्थ किओस्क अपने क्लाउड स्टोरेज पर व्यक्ति का डाटा स्टोर करता है और स्वास्थ्य संस्थानों सरकारी अस्पतालों, सीपीएसई इत्यादि के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कियोस्क में शामिल मानदंड है ब्लड ग्लूकोस, हिमोग्लोबिन, रक्तचाप ब्लड,ऑक्सीजन पल्स रेट, तापमान ,आंख ,ऊंचाई, वजन, बीएमआई, शरीर का फैट फ्री वजन, सबक्युटेनियस फैट, विसरल फैट ,बॉडी वाटर ,स्केलेटल मसल्स मसलमास, बोन-मास, प्रोटीन, बीएमआर, मेटा एज, फिजिक रेटिंग और हेल्थ स्कोर। कैसे एचएएल ने किरकी कैंटोनमेंट बोर्ड और विभिन्न अन्य स्थानों पर इस हेल्थ किओस्क की यूनिट स्थापित कर दी है और इस पर बहुत सकारात्मक रिस्पांस मिला है। इसके अतिरिक्त इस कियोस्क की यूनिट पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड, पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम, पुलिस आयुक्त पिंपरी के कार्यालय इत्यादि में स्थापित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

7.3 आयातो के प्रतिस्थापन हेतु उत्पादों का विकास करने के संबंध में एच ए एल ने इस प्रकार बताया:

एपीआईज:भारत बल्क ड्रग्स के विनिर्माण हेतु आवश्यक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट(एपीआई और की स्टार्टिंग मेटीरियल)केएसएम

की आपूर्ति के लिए अधिकांशतः चीन पर निर्भर रहा है। एचएएल ने चार ऐसे एपीआई की पहचान की है जो कुछ हद तक चीन पर देश की निर्भरता को कम करेंगे। यह ए पी आई है अमाक्सीसिलिन ट्राई हाइड्रेट, मैरोपिनम,गबापेंटिन और टेल्मीसर्तन। इन एपीआई का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2020 के अंत से शुरू होने की अपेक्षा की जाती है।

7.4 अन्य उत्पादों / प्रक्रियाओं जो हाल द्वारा विकसित की जा रही हैं ,के संबंध में इसने इस प्रकार बताया

डीवीएस कल्चर, डायरेक्ट वैट-सेट(डीवीएस कल्चर) फ्रीज में सुखाए गए बैक्टीरियल कल्चर हैं जिनको लोकप्रिय दुग्ध उत्पादों जैसे दही, चीज, बटरमिल्क इत्यादि का उत्पादन करने के लिए सीधे ही दूध में मिलाया जा सकता है

इन कल्चर काउच्च गुणवत्ता के चीज ,योगर्ट और अन्य डेयरी उत्पादों का उत्पादन करने में इस्तेमाल किया जाता है। एच ए एल ने इस उत्पाद की अपने पिंपरी सन्यंत्र में विनिर्मित करने के लिए पहचान की है। वित्तीय वर्ष 2020 के अंत तक से शुरू होने की संभावना है।

--हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन=एचसीएल ने हाइड्रोक्सीक्लोरोकुइन के विनिर्माण हेतु लाइसेंस प्राप्त किया है तथा हम एपीआई की अनुपलब्धता के कारण विनिर्माण शुरू नहीं कर सके।

--फार्मा उत्पादों की आपूर्ति--एचएएल ने राज्य सरकारों के विभिन्न संस्थानों को कोविड-19 संक्रमण के प्रबंधन हेतु आवश्यक फार्मा उत्पादों के अतिरिक्त आवश्यक औषधों जैसे पेरासिटामोल, सेट्रिजीन ,लेवोफ्लाक्सासिन का विनिर्माण और आपूर्ति जारी रखी।

अध्याय -आठ

सरकार द्वारा उठाए गये कदम

क. रणनीतिक बिक्री: पुनर्विचार

8.1 समिति को सूचित किया गया था कि दिसंबर 2016 में, छूट दी गई ऋण ऋण और ब्याज राशि रु। 307.25 करोड रुपय के ऋण और ब्याज (मूलधन186.96 करोड रुपये और ब्याज 120.27 रु करोड रुपये) माफ कर दिये , 128. 68 करोड़ रुपये की विभिन्न देय राशि आस्थगित, और वेतन ,भत्तो और अन्य अति आवश्यक खर्चो को को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये के ऋण को भी मंज़ूरी दी। चूंकि पूर्व के पुनर्विकास पुनर्वास पैकेज वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल, 2016 में एच ए एल की अपने देनदारियों को पूरा करने के लिए एचएएल की अधिशेष और खाली भूमि के हिस्से की बिक्री के लिए एक और पुनर्वास प्रस्ताव पर विचार करते हुए निर्देश दिया कि, तीन वरिष्ठ मंत्रियो की एक समिति सरकारी क्षेत्र के सभी औषध निर्माण कंपनियो की स्थिति की व्यापक रूप से जांच करे और भविष्य की कार्रवाई योजना की सलाह देवे । इस से अलग नीति आयोग की एक उच्च- स्तरीय समिति ने ने फैसला किया कि सरकारी उपक्रमो की प्राथमिकता 'उनके द्वारा की गई गतिविधि की प्रकृति के आधार पर होनी चाहिए न कि उनके वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर। इसने सरकारी उपक्रमो का वर्गीकरण इस आधार पर किया कि क्या वे

राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित किसी सामरिक महत्व के प्रयोजन को पूरा करते हैं, संप्रभु या अर्ध सम्प्रभु कार्य करते हैं , एक महत्वपूर्ण विकास कार्य में शामिल होता है, जहां निजी क्षेत्र प्रदर्शन करने में विफल रहा है या सार्वजनिक संगठन, जहां सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी भी सार्वजनिक उद्यम की उपस्थिति वांछनीय थी जो उपर्युक्त चार मानदंडों में से एक को भी पूरा करता हो उसे उच्च प्राथमिकता वाले फार्मास्यूटिकल्स सरकारी उपक्रम के रूप में वर्गीकृत किया गया था और जो उपरोक्त कार्यों में से कोई भी काम नहीं कर रहे थे, कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किए गए थे ।विभिन्न सरकारी उपक्रमो की जांच के बाद, प्रत्येक सरकारी उपक्रम के सम्बंध मे / क्लोजर / लीज / स्ट्रेटेजिक डिसइनवेस्टमेंट क, पुनरुद्धार / विलय / बिक्री / राज्य सरकार को हस्तांतरण के संबंध में अपनी सिफारिशें दीं। हालांकि, प्रत्येक पीएसयू के संबंध में, उच्च स्तरीय समिति ने फार्मा पीएसयूएस के संबंध में अपनी सिफारिशें रोक कर रखी जब तक कि मंत्रियों की समिति इस सम्बंध मे निर्णय नही ले लेती।

8.2 समिति को ब्रीफिंग / साक्ष्य के दौरान और लिखित प्रस्तुति के माध्यम से सूचित किया गया था कि भारत सरकार एचएएल की रणनीतिक बिक्री के लिए योजना बना रही है। एक प्रश्न कि क्यों एचएएल को रणनीतिक बिक्री के लिए विशेष रूप से शॉर्ट लिस्ट किया गया था (जिसमें) जीवन रक्षक दवाओं, सक्रिय दवा सामग्री (एपीआईएस), बल्क ड्रग्स और रब, स्वास्थ्य कियोस्क उत्पाद और हाथों की अन्य वस्तुओं के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है ।इसका घाटा मुख्य रूप से चीन से सस्ते आयातो के कारण है,मंत्रालय ने लिखित उत्तर में इस प्रकार बताया:

'मंत्रालय ने बताया कि विभाग के तत्वावधान मे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (HAL), इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (IDPL) विभाग के तत्वावधान में पाँच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUS)अर्थात , राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स (RDPL)। बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (BCPL) और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (KAPL) आते हैं। ये पीएसयू पचास के दशक और साठ के दशक के बाद से दवा निर्माण को प्रारंभिक

प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित किए गए थे ताकि दवा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हालाँकि, अब स्वदेशी निजी उद्योग स्वस्थ, मजबूत, प्रतिस्पर्धी और सामाजिक और सरकारी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम हो गया है। फार्मास्युटिकल उद्योग का वार्षिक कारोबार लगभग 3 लाख करोड़ रूपये है। इसमें से निर्यात का हिस्सा आधे से अधिक हो गया है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र एक निजी उद्यम द्वारा संचालित उद्योग है और इसमें पांच फार्मा पीएसयूएस का योगदान काफी नगण्य है। HAL का कारोबार लगभग 60 करोड़ रु है जो देश में कुल फार्मा उत्पादन का मुश्किल से 0.02 होता है।
इस मुद्दे की व्यापक जांच के बाद मंत्रियों की समिति द्वारा सिफारिश की गई कि एचएएल, आईडीपीएल, आरडीपीएल और बीसीपीएल की अधिशेष भूमि को उनकी देनदारियों को पूरा करने के लिए जितनी आवश्यक हो, खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से सरकारी एजेंसियों को बेची जाए और बिक्री की आय से उनकी बकाया देनदारियों को मंजूरी दी जाए। यह सिफारिश की गई कि देनदारियों के पूरा होने के बाद, IDPL और RDPL को बंद कर दिया जाएगा और HAL और BCPL को रणनीतिक रूप से बेचा जाएगा। मंत्रियों की समिति की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 28.12.2016 को मंजूरी दी गई थी। चूंकि सरकारी एजेंसियों से अधिशेष भूमि के लिए कोई बोली नहीं लगी थी, इसलिए 17.07 2019 को मंत्रिमंडल ने अपने पहले के फैसले को संशोधित किया और संशोधित डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिशेष भूमि की बिक्री 14.06.2018 को संशोधित की और कंपनी अपने कर्मचारियों के हिस्से के लंबित वेतन और वीआरएस के भुगतान के लिए बजट में बजटीय सहायता के रूप में भी 280.15 करोड़ रु के ऋण की राशि प्रदान की है। । मंत्रिमंडल ने आगे संपत्ति की बिक्री और बकाया देनदारियों की निकासी सहित रणनीतिक बिक्री को बंद करने से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए मंत्रियों की एक समिति के गठन का फैसला किया। कंपनी को पुणे स्थित अपने संयंत्र में अपनी अधिशेष भूमि का मूल्यांकन मैसर्स एन बी सी सी लिमिटेड, अधिकृत भूमि प्रबंधन एजेंसी (एल एम ए) के माध्यम से किया गया है और इसके आधार पर, मंत्रियों की समिति द्वारा भूमि को जल्द ही बेचने के बारे में निर्णय लिये जाने की संभावना है।

ख बल्क ड्रग्स पार्क्स स्कीम का सम्वर्धन

8.3 आगे साक्ष्य देते हुए फार्मास्युटिकल विभाग ने निम्नानुसार बताया: -

" महत्वपूर्ण सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स सामग्री (ए पी आई) और प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (के एस एम) पर देश की उच्च निर्भरता का एहसासकरते हुए हाल ही में सरकार तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए 3000 करोड़ रुपये की योजनाऔर देश में महत्वपूर्ण KSMS / इंटरमीडीयरीजऔर APIS के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए 6940 करोड़ रु की योजनाये ले कर आई है । एचएएल, जिसे वर्ष 1954 में पेनिसिलिन और अन्य थोक दवाओं का उत्पादन करने वाली बल्क दवा निर्माण कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, , जो देश में थोक दवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के औपचारिक प्रस्तावपर विभाग द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा। केएपीएल और बीसीपीएल के रणनीतिक विनिवेश के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए रसायन और उर्वरक विभाग की स्थायी समिति (17 वीं लोकसभा) की सिफारिशों के आधार पर, दो लाभकारी फार्मा पीएसयूएस, माननीय मंत्री (रसायन और उर्वरक) ने 3 जुलाई, 2020 । न केवल लाभ कमाने वाली फार्मा PSUS, KAPL और BCPL बल्कि HAL के विनिवेश के निर्णय पर भी पुनर्विचार के लिए उपाध्यक्श, नीति आयोग और केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा व्यक्तिगत हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है । विभाग देश में दवा सुरक्षा सुनिश्चित

करने के लिए फार्मा PSUS रखने की इच्छा रखता है और इस संदर्भ में नीति आयोग से अनुरोध किया है कि वह एक इकाई में या तो के एक माध्यम से गई एक इकाई में विनिवेश के तहत तीन सार्वजनिक उपक्रमों के विलय की व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिये या तो आयोग खुद या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए ।

ग .उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम

8.4 केएसएमएस, डीआई और एपीआइ और चिकित्सा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाएं 53 बल्क ड्रग्स , जिन पर भारत गंभीर रूप से आयातों पर निर्भर है के घरेलू पैमाने पर विनिर्माण सहित एक लंबा रास्ता तय करेगी । योजना के दिशानिर्देशों में निहित 41 उत्पादों की सूची से 53 बल्क दवाओं का घरेलू उत्पादन हो सकेगा। योजना के तहत चुने गए अधिकतम 136 निर्माताओं को कि घरेलू मूल्यवर्धन के आवश्यक स्तर के साथ स्थानीय तौर पर निर्मित इन 41 उत्पादों की बिक्री के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा । प्रोत्साहन अनुमोदन पत्र में सूचित वार्षिक उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा। प्रोत्साहन 6 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। किण्वन आधारित उत्पादों के मामले में, प्रोत्साहन की दर पहले चार वर्षों के लिए 20%, 5 वें वर्ष के लिए 15% और छठे वर्ष के लिए 5% है।

8.5 रासायनिक रूप से संश्लेषित उत्पादों के मामले में, सभी छह वर्षों के लिए प्रोत्साहन की दर 10% है। चयनित विनिर्माताओ को प्रत्येक उत्पाद हेतु अधिदेशित न्यूनतम समय सीमा से अधिक का प्रतिबद्ध निवेश प्राप्त करना होगा और प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र बनने से पहले निर्धारित न्यूनतम स्थापित क्षमता प्राप्त करनी होगी

थ्रेसहोल्ड निवेश (सीमा)चार किण्वन-आधारित उत्पादों के लिए 400 करोड़ रुपये और दस किण्वन-आधारित उत्पादों के लिए 50 करोड़ रुपये है। इसी तरह, चार रासायनिक रूप से संश्लेषित उत्पादों के लिए थ्रेसहोल्ड निवेश 50 करोड़ रुपये है, और 23 रासायनिक संश्लेषित उत्पादों के लिए 20 करोड़ रुपये है। दिशानिर्देशों में 41 उत्पादों में से प्रत्येक के लिए प्राप्त की जाने वाली न्यूनतम स्थापित क्षमता निर्धारित है। किण्वन आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहन वित्त वर्ष 2023-24 से उपलब्ध होगा, यानी दो साल की अवधि के बाद, जिसके दौरान चयनित आवेदक को प्रतिबद्ध निवेश पूरा करना होगा और प्रतिबद्ध क्षमता को स्थापित करना होगा।

8.6 रासायनिक रूप से संश्लेषित उत्पादों के लिए प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 2022-23 से उपलब्ध होगा, अर्थात् एक वर्ष की अवधि के बाद, जिसके दौरान चयनित आवेदक को प्रतिबद्ध निवेश करना होगा और प्रतिबद्ध क्षमता को स्थापित करना होगा। कोई भी कंपनी, साझेदारी फर्म, प्रोपराइटरशिप फर्म या भारत में पंजीकृत एलएलपी और जिसके पास प्रस्तावित निवेश के 30% की न्यूनतम नेटवर्थ (समूह की कंपनियों सहित) है योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। एक आवेदक किसी भी संख्या में उत्पादों के लिए आवेदन कर सकता है।

8.7 आवेदकों को एक पारदर्शी समग्र मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर चुना जाएगा जिसमें आवेदक द्वारा प्रतिबद्ध वार्षिक उत्पादन क्षमता और आवेदक द्वारा उद्धृत उत्पाद की बिक्री कीमत शामिल है। कम बिक्री मूल्य और उच्च उत्पादन क्षमता वाले आवेदक को मूल्यांकन में उच्च अंक मिलेंगे।चार योजनाओं की मुख्य विशेषताएं हैं: -

"यह योजना दिशानिर्देश जारी करने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के लिए खुली है और आवेदन खिड़की के बंद होने के 90 दिनों के भीतर चयनित आवेदकों को मंजूरी दी जाएगी। आवेदन केवल एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय रु 6,940 करोड़ है ।

बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा देने के लिए योजना: इस योजना में देश में 3 बल्क ड्रग पार्क बनाने की परिकल्पना की गई है। अनुदान सहायता उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों के मामले में परियोजना लागत का 90% और अन्य राज्यों के मामले में 70% होगी। एक थोक दवा पार्क के लिए अधिकतम अनुदान सहायता 1000 करोड़ रुपये तक सीमित है। राज्यों को एक चुनौती पद्धति के माध्यम से चुना जाएगा। पार्क स्थापित करने में रुचि रखने वाले राज्यों को पार्क में स्थित थोक दवा इकाइयों को 24 * 7 बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा और पार्क में थोक दवा इकाइयों को प्रतिस्पर्धी भूमि पट्टे की दरों की पेशकश करनी होगी। राज्यों का चयन करते समय पर्यावरणीय स्थिति और संभारतंत्र की स्थिति से प्रस्तावित पार्क के स्थान को ध्यान में रखा जाएगा।

राज्य की व्यापार रैंकिंग करने में आसानी, (ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस) राज्य की नीतियों को थोक दवा उद्योग के लिए लागू करना, राज्य में तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता, राज्य में दवा / रासायनिक समूहों की उपलब्धता भी राज्यों का चयन करते ध्यान में रखा जाएगा । इच्छुक राज्यों को दिशानिर्देशों में दिए गए मूल्यांकन मानदंड पर स्कोर और रैंक दिया जाएगा, जो मापदंडों के अनुरूप होगा । शीर्ष 3 रैंक पाने वाले राज्यों का चयन किया जाएगा। राज्यों को दिशानिर्देश जारी करने की तारीख के 60 दिनों के भीतर उनका प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। चयन के बाद प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 30 दिनों के भीतर तीन चयनित राज्यों को सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी।

इसके बाद, 3 चयनित राज्यों को सैद्धांतिक मंजूरी के 180 दिनों के भीतर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करनी होगी, जिसके आधार पर अंतिम मंजूरी दी जाएगी। अनुदान सहायता चार किस्तों में जारी की जाएगी। पहली तीन किस्तें 30% प्रत्येक की होंगी और अंतिम अनुदान-सहायता का 10% होगी। चयनित राज्यों को अनुदान की पहली किस्त जारी होने के दो साल के भीतर अनुमोदित डीपीआर के अनुसार पार्क को पूरा करना होगा । एक छत के नीचे सभी विनियामक स्वीकृतियों के लिए इन पार्कों में एकल खिड़की प्रणाली की परिकल्पना की गई है। अनुसंधान और विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण भी परिकल्पित किया गया है। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3000 करोड़ रुपये है। "

घ. बाजार हिस्सा और विपरण रणनीति

8.8 समिति ने एचएएल से पूछा कि उसका वर्तमान बाजार हिस्सा क्या था और बाजार में अन्य प्रमुख निजी कंपनी कौन सी हैं ? लिखित उत्तर में एचएएल ने बताया : -

> वर्तमान में एचएएल अपने उत्पादों की आपूर्ति ज्यादातर सरकारी संस्थानों को करता है. उत्पादन और आपूर्ति 2017-18 से फिर से शुरू हुई। राज्य सरकार के कई निगम दवा खरीद नीति का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए, बाजार हिस्सेदारी के % का पता लगाना मुश्किल है। एचएएल ने विभिन्न संस्थानों से प्राप्त आदेशों का अनुपालन किया है। कंपनी को 2018-19 में विभिन्न संस्थानों से संतोषजनक आपूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। 2019-20 में, आपूर्ति की स्थिति में और सुधार हुआ है।

चूंकि 5 फार्मा सीपीएसयू हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि एचएएल की हिस्सेदारी 1/5 वीं है, यानी, सीपीएसयू के पूरे हिस्से का 20%.

> सभी 103 उत्पादों की आपूर्ति के लिए कोई विशिष्ट निजी फर्म तैयार नहीं है। हालांकि, फार्मास्युटिकल बाजार में विभिन्न निजी कंपनी हैं। कुछ निम्नलिखित प्रमुख खिलाड़ी हैं:-
>
> क) डॉ. रेड्डी लेबोरेटरीज
>
> ख) ल्यूपिन फार्मास्युटिकल
>
> ग) एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स
>
> घ) टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स
>
> ङ) औरोबिंदो फार्मास्यूटिकल्स

फार्मा सीपीएसयू और सरकारी सहायता के लिए विनियामक ढांचा:

8.9 समिति को सौंपी गई जानकारी के अनुसार, एचएएल ज्यादातर खरीद वरीयता नीति के अनुसार और एनपीपीए अनुमोदित दरों के अनुसार इंस्टीट्यूशन सेक्टर में काम कर रहा है। हालांकि इससे सीपीएसयू को काफी हद तक मदद मिली है, लेकिन सीपीएसयू से 103 मद खरीदने के लिए विशिष्ट निर्देश के अभाव में, राज्य सरकार के कई निगम फार्मास्युटिकल खरीद नीति का पालन नहीं कर रहे हैं। खुली निविदाओं में, निजी फर्म सीमित उत्पादों के लिए निविदाओं में भाग ले रही हैं और शायद विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दरों का प्रस्ताव कर रही हैं। थोक में मूल्य वृद्धि के मामले में, वे कुछ कारणों से आपूर्ति करना पसंद नहीं करते हैं। एचएएल के मामले में, बल्क दवा के मूल्य वृद्धि के बावजूद, एनपीपीए अनुमोदित मूल्य को देश भर में सभी आपूर्ति के लिए बनाए रखा जाना है।

ड. तीन फार्मा सीपीएसयू का एक में विलय

8.10 समिति ने तीन फार्मा सीपीएसयू अर्थात् के ए पी एल , बी सी पी एल और एचएएल को एक इकाई में विलय करने की संभावना हेतु नीति आयोग से अनुरोध करने हेतु फार्मास्यूटिकल्स विभाग के निर्णय के बारे में नीति आयोग की सही भूमिका के बारे में पूछा । 18 अगस्त 2020 को समिति के समक्ष उपस्थित होने वाले फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव ने कहा: -

"सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समस्याएं दो हैं। एक , एचएएल की समस्याएं थीं क्योंकि चीन में कीमतें कम थीं, वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे और उन्हें संयंत्र बंद करना पड़ा। यह एक कारण था। वे तुरंत कोई भी वैकल्पिक कदम नहीं उठा सके ताकि कोई अन्य कार्य करते, विनिर्माण से कंपनी को कायम रखते ।

जैसा कि आपने उल्लेख किया है, चार-पांच बार उन्हें प्रोत्साहन और पैकेज दिए गए थे, लेकिन वे कंपनी को जीवित नहीं रख सके। उसके दो कारण हैं। एक तो यह कि भारत में निजी क्षेत्र तेजी से बढ़ा है। उन्होंने लागत प्रभावी तरीकों, स्वचालन और अन्य उपाय अपनाए हैं जो एचएएल नहीं कर सका; न केवल एचएएल, बल्कि अन्य सार्वजनिक उपक्रम भी ऐसा नहीं कर सके। यह एक कारण था।

फिर, एक समिति का गठन किया गया। मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि सभी सार्वजनिक उपक्रमों को या तो बंद करना होगा या रणनीतिक रूप से विनिवेश करना होगा। एचएएल उनमें से एक है। जब हम कोविद -19 महामारी के दौरान समीक्षा कर रहे थे, उस समय हम काफी दबाव में थे, क्योंकि हम जानते थे कि एपीएल की आपूर्ति की समस्या और कुछ अन्य समस्या है। इसलिए, हमारे स्तर पर, हमने अपने माननिए मंत्री जी के साथ चर्चा की ,कि हमारे पास कम से कम, एक पीएसयू होना चाहिए कि जरूरत के मामले में, हम उन निर्भर कर सकें क्योंकि निजी क्षेत्र की कंपनी को नुकसान में एपीआई का विनिर्माण करने के लिए कहना संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए, सिर्फ एक महीने पहले, हमने नीति आयोग से कहा और माननिए मंत्री ने भी वित्त मंत्री को लिखा है कि इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि समिति ने सुझाव दिया है कि वे कौन से रणनीतिक क्षेत्र हैं जहां पीएसयू की आवश्यकता है। यह स्वीकार कर लिया गया है और तदनुसार तीन मंत्रियों की हमारी समिति ने भी विनिवेश करने या उन्हें बंद करने का निर्णय लिया है। इसलिए, हमें उन्हें शामिल करना लाना होगा। हम उनसे इस पर फिर से विचार करने के लिए कहेंगे। हमने वित्त मंत्री से भी इस पर दोबारा विचार करने को कहा। यदि वे इस पर दोबारा गौर करते हैं, तो हम उसके अनुसार निर्णय लेंगे। अन्यथा, मुझे इस पीएसयू को बंद करने के लिए जो निर्णय लिया गया है उसे बदलने के लिए मुझे फिर से कैबिनेट में जाना होगा। हम डेटा तैयार कर रहे हैं कि यह कैसे आवश्यक है, एचएएल की भूमिका क्या होनी चाहिए आदि। विलय एक विकल्प है। हम उनसे पूछ रहे हैं कि हम

इस तरह से कैसे सुनिश्चित करें कि फार्मास्युटिकल्स सेक्टर में कम से कम एक पीएसयू हो जिस पर आवश्यकता पड़ने निर्भर कर सकें । "

8.11 केएपीएल, बीसीपीएल और एचएएल के विलय की समय सीमा के प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्रालय ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया: -

"विभाग ने नीति आयोग से अनुरोध किया था कि विनिवेश के तहत फार्मा पीएसयू के विलय की व्यवहार्यता की जांच की जाए। जवाब में, नीति आयोग ने 25.08.2020 के अपने पत्र से सूचित किया है कि विभाग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया जा रहा है और यह बाद में अध्ययन के निष्कर्षों को साझा करेगा। "

8.12 हाल के विकास

कंपनी ने हाल ही में 379 कर्मचारियों को वीआरएस दिया है।

एनबीसीसी द्वारा किया गया अधिशेष भूमि मूल्यांकन। इसकी बिक्री के लिए मंत्रियों की समिति द्वारा विचार किया जाना।

जबकि विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने केएपीएल और बीसीपीएल (लाभप्रद पीएसयू) के रणनीतिक विनिवेश के निर्णय पर दोबारा विचार करने की सिफारिश की है माननीय मंत्री (रसायन और उर्वरक) ने 3 जुलाई, 2020 को उपाध्यक्ष, नीति आयोग और केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है न केवल केएपीएल और बीसीपीएल के विनिवेश के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए बल्कि एचएएल का भी।

विभाग ने 29 जुलाई, 2020 को विनिवेश के तहत तीन सार्वजनिक उपक्रमों के विलय की व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए, तथा इसकी संभावित भूमिका की जांच नीति आयोग से करने का अनुरोध किया है।

च. अधिशेष भूमि की बिक्री

8.13 समिति को सूचित किया गया कि दिसंबर 2016 में लिए गए कैबिनेट के फैसले के अनुसार, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की कुछ भूमि संपत्ति को उसके नुकसान के बोझ को कम करने और उसके पुनरुद्धार के लिए बेचा जाना था। एचएएल ने एक लिखित जानकारी में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के पास उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्रफल इस प्रकार बताया :

क्र. सं.	विवरण	स्थान	क्षेत्र
i.	कारखाना	पिंपरी-वाघिरे	90.97 एकड
ii.	कालोनी	पिंपरी-वाघिरे	109.90 एकड
iii.	रिक्त भूमि	पिंपरी-वाघिरे	62.70 एकड
कुल -			***263.57 एकड**

* हाई स्कूल के लिए 3.70 एकड़ आरक्षित सहित ।

8.14 समिति ने कैबिनेट निर्णय के आलोक में वर्तमान में किए जा रहे उपायों को जानने की इच्छा व्यक्त की । समिति ने हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के पुनरुद्धार, भूमि मुद्रीकरण या रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री या साझेदारी के लिए रणनीति भी जानना चाहा। एचएएल ने समिति को सूचित किया कि कैबिनेट द्वारा मूल्यांकन के लिए एनबीसीसी का चयन किया गया है और नीलामकर्ता के रूप में एम एस टी सी के माध्यम से बिक्री के लिए 87 एकड़ जमीन को मंजूरी दी गई है । जमीन की बिक्री के माध्यम से प्राप्त होने वाली पूंजी से कंपनी के पुनरुद्धार के बारे में एक प्रश्न पर, एचएएल ने लिखित जवाब में कहा: -

> समिति को बताया गया की मंत्री मंडल के निर्णय के अनुसार, एचएएल ने 2017-18 में मेसर्स एमएसटीसी के माध्यम से निविदा द्वारा अपनी 87.70 एकड़ अधिशेष भूमि की बिक्री का प्रयास किया था । एचएएल को अपनी भूमि की बिक्री के लिए उक्त निविदा का कोई प्रस्ताव नहीं मिला था। मैसर्स ईपीएफओ ने एचएएल की 3.5 एकड़ जमीन को आरक्षित मूल्य पर खरीदने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की थी जो एचएएल की बोर्ड स्तर समिति (बीएलसी) और एचएएल के निदेशक मंडल द्वारा तय और अनुमोदित थी। निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद मंत्रालय को इसकी मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। अनुमोदन प्रतिक्षित है।17/7/2019 को आयोजित कैबिनेट की बैठक के निर्णय के अनुसार दिनांक 14/6/2018 को संशोधित डीपीई दिशानिर्देश एचएएल द्वारा पालन किया जाना है। संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीसीसी को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) और एमएसटीसी को नीलामी एजेंसी (एसी) के रूप में नियुक्त किया गया है। एचएएल की 87.70 एकड़ भूमि के साथ-साथ इसकी सहायक कंपनियों के आवश्यक दस्तावेज एनबीसीसी को प्रदान किए गए हैं। एनबीसीसी द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार आगे कार्य किया जाएगा। कंपनी की रणनीतिक बिक्री या साझेदारी के बारे में मंत्रालय द्वारा तय किया जाना है। वर्तमान में, एनबीसीसी 87.70 एकड़ भूमि के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है। "

वर्तमान स्थिति:

8.15 एचएएल के पास 263 एकड़ जमीन है, जिसमें से कैबिनेट ने इसकी देनदारियों को पूरा करने के लिए 87.7 एकड़ जमीन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने 26.10.2019 को भूमि की बिक्री के लिए भूमि प्रबंधन एजेंसी के रूप में एन बी सी सी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने एचएएल की अधिशेष भूमि और उसकी 2 सहायक कंपनियों की सभी संपत्तियों का विवरण एन बी सी सी को प्रस्तुत किया है, जैसे कि एम ए पी एल, नागपुर और एम एस डी पी एल, मणिपुर। कैबिनेट द्वारा बिक्री के लिए अनुमति दी गई 87.7 एकड़ जमीन में से एन बी सी सी ने मैसर्स कोलियर इंटरनेशनल लिमिटेड, पुणे को ईपीएफओ को बेची जाने वाली 3.5 एकड़ जमीन के मूल्यांकन के लिए, नियुक्त किया है। एनबीसीसी ने मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इसे एचएएल द्वारा अनुमोदन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

8.16 समिति ने एचएएल से सरप्लस भूमि की बिक्री के बारे में पूछा कि कंपनी के पास उपलब्ध कुल 263.57 एकड़ जमीन में से लगभग 87.70 एकड़ अधिशेष भूमि कंपनी की देनदारियों को पूरा करने के लिए सरकारी एजेंसियों को बिक्री के लिए प्रस्तावित थी। तदनुसार, एचएएल ने मैसर्स एनबीसीसी को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) और मैसर्स एम एस टी सी को नीलामी एजेंसी (ए ए) के रूप में नियुक्त किया गया था। । हालांकि समिति यह जानना चाहती थी कि क्या एचएएल के स्वामित्व वाली कोई भी जमीन बकाया के निपटान के लिए बेची गई थी? एक लिखित उत्तर में एचएएल ने निम्नानुसार बताया है: -

एचएएल के स्वामित्व वाली कोई भी भूमि अब तक बकाया राशि को पूरा करने के लिए नहीं बेची गई है। एचएएल ने वर्ष 2013-14 में दो बार और वर्ष 2017-18 में दो बार जमीन बेचने का प्रयास किया है, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं मिला और इस तरह से कोई जमीन नहीं बेची जा सकी । हालांकि, हाल ही में कैबिनेट के 17.07.2019 के फैसले के बाद, एनबीसीसी को मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया गया है और उसके बाद डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि बिक्री की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। इस बार इसे एनबीसीसी के माध्यम से नीलाम किया जाएगा और इसलिए भूमि की बिक्री की उचित संभावना है।

8.17 समिति ने उपरोक्त के मद्देनजर एचएएल से पूछा कि पुनर्गठन प्रयासों के बावजूद, कंपनी में स्थायी सुधार क्यों नहीं हुआ । एक लिखित उत्तर में एचएएल ने निम्नानुसार बताया : -

"हर पुनर्गठन योजना में भूमि बिक्री से धन के उपयोग का एक खंड शामिल था, लेकिन भूमि बिक्री नहीं हो सकी । योजना उस अवधि के दौरान विशिष्ट उद्देश्य के साथ एचएएल के लिए बनाई गई थी । ये योजनाएं आंशिक रूप से सफल रहीं, जिसके परिणामस्वरूप एचएएल अब तक कायम है। बाजार शक्तियां , नीतियों में बदलाव कुछ ऐसे कारक हैं, जिन्होंने कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित किया है और जिससे कंपनी को लाभप्रद बनाने में विफलता मिली है । हालांकि, अक्टूबर 2016 के बाद से, कंपनी को लाभप्रद बनाने में प्रयासों ने परिणाम देना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि, कंपनी

अगले वित्तीय वर्ष तक लाभ में आ जाए । हाल ही में, सरकार भारत ने लंबित वेतन के भुगतान और कर्मचारियों को वीआरएस देने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करके एचएएल की सहायता की । "

छ. एपीआई और अन्य कच्चे माल का विनिर्माण

8.18 महत्वपूर्ण सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स सामग्री (एपीआई) और महत्वपूर्ण शुरू करने वाली सामग्री (केएसएम) पर देश की उच्च निर्भरता को महसूस करते हुए, सरकार हाल ही में देश में तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए 3000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और देश में महत्वपूर्ण केएसएम / इन्टरमिडियरीस और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 6940 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वाली उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। एचएएल, जिसे वर्ष 1954 में एक थोक दवा विनिर्माण कंपनी के रूप में पेनिसिलिन और अन्य थोक दवाओं के विनिर्माण हेतु स्थापित किया गया था, देश में थोक दवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अध्याय नौ

एचएएल की मुख्य क्षमता

क. **<u>विशाल भूमि परिसंपत्ति</u>**

9.1 कंपनी की विशाल भूमि परिसंपत्ति के बारे में समिति को एचएएल द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**विवरण**	**स्थान**	**क्षेत्र**
i.	कारखाना	पिंपरी-वाघिरे	90.97 एकड
ii.	कालोनी	पिंपरी-वाघिरे	109.90 एकड
iii.	रिक्त भूमि	पिंपरी-वाघिरे	62.70 एकड
कुल -			***263.57 एकड**

* हाई स्कूल के लिए 3.70 एकड़ आरक्षित सहित

<u>ख. स्थापित उत्पादन सुविधाएं</u>

9.2 समिति को सूचित किया गया कि एचएएल के पास निम्नलिखित उत्पादन सुविधाएं हैं: -

क) "बल्क प्लांट: एचएएल के पास 19 x 92 एम 3 किण्वक के साथ इसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, सॉल्वेंट रिकवरी और संबद्ध उपयोगिताओं (यूटिलिटी) जैसे भाप, ठंडा पानी, कूलिंग टॉवर का पानी, संपीड़ित हवा आदि सहित किण्वन आधारित विनिर्माण सुविधाएं हैं। यह सुविधाएं पहले किण्वन आधारित थोक उत्पादों के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाती थीं जैसे पेनिसिलिन-जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट । यह सुविधाएं वर्तमान में निष्क्रिय हैं और पट्टे के लिए उपलब्ध हैं।

ख) फॉर्मुलेशन सुविधा: एचएएल वर्तमान फार्मा फॉर्मूलेशन और बेहतर भविष वाले एग्रो-फॉर्मूलेशन के विनिर्माण पर ध्यान दे रहा है ताकि फार्मा और एग्रो मार्केट की विस्तृत श्रृंखला की मांग पूरी की जाए ।एचएएल फार्मा उत्पादों में विभिन्न खुराक के रूप शामिल हैं जैसे इंजेक्शन उत्पाद, टैबलेट, कैप्सूल, इंट्रा-वीनस उत्पाद, लिक्विड सिरप आदि।

9.3 समिति को सौंपी गई जानकारी के अनुसार, एचएएल के पास एग्रो उत्पाद बनाने के एग्रो-केम संयंत्र के अलावा पर्याप्त मात्रा में पाउडर इंजेक्टेबल्स, टैबलेट्स, पेनिसिलिन कैप्सूल्स, आई.वी.फ्लुइड्स, लिक्विड सिरप और बाह्य उपयोग की दवाएं, एल्कोहल हैंड डिसइन्फेक्टेंट (एएचडी) के विनिर्माण की क्षमता है।

ग अनुसंधान और विकास केंद्र

9.4 एचएएल ने 2018-19 के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान और विकास कार्य किए हैं: -

- फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और पशु चिकित्सा उत्पादों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियां की जाती हैं।
- नए फार्मूलेशन्स का विकास, जो विभिन्न पारंपरिक खुराक को कवर करता है, विशेष रूप से बाजार की जरूरतों के अनुसार एंटी-इन्फ्लैमेटरी, एंटीहिस्टामिक और एंटी-इनफेक्टिव ड्रग्स।
- नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की आवश्यकताओं के अनुसार नार्कोटिक ड्रग्स डिटेक्शन किट, प्रीकरसर केमिकल्स डिटेक्शन किट और केटामाइन डिटेक्शन किट का स्टैंडर्ड साइज में सुधार और विनिर्माण ताकि उन्हें उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल बनाया जा सके । भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 16 नई मादक दवाओं के लिए किट विकसित करने के लिए काम शुरू किया गया।
- एंटी-ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स किट विकसित की गई, आगे के अध्ययन जारी हैं।
- मौजूदा दवा निर्माण लागत में सुधार और प्रभावी बनाने के प्रयास लगातार किए जाते हैं।
- गैर बाँझ पेनिसिलिन का उत्पादन।
- पोटाश घुलनशील बैक्टीरिया और एनपीके निर्माण को फिर से शुरू किया। व्यावसायीकरण पाइपलाइन में है।
- औरोफुंगिन का उत्पादन - कृषि उपयोग के लिए ऐंटिफंगल एंटीबायोटिक्स का उत्पादन पुन: आरंभ किया गया है।
- हमौर का उत्पादन - फसलों के लिए एक पर्ण स्प्रे का उत्पादन पुन: आरंभ किया गया है।
- आईपी 2018 के अनुसार परीक्षण के लिए विश्लेषणात्मक विकास।
- अनुसंधान और विकास कार्य भवनों के आसपास के क्षेत्र में समय-समय पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया।

9.5 एचएएल की आर एंड डी क्षमता के संबंध में, पृष्ठभूमि नोट में, यह बताया गया : -

"एचएएल के पास अनुसंधान और विकास को बाजार की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न नए उत्पादों को तैयार करने की क्षमता है। एचएएल ने नए एंटीबायोटिक्स, एंटी-डायबिटीज और एंटीहाइपरटेंसिव उत्पादों को पेश करके उत्पाद-मिश्रण के विस्तार के माध्यम से निरंतर वृद्धि के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। ऑर्डर और प्रभावी आपूर्ति की के परिणामस्वरूप 2018-19 में पिछले वर्ष की तुलना में 100% वृद्धि के साथ 67 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। "

I. रक्षा और ईएसआई को आपूर्ति में पर्याप्त सुधार।

II. विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों जैसे त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में आपूर्ति की स्थिति में सुधार ।

III GeMportal के माध्यम से आपूर्ति शुरू की।

IV राष्ट्रीय हित के उत्पादों जैसे कि टीबी विरोधी, एचआईवी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं के निर्माण और आपूर्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं।

V घरेलू बाजार से चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय निर्माता को सुविधा प्रदान करने के लिए बल्क ड्रग्स उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाते हैं। "

9.6 एचएएल में आरएंडडी की स्थिति पर एक प्रश्न के जवाब में 17.08.2020 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर प्रबंध निदेशक, एचएएल ने बताया : -

"मैडम, वास्तव में, एचएएल की स्थिति यह है कि यह प्राकृतिक रूप से समाप्ति की ओर जा रहा है। हमारे पास आरएंडडी में 30 व्यक्ति हैं, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं है। मुख्य बात यह है कि हम रणनीतिक बिक्री के लिए चिन्हित हैं। इसलिए, हर किसी को बस इंतजार है क्योंकि सब कुछ एक दीर्घकालिक योजना है। जब तक रणनीतिक बिक्री का ठप्पा नहीं हटाया जाता है, कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। "

घ. पेटेंट / आविष्कार

9.7 एचएएल को दो एंटीबायोटिक दवाओं का आविष्कार करने का गौरव प्राप्त है अर्थात मनुष्यों के लिए हैमाइसिन और पौधों के विभिन्न फंगल और जीवाणु रोगों को नियंत्रित करने के लिए कृषि में उपयोग के लिए ऑरोफुंगिन । लिखित जवाब में, एचएएल ने बताया कि: -

"हैमाइसिन (मानव उपयोग के लिए एंटिफंगल एंटीबायोटिक) और **अरोफुंगिन** (फसल के पौधे के विभिन्न रोगों को नियंत्रित करने के लिए कृषि में उपयोग के लिए एंटिफंगल एंटीबायोटिक) का आविष्कार आर एंड डी डिवीजन में दिवंगत डॉ एम जे तिरुमालाचार द्वारा किया गया था।"

9.8 एचएएल की वार्षिक रिपोर्ट (2016-17) में 'कंपनी की मार्केटिंग डिविशन की जरूरत के अनुसार नई चिकित्सीय दवाओं के विकास' करने का उल्लेख किया गया है। इस पहल के माध्यम से कंपनी को अपेक्षित राजस्व के बारे में पूछे जाने पर एच ए एल ने बताया: -

कंपनी मुख्य रूप से 4 अलग-अलग श्रेणियों अर्थात एंटी-इंफेक्टिव, एंटी-हिस्टामिनिक, एंटी-इंफ्लेमेटरी और कृमिनाशक के तहत ड्रग फॉर्मूलेशन बनाती है । पिछले 3 वर्षों के दौरान आर एंड डी विभाग में वाणिज्यिक रूप से विकसित दवा फॉर्मूलेशन द्वारा उत्पन्न राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:

(रू. लाखों में)

चिकित्सीय श्रेणी	2016-17	2017-18	2018-19
विरोधी संक्रामक	23.82	650.66	1638.08
विरोधी-हिस्टामिनिक	-----	------	10.13
विरोधी भड़काऊ	3.74	55.86	52.76
कृमिनाशक	-------	52.38	39.18

(ड) स्थापित ब्रांड और साख

9.9 पृष्ठभूमि नोट में**,** एचएएल ने कहा बताया कि आदेश और आपूर्ति की प्रभावी खरीद के परिणामस्वरूप 2018-19 में 67 करोड़ रुपये की बिक्री हुई जो पिछले वर्ष की तुलना में **100%** वृद्धि है । यह पूछे जाने पर कि क्या यह पहल भविष्य में दोहराई जा सकती है ,एचएएल ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :

" एचएएल ने शीघ्र और नियमित आपूर्ति के आधार पर संस्थानों का विश्वास प्राप्त किया है। कंपनी को कई संस्थानों से संतोषजनक आपूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। इनमें से कुछ तत्काल संदर्भ हेतु संलगन हैं । अतः ऑर्डरों की संख्या भी बढ़ी है । हमने अपने विपणन नेटवर्क को भी मजबूत किया है और व्यावसायिक खंड वितरक और संपर्क एजेंट नियुक्त किए हैं, जिनका इंडेंटिंग प्राधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल है, जिसके परिणामस्वरूप एचएएल के पक्ष में आदेश प्राप्त हुए।

हमें जीईएम (सरकारी ई-विपणन) पोर्टल में "विक्रेता" के रूप में पंजीकृत किया गया है और हम विभिन्न सरकारी संस्थानों से उत्पादों की श्रेणी के लिए आदेशों की अच्छी मात्रा प्राप्त कर रहे हैं । भारत सरकार ने भी 104 उत्पादों के लिए औषधीय खरीद नीति (पीपीपी) को बढ़ाया है जिसमें मद्य-जन्य हाथ कीटाणुनाशक (एएचडी) भी शामिल है और एचएएल एकमात्र सीपीएसई है, जिसके पास एएचडी के लिए आवश्यक विनिर्माण सुविधा है। सीपीएसयू के लिए ईएसआईसी दर अनुबंध को भी 01.12.2019 से प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया गया है, जो हमें विभिन्न ईएसआयसी अस्पतालों से पर्याप्त ऑर्डर प्राप्त करने में मदद करेगा। उपरोक्त रणनीति ने कंपनी को पिछले वर्ष की तुलना में 100% वृद्धि प्राप्त करने में मदद की है। भविष्य में भी इसी रणनीति का पालन किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष में भी वृद्धि होगी।"

(च) समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कार्य निष्पादन रेटिंग

9.10 एच ए एल ने 2018-19 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय ,भेषज विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । कंपनी के लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर समझौता ज्ञापन 2017-18 और 2016-17 में कंपनी को लोक उद्यम विभाग द्वारा “अच्छी ” रेटिंग दी गई है ।

अध्याय दस

एचएएल के त्वरित पुनरुद्धार हेतु उठाये गए कदम

(क) संयंत्र/मशीनरी का आधुनिकीकरण /उन्नयन

10.1 एचएएल ने अपनी अब तक लागू परियोजनाओं और भावी परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी ।

(i) <u>अब तक लागू परियोजनाएं</u>: एचएएल ने नए सेफलोस्पोरिन पाउडर इंजेक्टेबल स्थापना की सुविधा पूरी कर ली है। यह सुविधा जुलाई 2010 में डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणन से मान्यता प्राप्त थी। बिटालैक्टम और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का उन्नयन प्रक्रिया में है और यह डब्ल्यूएचओ-जीएमपी की जांच हेतु तैयार है। 2020-21 के दौरान नॉन पैरेंटल फैसिलिटी का भी उन्नयन किए जाने की योजना बनाई जा रही है ।

(ii) <u>नियोजित परियोजनाएँ:</u> एचएएल कंपनी के लिए और अधिक निधि अर्जित करने हेतु निम्नलिखित सुविधाओं को उन्नयन की योजना बना रहा है:

टेल्मिसर्टन, मेरोपेनेम और गैबापेंटिन जैसे बल्क ड्रग्स के निर्माण की सुविधा जिसमें क्रमश: 100 एमटी प्रति वर्ष, 24 एमटी प्रति वर्ष और 117 एमटी प्रति वर्ष की क्षमता है।

(i) अल्कोहल हैंडरब डिसइन्फेक्टेंट के लिए अत्याधुनिक सुविधा, यह ऐसी सुविधा वाला एकमात्र सीपीएसयू है ।

(ii) एचएएल क्लाउड क्लिनिक नाम से हेल्थ कियोस्क का निर्माण और आपूर्ति जो अन्य मापदंडों जैसे रक्तचाप, रक्त शर्करा, ऑक्सीजन के स्तर जैसे 23 स्वास्थ्य मापदंडों को मापता है।

(iii) स्पर्शहीन सैनिटाइज़र का निर्माण और आपूर्ति जो किसी व्यक्ति के तापमान को मापता है और अगर सीमा के भीतर पाया जाता है,तो स्वचालित रूप से हाथों पर सैनिटाइज़र का वितरण करता है।

(iv) कोविड-19 से संबंधित कई उत्पादों जैसे पी पी ई किट ,फेस शील्ड ,हैंड ग्लव्स, एन 95 रेसपिरेटर, इन्फ्रारेड थरमाममीटर आदि की आपूर्ति ।

(v) आईवीएफ संयंत्र को फिर से शुरू करना ।

10.2 उपरोक्त परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण आंतरिक संसाधनों के माध्यम से किया जाएगा। वीआरएस के माध्यम से एचएएल ने पहले ही 379 कर्मचारियों को राहत दे दी है, जिससे वेतन का भार बहुत कम हो गया है और शेष 464 कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद मिली है। माननीय प्रधान मंत्री की बल्क ड्रग्स / एपीआईज के लिए मेक इन इंडिया पहल को बल्क एपीआई के उत्पादन से समर्थन मिलेगा । एचएएल भारत सरकार की बल्क ड्रग्ज / एपीआई के उत्पादन से जुड़ी उत्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन योजना में भी भाग लेगा।

(ख) लागत कटौती उपायों को अपनाना

10.3 विचार-विमर्श के दौरान एचएएल ने समिति को सूचित किया था कि बिजली की उच्च लागत के कारण उत्पादन की लागत बहुत अधिक है। स्वदेशी रूप से उत्पादन करने की तुलना में चीन से एंटिबायोटिक्स आयात करना सस्ता है। यह पूछे जाने पर कि उत्पादन की इस उच्च लागत से निपटने और इसे घरेलू आपूर्ति के लिए फिर से एंटिबायोटिक दवाओं के निर्माण हेतु पर्याप्त प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कंपनी द्वारा पूंजीगत निवेश के बाद कौन से उपायों की परिकल्पना की जा रही है, एचएएल ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"फॉर्मुलेशन संयंत्र के उत्पादन की उच्च लागत से निपटने के लिए, एचएएल अपने मौजूदा विद्युत सुविधाओं के ऊर्जा लेखापरीक्षण को अंजाम देकर अपनी ऊर्जा लागत को कम करने की योजना बना रहा है और साथ ही इन-हाउस खपत के लिए बिजली पैदा करने के लिए रुफ टॉप सौर पैनल स्थापित करने की योजना बना रहा है। सौर संयंत्र लगाने के लिए 25 साल के उपयोग की प्रतिबद्धता दी जानी चाहिए। जैसा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी के 'रणनीतिक बिक्री' का निर्णय पहले ही ले लिया है, कंपनी 25 साल की प्रतिबद्धता देने में असमर्थ है। पेनिसिलिन के उत्पादन की लागत बहुत अधिक है क्योंकि इसमें लगभग 40% बिजली की लागत शामिल है।"

10.4 दिनांक 17.8.2020 को हुए साक्ष्य के दौरान समिति ने एमडी, एचएएल से कार्यान्वित किए गए लागत कटौती संबंधी उपायों, यदि कोई हो , के बारे में पूछा जिस पर उन्होंने निम्नवत बताया:

"दूसरा प्रश्न बिक्री टर्नओवर के बारे में था जो कि 2017-18 में 35 करोड़ था और जिसमें 90% की बढ़ोतरी हुई है तथा यह 2018-19 में 66 करोड़ हो गया है। तथापि कंपनी को 71 करोड़ का नुकसान हुआ है। रोजगार लागत अधिक होने के कारण हमारे पास हजार कर्मचारी हैं। उत्पादन नहीं हुआ और यह कंपनी 9 वर्ष तक बंद रही । 2016 में जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया तो हमने कार्यकलाप शुरू किया और धीरे-धीरे 10 करोड़ से हम 35 करोड़ तक पहुंचे और उसके बाद 66 करोड़ तक पहुंचे। लेकिन पिछले वर्ष के दौरान यह केवल साठ करोड़ था क्योंकि हमें मंत्रालय से 280 करोड़ की निधि प्राप्त हुई थी । हमने 380 कर्मचारियों को वी आर एस दी। हमारा प्रति माह मजदूरी बिल लगभग 3.6 करोड़ रुपए था जो कि घटकर अब 2 करोड़ रुपए प्रतिमाह हो गया है। हमारे पास 200 और अन्य कर्मचारियों के आवेदन हैं जो कि वीआरएस लेकर कंपनी को छोड़ना चाहते हैं। हम मंत्रालय से निधियां मांग रहे हैं। यदि हमें और अधिक सहायता मिलती है तो हम इन कर्मचारियों को भी वी आर एस दे सकते हैं और व्यय को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम प्रतिमाह कैंटीन से 15लाख रुपए , चिकित्सा पर लगभग 15लाख रुपए प्रतिमाह और यातायात पर लगभग ₹10 लाख प्रतिमाह की बचत कर रहे हैं । इस प्रकार से प्रतिमाह लगभग ₹60 लाख की बचत हो रही है। मजदूरी बिल के संबंध में यह बचत 1.6 करोड़ रुपए की है। इसका अर्थ है कि हम 318 कर्मचारियों को वीआरएस देने के पश्चात प्रत्येक माह 2.25 करोड़ रुपए की बचत कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने एक उत्पाद बनाया जो कि एल्कोहलिक हैंड डिसइन्फेक्टेंट है । हमने अत्याधुनिक केंद्र का भी निर्माण

किया जिसे हम 1 सितंबर से शुरू करने जा रहे हैं । यह एक प्रोपेनॉल बेस्ट अल्कोहल हैंड डिसइनफेक्टेंट है। हमने एक मशीन भी तैयार की है जो कि हेल्थ एटीएम की तरह है। हम एटीएम पर जाते हैं, कार्ड इंसर्ट करते हैं और पैसे निकालते हैं । हेल्थ एटीएम में व्यक्ति मशीन पर स्टाम्प करता है। इसमें 5 मिनट के अंदर 23 जांच होती हैं । हमने कई स्थानों पर इसका डेमोंसट्रेशन दिया है और हर किसी ने इस उत्पाद को पसंद किया है।इस एक मशीन से 1 वर्ष में 110 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर मिलेगा। इसकी कीमत 3 लाख रुपए है। एचएल को भारत सरकार द्वारा रणनीतिक बिक्री हेतु चिह्नित किया गया है। यदि सरकार यह निर्णय लेती है कि एचएएल एपीआई का उत्पादन कर सकता है और यदि हमें अनुमोदन मिलता है तो हम एपीआई के बारे में भी सोच सकते हैं।"

10.5 एच ए एल ने लिखित उत्तर में आगे निम्नलिखित लागत कटौती उपायों के बारे में बताया :

क. मानक उपभोग मानदंडों के संबंध में 'क' श्रेणी के कच्चे माल और पैकेजिंग सामग्री की नियमित निगरानी की प्रणाली शुरू की जा रही है।

ख. ब्याज के भार को कम करने के लिए नीधियों का उपयोग और नीधि प्रबंधन पर नियंत्रण।

ग. प्रचालन के सभी क्षेत्रों में लागत में कटौती के उपायों को सख्ती से लागू किया गया है।

घ. उपलब्ध जनशक्ति का इष्टतम उपयोग लागू किया गया है।

ड. यह पूछे जाने पर कि भारतीय बाजार में निजी फार्मा-कंपनियों के लाभ का कारण क्या है जबकि सरकारी पीएसयू उसी सेक्टर में हानि प्राप्त कर रहे हैं, एच ए एल ने लिखित उत्तर में निम्नलिखित बताया :

"अन्य निजी फर्मों की तुलना में एचआर के मामले में उच्च एचआर लागतों और अन्य ओवर-हेड्स के व्यय अधिक हैं। इसके अलावा, एचएएल फार्मास्यूटिकल्स खरीद नीति के अनुसार और एनपीपीए की अनुमोदित दर के अनुसार ज्यादातर संस्था क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हालांकि इससे सीपीएसयूज को काफी हद तक मदद मिली है, लेकिन सीपीएसयूज से 103 मदें खरीदने के लिए विशिष्ट निर्देशों के अभाव में, राज्य सरकार के कई निगम फार्मा खरीदनीति का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। खुली निविदाओं में, निजी फर्म सीमित उत्पादों के लिए निविदाओं में भाग ले रही हैं और शायद विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दरों का हवाला दे रही हैं। थोक में मूल्य वृद्धि के मामले में, वे किसी न किसी कारण से आपूर्ति करना पसंद नहीं करते हैं। एचएएल के मामले में, बल्क दवा की मूल्य वृद्धि के बावजूद एनपीपीए अनुमोदित मूल्य को समग्र भारत में आपूर्ति के लिए बनाए रखा जाना है।"

(ग) कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग

10.6 गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग के बारे में एच ए एल ने लिखित उत्तर में बताया कि एच ए एल ने परिवहन जैसे कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग की है और बेहतर अर्थव्यवस्था हेतु कैंटीन और अस्पताल के प्रचालनों को युक्तिसंगत बनाया है।

(घ) प्रभावी विपणन रणनीति तैयार करना

(i) <u>मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) के साथ समझौता ज्ञापन</u>

10.7 कंपनी ने मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी), आईएसओ 9001:2008 कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है, जो कि हैदराबाद, तेलंगाना में 1973 में स्थापित एक हाई-टेक मैटलर्जिकल प्लांट है जो टाइटेनियम बायोइमप्लान्टस का विनिर्माण करता है। इन जैव चिकित्सा प्रत्यारोपण का उपयोग अग्रिम तकनीकों में किया जाता है जैसे कि चिकित्सा पेशेवरों द्वारा बहुमुखी फ्रैक्चर देखभाल के लिए उपयोग किए जाने वाले इंट्रामेडुलरी नाखून, स्पाइनल उत्पाद और मैक्सिला चेहरे के प्रत्यारोपण। मिधानी द्वारा निर्मित इन जैव चिकित्सा प्रत्यारोपण को एचएएल की वितरण प्रणाली के माध्यम से विभिन्न अस्पतालों में आपूर्ति की जा सकती है और दोनों सार्वजनिक उपक्रमों के लिए राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार, यह एचएएल और मिधानी दोनों पीएसयू के लिए एक जीत की स्थिति होगी।

(ii) <u>बिक्री और विपणन</u>

10.8 वर्तमान में एचएएल अपने उत्पादों की आपूर्ति ज्यादातर सरकारी संस्थानों को कर रहा है। उत्पादन और आपूर्ति 2017-18 से फिर से शुरू हुई। राज्य सरकार के कई निगम दवा खरीद नीति का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए, बाजार हिस्सेदारी के% का पता लगाना मुश्किल है। एचएएल ने विभिन्न संस्थानों से प्राप्त ऑर्डर के लगभग 80% का अनुपालन किया है। कंपनी ने 2018-19 में विभिन्न संस्थानों से संतोषजनक आपूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई निर्यात कारोबार नहीं है।

10.9 समिति को प्रस्तुत पृष्ठभूमि टिप्पण में बताया गया कि एचएएल की बिक्री वर्तमान में काफी हद तक पीपीपी मॉडल के साथ संस्थागत बिक्री पर निर्भर है। पीपीपी व्यवसाय पर निर्भरता कम करने के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाई जाएगी :-

- उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला का समर्थन करने के लिए वितरकों, सी एण्ड एफ एजेंटों और शाखाओं के अच्छी तरह से स्थापित वितरण नेटवर्क के माध्यम से व्यापार बिक्री को बढ़ाना।
- उच्च मूल्य और उच्च लाभ वाले नए उत्पादों को प्रेरित करना और उन उत्पादों को चरणबद्ध रूप से हटाना जो अपने जीवन चक्र के अंत में हैं।
- मौजूदा उच्च लाभ वाले उत्पादों की बिक्री में वृद्धि ।
- लागत में कमी के साथ संस्थागत व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी होना।
- उच्च क्षमता और बेहतर लाभ वाले एग्रो-वेट व्यवसाय का विस्तार करना।

- बढ़ते निर्यात बाजारों पर कब्जा करना क्योंकि विनिर्माण सुविधाएं डब्ल्यूएचओ-जीएमपी के अनुरूप होंगी।

(iii) <u>ग्राहक</u>

10.10 समिति को बताया गया कि कंपनी की बिक्री का बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों से आता है। एचएएल के प्रमुख सरकारी ग्राहक हैं:-

क) रक्षा संस्थान

ख) सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो

ग) ईएसआईसी अस्पताल

घ) सीपीएसयू - रेलवे, स्टील,बीएआरसी, एनपीओसी आदि

ङ) सरकारी मेडिकल कॉलेज

च) विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय

छ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

ज) स्ट्रेप्टोसाइक्लिन,हयूमर आरियोफंगिन, फॉस्फोमील**,** एज़ेटोमील आदि जैसे कृषि उत्पादों के लिए देश का संपूर्ण कृषि क्षेत्र

10.11 समिति ने एक लिखित प्रश्न के द्वारा मंत्रालय से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या यह सही है कि राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने औषध खरीद नीति (पीपीपी) के अंतर्गत 154 सम्मिश्रणों और 103 दवाइयों के मूल्यों को निर्धारित कर दिया है और यह सरकारी विभागों, पीएसयू और स्वायत्त निकायों तथा भारत सरकार के वित्तपोषित स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे एनआरएचएम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा दवाइयों की खरीद के लिए लागू

हैं । कई राज्य सरकारी निगम औषध खरीद नीति (पीपीपी) का पालन नहीं कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि राज्य पीपीपी का पूर्णतया पालन करें, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :

"इस विभाग के नियंत्रणाधीन औषध सीपीएसयू द्वारा उत्पादित दवाइयों के लिए एक खरीद वरीयता नीति को 5 वर्षों की अवधि के लिए अगस्त 2006 में अनुमोदित किया गया था। बाद में दिसंबर 2013 में, औषध सीपीएसयू और उनकी सहयोगी कंपनी के द्वारा विनिर्माण किए जाने वाली दवाइयों के संबंध में 5 वर्षों की अवधि के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट औषध खरीद नीति (पीपीपी) अनुमोदित की गई थी। उक्त नीति केवल केंद्र सरकार के विभागों, उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों और साथ ही भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली दवाइयों की खरीद पर ही लागू थी। पीपीपी एक सुविधा है जिसका उपयोग वहनीय मूल्यों पर दवाइयों की खरीद करने के लिए सरकारी संस्थानों/संगठनों द्वारा किया जा सकता है

परंतु ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि किसी सरकारी इकाई द्वारा इसका अनुसरण करते हुए ही दवाइयों की खरीद करनी पड़े। इस नीति का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया था कि औषध सीपीएसयू और उनकी सहयोगी कंपनियां खुले बाजार में अधिकाधिक बाजार हिस्सेदारी के लिए अपनी विपणन क्षमताओं को सुदृढ़ कर सकें और अपनी संस्थापित क्षमताओं का इष्टतम उपयोग करने योग्य बन सके। हालांकि सीपीएसयू इस नीति के लाभ की उपलब्धता के बावजूद भी कार्य निष्पादन के अपेक्षित स्तर तक नहीं आ सकी । इस प्रकार सरकार ने उन को बंद करने/ रणनीतिक विनिवेश करने का निर्णय लिया है। तथापि सरकार ने नवंबर 2019 में पीपीपी को फार्मा पीएसयू के अंतिम रूप से बंद होने/ रणनीतिक विनिवेश होने तक बढ़ा दिया है। बाद में दिनांक 4.12.2019 को सभी केंद्र/राज्य सरकारों को इस नीति का लाभ उठाने की सलाह दी गई है। एनपीपीए ने 133 सम्मिश्रणों के संशोधित मूल्य निर्धारित किए हैं और शेष 23 सम्मिश्रण विचाराधीन हैं । यदि एचएएल सहित किसी भी औषध पीएसयू द्वारा ऐसा कोई मामला ध्यान में लाया जाता है, यह विभाग संबंधित इकाई को इस नीति का लाभ उठाने की सलाह देता है।"

(iv) <u>प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजीपी) के माध्यम से बिक्री</u>

10.12 सभी के लिए वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) नवंबर 2008 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत समर्पित बिक्री केंद्र जिन्हें प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कहा जाता है,खोले गए जिससे कि जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकें । जन औषधि योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। इस परियोजना के उद्देश्य निम्नवत हैं :

- विशेषकर गरीबों और वंचितों सहित समग्र वर्ग के लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- इस अवधारणा कि केवल अधिक मूल्य की दवाइयां ही गुणवत्तापूर्ण होती हैं ,को दूर करने के लिए शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाइयों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- पीएमबीजेपी केंद्र खोले जाने में व्यैक्तिक उद्यमियों को नियुक्त कर रोजगार पैदा करना ।

10.13 बेशक विभाग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना चलाता है जोकि रजिस्टर्ड सोसाइटी अर्थात ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। बीपीपीआई भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। अब योजना के उत्पादों में सभी प्रमुख चिकित्सा श्रेणी जैसे संक्रामक रोधी , एलर्जी रोधी मधुमेह रोधी, कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर रोधी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवाइयों इत्यादि से संबंधित 800 से अधिक दवाइयां और 154 से अधिक सर्जिकल और कंज्यूमेबल शामिल हैं। 15.11.2018 को देश के 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 4410 पीएमबीजेपी केंद्र कार्यरत हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या एच ए एल द्वारा अपने किन्ही उत्पादों की जन औषधि केंद्रों को आपूर्ति की जा रही है, मंत्रालय ने समिति को लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"एचएल ने 2011-12 से 2015-16 तक लगभग 2.87 करोड़ रुपए के कुल मूल्य के उत्पादों की जन औषधि केंद्रों को आपूर्ति की है। इसका विवरण निम्नवत है। तदुपरांत कंपनी को जन औषधि केंद्रों से कोई आर्डर प्राप्त नहीं हुए।

सभी स्थानों पर जन औषधि बिक्री		
क्रम सं	**वर्ष**	**अवधि मूल्य**
1	2011-12	3736895.23
2	2012-13	1140946.68
3	2013-14	1539615.1
4	2014-15	378355.67
5	2015-16	21976878.89
6	2016-17	0
7	2017-18	0
8	2018-19	0
9	2019-20	0
10	2020-21	0
	कुल	**28772691.57**

10.14 समिति ने विशेष रूप से यह जानना चाहा कि क्या जन औषधि केंद्रों को दवाइयों की आपूर्ति करने हेतु फार्मा क्षेत्र की पीएसयू को कोई प्राथमिकता दी गई है और यदि नहीं तो ऐसा किए जाने के क्या कारण हैं । मंत्रालय द्वारा समिति को इस बारे में निम्न जानकारी दी गई :

"प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का कार्यान्वयन विभाग के फार्मा क्षेत्र के पीएसयू द्वारा निर्मित सोसाइटी अर्थात ब्यूरो आफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) द्वारा किया जाता है।एच ए एल के प्रबंध निदेशक, अन्य पीएसयू के सीएमडी/ एमडी सहित बीपीपीआई की शासी परिषद के सदस्य होते हैं। बीपीपीआई प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों में बिक्री हेतु केंद्रीय खरीद पोर्टल के माध्यम से खुली ई निविदा द्वारा दवाइयां और अन्य उत्पाद खरीदता है। अतः एल 1 बोलीकर्ता जो तकनीकी रूप से अर्ह होते हैं, को एक निश्चित अवधि हेतु दवाइयों की आपूर्ति के लिए रेट निविदा प्रदान की जाती है। तथापि केंद्रीय क्षेत्र के फार्मा पीएसयू को निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेना होता।

उन्हें रेट कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है बशर्ते वे एल 1 दरों के अनुरूप हों । यही नहीं , डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणन की न्यूनतम आवश्यकता जो कि अन्य विक्रेताओं हेतु अपेक्षित है, केंद्रीय क्षेत्र के फार्मा पीएसयू के लिए अनिवार्य नहीं है। बीपीपीआई अपने कई उत्पादों की सूची व दरें केंद्रीय क्षेत्र के फार्मा पीएसयू की खरीद दरों के साथ साझा करते हैं और उनसे सीधे उत्पादक को आपूर्ति करने का अनुरोध करते हैं। बीपीपीआई भेषज क्रय नीति पीपीपी के अंतर्गत शामिल पीएसयू को भी प्राथमिकता देते हैं । उन्हें खरीद हेतु भुगतान में भी प्राथमिकता दी जाती है।"

अध्याय ग्यारह

लंबित सी एंड एजी पैराओं की स्थिति

11.1 समिति ने एक लिखित प्रश्न के द्वारा मंत्रालय ने एच ए एल से ट्रेड रिकवरी से संबंधित पैराओं के बारे में पूछा जिसके अंतर्गत 28.87 करोड़ रुपए में से केवल 50000 रुपए ही प्राप्त हुए हैं और शेष 28.38 करोड़ रुपए शेष हैं जो अधिकांशतः सरकारी ग्राहकों से की जानी है । समिति ने जानना चाहा कि 28.38 करोड़ रुपये की शेष राशि की वसूली के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं,जिस पर एच ए एल ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :

"उक्त राशि के विस्तृत अध्ययन और वसूली के लिए एक समिति बनाई गई थी। विस्तृत अध्ययन में, यह देखा गया कि वर्ष 1972 से 2014 तक अधिकांश राशि सरकारी संस्थान की ओर से बकाया थी। आगे, यह देखा गया कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा एलडी प्रभार, जुर्माना, ब्याज आदि के रूप में उक्त राशि में कटौती की गई है। वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विस्तृत समीक्षा और लेखापरीक्षा के बाद मामले को 07.08.2020 को बोर्ड के समक्ष रखा गया था और उसके राइट-ऑफ के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसका प्रभाव 2019-20 के वार्षिक लेखा में दर्शाया गया है।

11.2 पट्टे के समझौतों के नवीनीकरण में अत्यधिक विलंब और 96.44 लाख रूपये के किराये की वसूली न करने की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर एच ए एल ने निम्न स्पष्टीकरण दिया:

"पट्टे के समझौतों के नवीनीकरण में देरी से बचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मामला कोर्ट में लंबित है। कंपनी ने पट्टे के समझौतों को नवीनीकृत करने के लिए निरंतर, नियमित और जोरदार अनुसरण किया है जो कंपनी को अच्छा किराया दिला रहा है। पट्टेदार को बेदखल करना आसान नहीं है, लेकिन कंपनी की संपत्ति से लगातार आय प्राप्त करने के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हालाँकि, यदि आवश्यक हो, तो निष्कासन कार्यवाही भी आयोजित की जाती है यदि पट्टेदार कंपनी के नियमों और शर्तों को नवीनीकृत या स्वीकार करने में विफल रहता है। अद्यतन स्थिति यह है कि सरकार के साथ चर्चा / बातचीत जारी है। यूको बैंक, विजया बैंक, डाकघर जैसे किरायेदारों और एचएएल के पक्ष में एक दृढ़ निर्णय शीघ्र ही अपेक्षित है। दो किरायेदार अर्थात् पंजाब केमिकल्स मैसर्स.नाशीकर मुकदमेबाजी में चले गए हैं और मामला वर्तमान में यह मामला न्यायनिर्णयाधीन है।"

भाग दो

टिप्पणियाँ और सिफारिशें

हिंदुस्तान एंटी बायोटिक्स् लिमिटेड (एच ए एल) - संक्षिप्त विवरण

1. **समिति ने नोट किया कि हिंदुस्तान एंटी बायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय और विनिर्माण सुविधाएं महाराष्ट्र के पुणे, पिंपरी में स्थित है। कंपनी का गठन थोक दवाओं, जीवन रक्षक दवाओं और अन्य फॉर्म्यूलेशन के निर्माण के लिए किया गया था। विगत वर्षों के दौरान कृषि और पशु चिकित्सा दवाओं में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों के लिए कई नए उत्पादों का विनिर्माण किया गया । कंपनी ने दो सहायक कंपनियों का गठन किया, अर्थात् इम्फाल में मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एम एस डी पी एल) जो 1998 से बंद है और नागपुर में महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एम ए पी एल) जो 2003 से बंद है। महाराष्ट्र , पुणे के पिंपरी में कंपनी का 263 एकड़ में अपना खुद का फ्रीहोल्ड लैंड है और वर्तमान में 464 कर्मचारियों की श्रमशक्ति है। कंपनी के पास पेन्सिलिन-जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट आदि जैसी थोक दवाओं के विनिर्माण के लिए किण्वन (फर्मेन्टेशन)आधारित विनिर्माण सुविधाएं हैं। वर्तमान में कंपनी, औषधि (फार्मा) और कृषि बाजार की विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए औषधि फॉर्म्यूलेशन और एग्रो फॉर्म्यूलेशन के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। फार्मा उत्पादों में इंजेक्टेबल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंट्रावीनस उत्पाद, लिक्विड सिरप आदि जैसी विभिन्न खुराक शामिल हैं। कंपनी को 1973-74 में पहली बार घाटा हुआ था और मार्च 1997 में बी आई एफ आर द्वारा रुग्ण घोषित किया गया था। सरकार ने जून 2007 में 137.59 करोड़ रुपये की लागत के साथ पुनर्वास योजना को मंजूरी दी जिसमे 80.63 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन तथा 56.96 करोड़ रु ब्याज मुक्त ऋण था। इसके बाद दिसंबर 2016 में, सरकार ने 307.23 करोड़ रुपये के ऋण जिसमे 186.96 करोड़ रुपये की मूल राशि और 120.27 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल था को, तथा 128.68 करोड़ रुपये की विभिन्न बकाया राशि को आस्थगित कर दिया और साथ ही मजदूरी , वेतन और अन्य महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये का ऋण भी स्वीकृत किया। । इसके बाद, मंत्रियों की समिति की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रिमंडल ने इसकी देयताओं को पूरा करने के लिए कंपनी की अधिशेष भूमि को 28.12.2016 को बेचने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने 17.07.2019 के अपने पहले के फैसले को संशोधित किया और संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अधिशेष भूमि की बिक्री की अनुमति दी और 280.15 करोड़ रुपये के ऋण के रूप में बजटीय सहायता भी प्रदान की ताकि कर्मचारियों के वेतन और वीआरएस का भुगतान किया जा सके। समिति को दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार ने कंपनी के रणनीतिक विनिवेश के लिए निर्णय लिया था। तथापि , रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सलाह पर, सरकार ने कंपनी के विनिवेश के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए नीति आयोग और वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है। एचएएल ने फार्मास्यूटिकल विभाग को एक व्यावसायिक योजना प्रस्तुत की है और एक रणनीतिक साझेदार के रूप में इच्छा भी व्यक्त की है। अपनी रिपोर्ट में, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति ने कंपनी के कार्य निष्पादन से संबंधित प्रमुख मुद्दों की जांच की है और सरकारी कंपनी के रूप में इसे बनाए रखने के लिए इसकी मूलभूत सामर्थ्य (कोर काम्पिटन्स) , शक्ति,अवसर और संभावना का भी अध्ययन किया । समिति को आशा है कि आगामी पैराओं में की गई उनकी**

टिप्पणियों और सिफारिशों को सही परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाएगा ताकि आने वाले वर्षों में कंपनी की वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके।

2. *एचएएल - अब तक की यात्रा*

समिति नोट करती है कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने अपने अस्तित्व के पिछले 65 वर्षों के दौरान कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। कंपनी जो अपने शुरुआती 20 वर्षों की अवधि के दौरान लाभ कमा रही थी, उसमे वर्ष 1973-74 में पहली बार उसे घाटा हुआ था। समिति का मानना है कि वर्ष 1973-74 में एचएएल के अचानक घाटे में जाने का मुख्य कारण एक तरफ पेट्रोलियम की कीमतों में उछाल था और दूसरी तरफ दवाओं की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। समिति हालांकि सरकार की नीति की सराहना करती है कि सरकारी अस्पतालों और आम जनता के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन समिति का दृढ़ मत है कि सरकार उस संकट के दौरान एक प्रभावी प्रतिपूरक तंत्र विकसित कर सकती थी जो कंपनी को लगातार होने वाले घाटे से बचा सकती थी ।

3. समिति ने यह भी पाया कि कंपनी के बकाया ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के लिए वर्ष 1994 में स्वीकृत एक अन्य पूंजी पुनर्गठन योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि उक्त प्रस्ताव के लिए सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन में काफी समय लग गया था और जब यह कार्य प्रगति पर था , तब 1993-94 से 1996-97 की अवधि के दौरान भारी नुकसान के कारण कंपनी रुग्ण हो गई थी और कंपनी को 31.03.1997 से रुग्ण घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार, 1994 की पूंजी पुनर्गठन योजना को लागू नहीं किया जा सका और इसे बीआईएफआर द्वारा विचाराधीन पुनर्व्यस्थापन सथापन पैकेज का अभिन्न अंग बना दिया गया। समिति ने पाया की एच ए एल को 1997 में ही बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था, फिर भी पुनरुद्धार योजना को वर्ष 2007 में मंजूरी दी जा सकी , अर्थात कंपनी को रुग्ण घोषित किए जाने के लगभग 10 वर्षों के बाद । इस बीच, कार्यशील पूंजी की कमी और थोक उत्पाद संयंत्रों , सेवा एवं सेवा विभागों को चलाने के लिए प्रशासनिक और अतिरिक्त लागत के कारण कंपनी की वित्तीय परेशानियाँ बढ़ गई । 2007 के पुनरुद्धार पैकेज के तहत अतिरिक्त भूमि की प्रस्तावित बिक्री को मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 तक अनुमोदित नहीं किया गया था, हालाँकि राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं सहित अन्य बोलीदाताओं से अच्छी दरों का प्रस्ताव किया गया था जिसके कारण कंपनी के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जो इस बात से स्पष्ट है कि कुल उत्पादन मूल्य जो 2006-07 में लगभग 50 करोड़ रुपये था और जो वर्ष 2007-08 में बढ़कर 140 करोड़ रुपये और वर्ष 2008-09 में 149 करोड़ रुपये हो गया था, लेकिन वर्ष 2016-17 में मात्र 11.36 करोड़ रुपये रह गया था । समिति ने देखा कि भारत में निर्मित पेनिसिलिन की कीमतें आयातित पेनिसिलिन की तुलना में बहुत अधिक होने से एचएएल की स्थिति और खराब हो गई । समिति यह कहने के लिए बाध्य है कि हालांकि सरकार में एचएएल की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखने की क्षमता थी लेकिन निर्णय लेने में विलंब तथा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करने संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दोंका समाधान करने में अपर्याप्त कार्रवाई के कारण यह अवसर गँवा दिया।

4. समिति द्वारा तथ्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि विभिन्न कारणों अर्थात पेट्रोलियम की कीमतों में उछाल, उत्पादन की लागत में वृद्धि के अनुरूप औषधियों की कीमतों में संशोधन न करना , ब्याज का बोझ, 1997 के बाद पुनरुद्धार पैकेज के लिए लगभग 10 वर्षों की देरी, अतिरिक्त भूमि के मुद्रीकरण में विलंब , सेवाओं की उच्च लागत, सस्ती दरों पर आयातित दवाओं की उपलब्धता आदि से एचएएल को निरंतर नुकसान हुआ और एचएएल हानि के दुष्चक्र में फंस गया । समिति का सुविचारित मत है कि यह अकेले कंपनी से जुड़ा विशिष्ट मुद्दा नहीं है, जिस के कारण कंपनी इस स्थिति में पहुंची । बल्कि ऐसा विभिन्न बाहरी कारणों के संचित परिणाम के कारण हुआ था जिसके कारण एचएएल की वित्तीय स्थिति खराब हो गई। समिति को आशा है कि अब सरकारी तंत्र सभी आवश्यक उपाय करेगा ताकि निकट भविष्य में देश में एक मजबूत थोक औषधि उत्पादक के लिए एचएएल को पुनर्जीवित किया जा सके।

एचएएल - सुधार की राह पर

5. समिति ने देखा कि दिसंबर 2016 में एचएएल को धन मुहैया कराने की प्रक्रिया में, सरकार ने एचएएल का 307.23 करोड़ का ऋण और ब्याज (186.96 करोड़ रुपये का मूल तथा 120.27 करोड़ रुपये का ब्याज)माफ कर दिया, 128.68 करोड़ रुपये के लिए विभिन्न देय राशि को आस्थगित किया और मजदूरी, वेतन और अन्य महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये का ऋण भी स्वीकृत किया। समिति ने देखा कि पिछले चार वर्षों के लिए बिक्री कारोबार में वृद्धि हुई है यह 2016-17 में 10.73 करोड़ रुपये, 2017-18 में 35.21 करोड़ रुपये, 2018-19 में 66.85 करोड़ रुपये और 2019-20 में 61.25 करोड़ रुपये था । बिक्री कारोबार, पिछले चार वर्षों में छह गुना बढ़ गया है। हालांकि, समिति ने ध्यान दिया कि लगभग 70 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का नुकसान उच्च विद्युत लागत तथा मजदूरी और वेतन के भुगतान के कारण हुआ है। कारोबार बढ़ाने के अपने प्रयासों के रूप में, कंपनी ने कई पहलें की हैं जैसे (i) पशु चिकित्सा खंडों में प्रवेश, (ii) कृषि खंडों में उत्पादन फिर से शुरू करना, (iii) एच ए एल आर यू बी , स्वास्थ्य कियोस्क और हाथ स्वच्छता डिस्पेन्सर जैसे स्वच्छता उत्पाद विकसित करना (iv) अद्वितीय मद विकसित करना: (क) एंटी-फ्रीज सलाइन (ग्लिसरीन के साथ सलाइन) जो सियाचिन जैसे उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है, और (ख) नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के लिए नारकोटिक डिटेक्शन किट, आदि । समिति ने देखा कि इसकी कई योजनाएं जैसे (i)) थोक विनिर्माण सुविधा की स्थापना जिसमे लगभग 50 से 60 टन प्रति माह की प्रारंभिक विनिर्माण क्षमता के साथ एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट का उत्पादन , (ii) सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को पूरा करने के लिए पेनिसिलिन वी गोलियों का निर्माण, (iii) एक एपीआई पेन्सिलिन जी संयंत्र का आधुनिकीकरण - कंपनी के भविष्य के बारे में अनिश्चितता के कारण रुका हुआ है । समिति को आशा है कि एचएएल के हित में उचित निर्णय बहुत जल्द सरकार द्वारा लिया जाएगा ताकि एचएएल को अपने पिछले गौरव को फिर से हासिल करने में सक्षम बनाया जा सके और एचएएल देश में थोक दवाओं की एक अग्रणी विनिर्माता के रूप में फिर से उभर सके।

फार्मा - सामरिक क्षेत्र में प्रवेश की आवशयकता

6. समिति ने देखा कि मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि एचएएल, आईडीपीएल, आरडीपीएल और बीसीपीएल की अधिशेष भूमि को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से सरकारी एजेंसियों को बेचा जाए, और उनकी बकाया देनदारियों को बिक्री आय से पूरी की जाए । यह भी सिफारिश की गई कि देनदारियों को पूरा करने के बाद, आईडीपीएल और आरडीपीएल को बंद कर दिया जाए और एचएएल और बीसीपीएल को रणनीतिक रूप से बेचा जाए। 17.07.2019 को मंत्रिमंडल ने अपने पहले के निर्णय को संशोधित किया और डीपीई की 14.06.2018 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अधिशेष भूमि की बिक्री की अनुमति दी और कर्मचारियों के लंबित वेतन और वीआरएस के भुगतान के लिए कंपनी को 280.15 करोड़ रुपये के ऋण के रूप में बजटीय सहायता भी प्रदान की है। । मंत्रिमंडल ने संपत्ति की बिक्री और बकाया देनदारियों की समाप्त करने सहित बंद / रणनीतिक बिक्री से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए मंत्रियों की एक समिति के गठन का भी फैसला लिया । समिति हालांकि यह देखती है कि इस बीच, नीति आयोग ने फैसला किया कि सार्वजनिक उपक्रमों को 'प्राथमिकता' उनके द्वारा की गई 'गतिविधि की प्रकृति' के आधार पर दी जाए न की 'उनके वित्तीय प्रदर्शन ' के आधार पर । इसने इस आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों को वर्गीकृत किया कि क्या वे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित किसी भी रणनीतिक उद्देश्य की पूर्ति कर रहे थे, संप्रभु या अर्ध संप्रभु कार्य कर रहे थे, ऐसे महत्वपूर्ण विकास कार्य में शामिल थे, जहां निजी क्षेत्र कार्य करने में असमर्थ थे या सार्वजनिक उपयोगिता (यूटिलिटी), जहां सार्वजनिक उद्यम की उपस्थिति सार्वजनिक उद्देश्य की सेवा के लिए जरूरी थी । कोई भी पीएसयू, जो उपरोक्त चार मानदंडों में से एक को भी पूरा करता है, को 'उच्च प्राथमिकता' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। फार्मास्यूटिकल्स पीएसयू, जो उपरोक्त कार्यों में से कोई भी कार्य नहीं कर रहे थे, उन्हें कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। नीति आयोग ने विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों की जांच करने के बाद, प्रत्येक पीएसयू के संबंध में पुनरुद्धार / विलय / बिक्री / राज्य सरकार को हस्तांतरित करने / बंद करने /पट्टे / रणनीतिक विनिवेश आदि के लिए सिफारिश की, लेकिन फार्मा पीएसयू के संबंध में अपनी सिफारिशें आस्थगित रखने का फैसला किया। समिति ने देखा कि देश एक विशेष देश से काफी मात्रा में दवाओं का आयात कर रहा है। समिति की राय है कि विशेष रूप से जीवन रक्षक दवाओं के लिए एक विशेष देश से आयात पर बहुत अधिक निर्भरता वांछनीय नहीं है और इसलिए, यह राष्ट्रीय हित में है कि फार्मा क्षेत्र में कम से कम एक पीएसयू होना चाहिए ताकि देश में स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में हम इस पर निर्भर कर सकें कहीं आपातकाल की स्थिति में स्वदेशी निजी क्षेत्र हमारी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम न हों । अतः समिति का सुविचारित मत है कि फार्मा को एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए ताकि भू-राजनीतिक कारणों और स्वास्थ्य आपात स्थिति आदि के कारण अनिश्चितताओं से उत्पन्न स्थितियों में स्वास्थ्य क्षेत्र और देश की लगभग 1.3 बिलियन जनसंख्या की अच्छी तरह से देख भाल की का सके । समिति इसलिए सरकार से आग्रह करती है कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के भविष्य के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले वह इन सभी कारकों पर गंभीरता से विचार करे।

एचएएल की सहायक कंपनियां

7. समिति ने देखा कि एचएएल की दो सहायक कंपनियाँ हैं: (i) मणिपूर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एम एस डी पी एल), और (ii) महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एम ए पी पी)। एम एस डी पी एल एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है जिसे 1989 में एम ए एन आइ डी ओ के माध्यम से एच ए एल और मणिपूर सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कंपनी इम्फाल में स्थित है। एम एस डी पी एल में एच ए एल और एम ए एन आइ डी ओ की शेयरहोल्डिंग क्रमशः 51% और 49% है। मणिपूर राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या और वित्तीय कठिनाइयों के कारण, एम एस डी पी एल परियोजना पूरी नहीं हो सकी। एम एस डी पी एल की वर्तमान स्थिति यह है कि यह 1998 से बंद है और 09.01.2017 को कैबिनेट ने सहायक कंपनी को प्रथक करने का फैसला किया। हालांकि, निदेशक मंडल को अभी कैबिनेट के फैसले के कार्यवाही सारांश को अपनाना बाकी है । 1998-99 से 2017-18 की अवधि के लिए एमएसडीपीएल के खातों को अंतिम रूप दे दिया गया है और एमएसडीपीएल की अंतिम बोर्ड बैठक 17 अप्रैल 2018 को आयोजित की गई थी। महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एमएपीएल) जैसी एक अन्य सहायक कंपनी को 1979 में महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ सिकॉम और वित्तीय संस्था आईडीबीआई के माध्यम से शामिल किया गया था | यह कंपनी 95 वर्ष के पट्टे के साथ लगभग 12.5 एकड़ जमीन पर हिंगाना एमआईडीसी, नागपूर में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में थी। एमएपीएल में आईडीबीआई की हिस्सेदारी 8% है और सिकॉम की 33% है और बाकी 59% हिस्सेदारी एचएएल के पास है। शूरू से ही एमएपीएल को वर्किंग कैपिटल की समस्याओं के कारण घाटा उठाना शूरू हो गया था । बाद में, 04.09.2000 को बीआईएफआर द्वारा एमएपीएल को एक रुग्ण औद्योगिक इकाई घोषित किया गया। एचएएल ने फरवरी 2015 में भेषज विभाग के सचिव को एक पूनरुद्धार योजना प्रस्तूत की। एमएपीएल की वर्तमान स्थिति के बारे में एचएएल ने बताया कि कैबिनेट ने 09.01.2017 के अपने पत्र के माध्यम से एमएपीएल को अलग इकाई बनाने का फैसला किया है। इस मामले में निदेशक मंडल को अभी भी कैबिनेट के फैसले के कार्यवाही सारांश को अपनाना है। ज्ञात हो कि एनबीसीसी को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) नियुक्त किया गया है और एमएसटीसी को नीलामी एजेंसी (एए) नियुक्त किया गया है। एचएएल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बिक्री कर प्राधिकारियों को 6 करोड़ रुपये के लंबित बकाये के अलावा एमएपीएल के पास सिकॉम के 21.66 करोड़ रुपये, आईएफसीआई के 76.50 लाख रुपये और आईडीबीआई के 1.30 करोड़ रुपये बकाया हैं। वर्तमान में एमएपीएल में कोई कर्मचारी नहीं है और कंपनी 2003 से बंद है। समिति पाती है कि एचएएल की इन 02 सहायक कंपनियों ने एचएएल के व्यवसाय में कोई सकारात्मक योगदान नहीं दिया है बल्कि विभिन्न मूद्दों को निपटाने में होल्डिंग कंपनी के समय और ऊर्जा को लगाया है । इसलिए समिति सिफारिश करती है कि इन दोनों सहायक कंपनियों का अलग अस्तित्व करने हेतू जल्द से जल्द कैबिनेट के फैसले को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए । उनके खातों का निपटारा उनकी परिसंपत्तियों और देनदारियों के समायोजन के साथ किया जा सकता है और भूमि, नकदी और इन्वेंटरी के मामले में परिसंपत्तियों के जो भी उपार्जन या प्राप्तियां एचएएल के हिस्से में आती हैं, इसका उपयोग एचएएल के व्यापार संचालन को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए । समिति इस संबंध में समयबद्ध कार्रवाई की सिफारिश करती है।

क्षमता उपयोग

8. समिति नोट करती है कि 2016-17 के बाद से एचएएल के विभिन्न फार्मा और एग्रो-केमिकल उत्पादों का क्षमता उपयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है। समिति द्वारा उन्हें सौंपे गए आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि टैबलेट के मामले में क्षमता उपयोग 2016-17 में 0.89 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 43.46 प्रतिशत हो गया। कैप्सूल के मामले में, यह 2016-17 के 0.53% से बढ़कर 2018-19 में 7.8% हो गया। इसी प्रकार आईवीएफ के मामले में यह 2016-17 के 0 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 4.97 प्रतिशत हो गया और एग्रो-केमिकल के मामले में यह 2016-17 के 20.11 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 51.47 प्रतिशत हो गया। तथापि ,समिति पाती है कि शीशियों (वायल) के मामले में प्रतिशत क्षमता उपयोग जो 2016-17 में 0.98% था वह 2017-18 में बढ़कर 6.39% हो गया, लेकिन वर्ष 2018-19 में घटकर 6.34% हो गया। कंपनी ने कहा है कि इन उत्पादों की क्षमता को आवश्यकता के आधार पर बढ़ाया जा सकता है क्योंकि एचएएल के पास प्रयोगरहित बड़े आकार की किण्वन(फ़र्मेंटेशन) सुविधाएं हैं। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि एचएएल अपने दवा निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता उपयोग को धीरे-धीरे बढ़ाने में सफल रहा है और आशा करती है कि एचएएल इस गति को जारी रखेगा ताकि अधिकतम क्षमता उपयोग स्तर को प्राप्त किया जा सके और निकट भविष्य में संयंत्र को इष्टतम स्तर पर चलाया जा सके ।

अनुसंधान और विकास (अनुसंधान और विकास) पहल

9 . समिति नोट करती है कि एचएएल के आरएंडडी डिवीजन को पौधों के विभिन्न फंगल और जीवाणु रोगों को नियंत्रित करने वाली कृषि में उपयोग के लिए दो एंटीबायोटिक्स अर्थात हैमाइसिन और ऑरेफुंगिन की खोज करने का श्रेय दिया जाता है । एचएएल ने पूर्व के साथ-साथ 2018-19 में फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और पशु चिकित्सा उत्पादों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को अंजाम दिया है । इनमें शामिल है: (i) नए फॉर्मूलों का विकास जिसमें बाजार की जरूरतों के अनुसार एंटी-इनफ्लेमेटरी, एंटी-हिस्टेमिक और एंटी-इंफेक्टिव दवाएं शामिल हैं, (ii) मानक आकार के नारकोटिक ड्रग डिटेक्शन किट, प्रिकर्सर केमिकल्स डिटेक्शन किट और केटामाइन डिटेक्शन किट का परिष्करण और विनिर्माण, (iii) तपेदिक रोधी ड्रग किट का विकास, (iv) मौजूदा दवा निर्माण लागत को किफ़ायती बनाना (v) गैर-स्टरलिट पेनीसिलेस का उत्पादन, (vi) पोटाश घोलक बैक्टीरिया और एनकेपी फ़ार्मूलेशन को पुनः आरंभ करना। (vii) ऑरेयोफुंगिन का उत्पादन फिर से शुरू करना, (viii) हुमौर का उत्पादन का पुन: शुरु करना आदि। समिति पता चला है कि आरएंडडी एचएएल की मुख्य क्षमता है। तथापि समिति ने पाया है कि कंपनी के 'रणनीतिक बिक्री' टैग और अनिश्चित भविष्य के कारण, अनुसंधान और विकास गतिविधियों को गति नहीं मिल रही है। समिति का मानना है कि अनुसंधान और विकास पहलों के सकारात्मक परिणाम तत्काल परिलक्षित नहीं हो सकते हैं लेकिन इन गतिविधियों का प्रभाव दीर्घकाल में कंपनी के प्रदर्शन, लागत प्रभावशीलता और मुनाफे में वृद्धि के रुप में पड़ता है । समिति का मानना है कि फार्मा उद्योग एक गतिशील क्षेत्र होने के नाते स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में अप्रत्याशित आयामों के साथ लगातार नई चुनौतियों का सामना करता है जिसके लिए इस तरह के संकट से निपटने हेतु समय पर आविष्कार और नए फ़ार्मुलेशन विकसित करने के लिए एक मजबूत अनुसंधान और विकास आधार की आवश्यकता होती है । इसलिए समिति सिफारिश करती है कि अनुसंधान और विकास गतिविधियों को पर्याप्त और योग्य पेशेवरों तथा बेहतर अवसंरचना के साथ सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि संगठन के व्यावसायिक प्रचालन संकट के समय में कठिनाइयों को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित और समय - उन्मुख हों ।

कार्यान्वित परियोजनाएं और भविष्य की योजना

10. समिति नोट करती है कि एचएएल ने नई सेफेलोस्पोरिन पाउडर इंजेक्शन सुविधाओं की स्थापना पूरी कर ली है जिसे जुलाई 2010 में डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणन से प्रत्यायित किया गया था। एचएएल ने बीटालैक्टम और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का उन्नयन कार्य भी पूरा कर लिया है और यह डब्ल्यूएचओ-जीएमपी निरीक्षण के लिए तैयार है। नॉन-पेरेंटल फैसिलिटी को 2020-21 के दौरान डब्ल्यूएचओ-जीएमपी अनुपालन में अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है । इसके अलावा, एचएएल ने कंपनी के लिए और अधिक धन जुटाने के लिए कई सुविधाओं के उन्नयन की भी योजना बनाई है जिसमें शामिल है: (i) टेलमिसर्टिन, मेरोपेनम और गैबपेंटिन जैसी दवाओं के बड़ी मात्रा में उत्पादन की सुविधा जहाँ उनकी उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष क्रमशः 100 एमटी , 24 एमटी और 117 एमटी हो, (ii) अल्कोहलिक हैंडरब कीटाणुनाशक के लिए अत्याधुनिक सुविधा, एकमात्र सीपीएसयू जिसके पास ऐसी सुविधा है , (iii) एचएएल क्लाउड क्लिनिक नाम से स्वास्थ्य कियोस्क का निर्माण और आपूर्ति जो अन्य मानकों के साथ-साथ रक्तचाप, रक्त शर्करा, ऑक्सीजन स्तर जैसे 23 स्वास्थ्य मानकों को मापता है, (iv) टचलेस सैनिटाइजर का निर्माण और आपूर्ति जो किसी व्यक्ति के तापमान को मापता है और यदि सीमा के भीतर पाया जाता है, तो स्वचालित रूप से हाथों पर सैनिटाइजर को वितरित करता है, (v) कोविड -19 से संबंधित विभिन्न उत्पादों जैसे पीपीई किट, फेस शील्ड, दस्ताने, एन-95 रेस्पिरेटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर आदि की आपूर्ति , और (vi) आईवीएफ संयंत्र को फिर से शुरू करना । समिति को उम्मीद है कि थोक में एपीआई के स्वदेशी विनिर्माण से सरकार की महत्वाकांक्षी पहल 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी और थोक दवाओं/एपीआई के निर्माण के लिए सरकार द्वारा शुरु की गई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना में एचएएल की भागीदारी निश्चित रूप से कंपनी की वित्तीय स्थिति को बदलने के लिए एक ठोस कदम होगा ।

मानव संसाधन

11 . समिति नोट करती है कि वर्तमान में एचएएल 2 शाखा कार्यालयों और 8 सीएंडएफ के साथ काम कर रहा है जो संबंधित राज्यों के क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने पूरे भारत में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत 31 संपर्क एजेंट और 27 अस्पताल वितरकों की नियुक्ति की है । चूंकि एचएएल घाटे में चल रही थी, इसलिए कंपनी छठे वेतन आयोग को लागू नहीं कर सकी जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों का वेतन समान उद्योगों में उनके समकक्षों की तुलना में बहुत कम हुआ ।

इसके कारण एच एल न तो प्रतिभाओं को सहेज कर रख पाता है और नही नई प्रतिभाओं को आकर्षित कर पाता है। एचएल की जनशक्ति की स्वीकृत संख्या 1724 है। समिति ने यह पाया है कि आजकल अधिकांश कामकाज न्यूनतम मानव श्रम के साथ मशीनों की सहायता से किया जा रहा है। अतः समिति सिफारिश करती है कि ऐसे मे एचएएल को अपने विनिर्माण कार्यों और अन्य विभागों में व्यापक यंत्रीकृत प्रक्रियाओं को शुरू करने की संभावनाएं तलाशनी चाहिए ताकि तैयार उत्पादों की गुणवत्ता सुधरे और प्रशासनिक लागतो तथा अन्य देनदारियों में अधिकतम कटौती की जा सके।

बिक्री और विपणन

12 समिति नोट करती है कि वर्तमान में एचएएल अधिकांशतः सरकारी संगठनों अर्थात, रक्षा संस्थानों, सरकारी मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट्स, ईएसआईसी अस्पतालों ,सीपीएसयू, सरकारी मेडिकल कॉलेजो में विभिन्न राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और देश के कृषि क्षेत्र इत्यादि को उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है ।एचएएल की बिक्री मोटे तौर पर पीपीपी मॉडल वाली संस्थागत बिक्री पर निर्भर है। पीपीपी कारोबार पर निर्भरता को कम करने के लिए चलने निम्नलिखित तरीके अपनाएं हैं : (1) उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला को सहारा देने के लिए वितरकों सी एंड एफ एजेंट्स और शाखाओं के स्थापित वितरण नेटवर्क के माध्यम से व्यापार बिक्री में वृद्धि करना (2)अधिक मूल्य वाले और उच्च मुनाफे वाले नए उत्पादों को शामिल करना और उन उत्पादोन को चरणबद्ध तरीके से हटाना जो अपने जीवन चक्र के अंतिम छोर पर हैं (3)उच्च मुनाफे वाले मौजूदा उत्पादों की बिक्री को बढ़ाना लागत में कटौती के साथ संस्थागत व्यवसाय में प्रतिस्पर्धात्मक बनाना (5) उच्च संभावनाओं और बेहतर मुनाफे वाले कृषि पशु कारोबार का विस्तार करना और (6) बढ़ते हुए निर्यात बाजार पर कब्जा करना क्योंकि विनिर्माण सुविधाएं डब्ल्यूएचओ जीएमपी के अनुरूप होंगी। समिति नोट करती है कि इन वर्षों में एचएएल ने अपनी त्वरित और नियमित आपूर्ति के कारण संस्थाओं का विश्वास जीता है और अनेक संस्थाओं से संतोषप्रद आपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और इसलिए ऑर्डर मिलने में बढ़ोतरी हुई है। इसने अपने विपणन नेटवर्क को सुदृढ़ बनाया है और व्यावसायिक थोक वितरकों और संपर्क एजेंटों की नियुक्ति की है जिनका इंडेंटिंग अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल होता है जिसके परिणाम स्वरूप एचएएल के पक्ष में ऑर्डर मिले हैं इसके अतिरिक्त चलने जीएम गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल पर अपना विक्रेता के रूप में पंजीकरण कराया है और यह बताया गया है कि उसको विभिन्न सरकारी संस्थानों से व्यापक विविधता वाले उत्पादों के बड़ी संख्या में ऑर्ड्र मिले हैं। भारत सरकार ने एल्कोहलिक हैंड डिसइनफेक्टेंट (एएचडी) सहित 104 उत्पादों हेतु औषध खरीद नीति पीपीपी को भी विस्तारित किया है और एचएएल एकमात्र सीपीएसई है जिसके पास एचडी हेतु आवश्यक निर्माण सुविधा है सीपीएसयू हेतु एस आई सी मूल्य संविदा को भी दिनांक 1-12-2019 से बढ़ा दिया गया है जो विभिन्न ईएसआईसी अस्पतालों से एचएएल को ऑर्डर दिलवाने में सहायक होगा। जैसा कि समिति को बताया गया है कि व्यवसाय की इन नीतियो ने पिछले वर्ष की तुलना में शतप्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2018- 19 में 67 करोड रुपए से भी अधिक की बिक्री का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता की है अपने विकास के लिए एचएएल भविष्य में भी ऐसी ही व्यवसायिक नीति अपनाने की योजना बना रहा है

13 समिति नोट करती है कि एचएएल ने मिश्र धातु निगम लिमिटेड(मिधानी) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है जोकि हैदराबाद तेलंगाना में 1973 में स्थापित की गई एक आईएसओ 9001 2008 प्रमाणन प्राप्त कंपनी है। इसका उच्च प्रौद्योगिकी से युक्त एक धातु उद्योग से संबंधित संयंत्र है जो टाइटेनियम बायोप्लांट्स का निर्माण करता है तथा अपेक्षा करता है कि मिधानी द्वारा निर्मित बायोमेडिकल इंप्लांट्स की आपूर्ति के वितरण नेटवर्क के माध्यम से की जा सकती है और इससे दोनों सीपीएस यूज़ के लिए राजस्व अर्जित हो सकता है। समिति आशान्वित है कि

अपनाई गई विपणन व्यावसायिक नीतियो और पीपीपी व्यवसाय पर निर्भरता को कम करने के लिए किए गए प्रयासों और मिधानी के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के साथ-साथ किए गए अन्य उपायों के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और एचएएल भविष्य में अपनी बिक्री और लाभो में उल्लेखनीय सुधार करेगा ।

पी एम बी जे पी के माध्यम से बिक्री

14. समिति ने देखा कि सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, फार्मास्यूटिकल्स विभाग , रसायन, और उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पी एम बी जे पी) का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पी एम बी आई के) जेनेरिक दवाएं प्रदान करने के लिए खोले गए हैं। विशेष रूप से गरीबों और वंचितों तथा आबादी के सभी वर्गों के लिए गुणवत्ता वाली दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के अलावा, परियोजना का उद्देश्य पीएमबीजेपी केंद्रों की स्थापना के द्वारा व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके रोजगार पैदा करना भी है। योजना के तहत प्रमुख चिकित्सीय श्रेणियों में 800 से अधिक दवाओं और 154 सर्जिकल और उपभोग्य सामग्रियों को शामिल किया गया है, जैसे कि एंटी-इंफेक्टिव, एंटी-एलर्जी, एंटी-डायबिटीज, कार्डियोवस्कुलर, एंटी-कैंसर, गैस्ट्रो इंटेस्टीनल दवाएं, आदि। 15.11.2018 की स्थिति के अनुसार 4410 पी एम एन जे पी केंद्र देश के 35 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहे थे। समिति को बताया गया कि एचएएल ने वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक लगभग 2.87 करोड़ रुपये के अपने उत्पादों की जनऔषधि केन्द्रों को आपूर्ति की थी। हालांकि, बाद में, एचएएल को जनऔषधि केंद्रों से ऑर्डर नहीं मिल सके। जनऔषधि केंद्रों को दवा की आपूर्ति के लिए फार्मा सीपीएसयू को दी गई किसी भी वरीयता के बारे में पूछे जाने पर फार्मास्युटिकल्स विभाग (डीओपी) ने स्पष्ट किया कि पीएमबीजेपी, फार्मास्युटिकल विभाग (डीओपी) के फार्मा सीपीएसयू अर्थात ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (बी पी पी आइ) द्वारा गठित एक सोसाइटी द्वारा लागू किया गया है। एचएएल के प्रबंध निदेशक तथा अन्य सीपीएसयू के सीएमडी / एमडी इस बीपीपीआई की शासी परिषद के सदस्य हैं। बीपीपीआई केंद्रीय खरीद पोर्टल के माध्यम से खुली ई-टेंडर द्वारा पीएमबीजेके में बिक्री के लिए दवाओं और अन्य उत्पादों की खरीद करता है। इस प्रकार, एल 1 बोलीदाता जो तकनीकी रूप से योग्य हैं, उन्हें एक विशेष अवधि के लिए दवाओं की आपूर्ति के लिए दर संविदा दिया जाता है। तथापि ई-टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए केंद्रीय फार्मा सीपीएसयू को आवश्यकता नहीं है। उन्हें दर संविदा दिया जा सकता है बशर्ते वे एल 1 दरों से मेल खाते हों। इसके अलावा, अन्य विक्रेताओं के लिए डब्ल्यू एच ओ -जी एम पी प्रमाणन की न्यूनतम आवश्यकता केंद्रीय फार्मा सीपीएसयू के लिए अनिवार्य नहीं है। बी पी पी आइ केंद्रीय फार्मा सीपीएसयू के साथ खरीद दर के साथ अपनी उत्पाद की सूची भी साझा करता है और उनसे सीधे उत्पादों की आपूर्ति करने का अनुरोध करता है। इसके अलावा, यह विभाग की फार्मास्यूटिकल खरीद नीति (पीपीपी) के तहत कवर किए गए सार्वजनिक उपक्रमों को भी वरीयता देता है और उन्हें खरीद के लिए भुगतान में भी प्राथमिकता दी जाती है। समिति पी एम बी जे पी में केंद्रीय फार्मा सीपीएसयू को दी गई विभिन्न वरीयता और छूटों पर ध्यान देते हुए यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि 2016-17 के बाद से एच ए एल ने जनऔषधि केंद्रों को अपने उत्पादों की आपूर्ति क्यों नहीं की, हालांकि इसने वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान 2.87 करोड़ रुपये के उत्पादों की आपूर्ति की थी । समिति का यह दृढ़ मत है की वाणिज्यिक संगठन को बेहतर वित्तीय विकास प्राप्त करने के लिए इसकी बिक्री और विपरण विभाग को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों से क्रय आदेश प्राप्त करने हेतु सक्रिय होना चाहिए था और वर्तमान मामले में पिछले कई वर्षों के लिए पी एम बी जे पी के तहत आदेश प्राप्त न करना ढिलाई दर्शाता है। अतः समिति सिफारिश करती है कि एचएएल को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में उपलब्ध विभिन्न अवसरों के माध्यम से अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए बहु-आयामी बिक्री और विपणन रणनीति अपनानी चाहिए। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

एच ए एल को सीपीएसयू के रूप में बनाए रखे जाने की अवशयकता

15. समिति ने देखा कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड देश की सबसे पुरानी सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनी है जो 1954 में अपनी स्थापना के बाद से पिछले 66 वर्षों से देश की सेवा कर रही है। कंपनी का दुर्भाग्य वर्ष 1973-74 में शुरू हुआ जब पहली बार कंपनी का व्यवसाय जो इन वर्षों के दौरान काफी लाभदायक रहा, पेट्रोलियम कीमतों में उछाल के कारण इसकी उत्पादन लागत में वृद्धि से कंपनी को नुकसान हुआ। कंपनी को समय पर राहत नहीं मिलने और संगठन के कुछ ढुल मुल रवैये के कारण बाद में एचएएल के कारोबार में कई उतार-चढ़ाव आए लेकिन व्यापक स्तर पर 1973-74 में सामने आई नकारात्मक प्रवृत्ति से कंपनी अभी तक उभर नहीं पाई है। यह भी दुखद है कि सरकार द्वारा कंपनी को दी गई विभिन्न वित्तीय सहायता भी एचएएल के पिछले गौरव को बहाल करने में विफल रही और कंपनी को अपनी वर्तमान और निश्चित देनदारियों को पूरा करने में पूरी शक्ति लगानी पड़ी । आश्चर्यजनक रूप से, सुधार लाने के लिए शुरू किए गए कुछ कदमों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और कंपनी का व्यवसाय और भी बिगड़ गया जो इस बात से स्पष्ट है कि कंपनी की रणनीतिक बिक्री के लिए निर्णय लिया गया जीससए कंपनी की सहायता करने के विपरीत ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि कंपनी की बिक्री के निर्णय के कारण कंपनी ग्राहकों से पर्याप्त भावी आदेश प्राप्त नहीं कर सकी और अपने भविष्य के साथ जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण कंपनी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकी और ना ही दीर्घकालिक निर्णय ले सकी। संभावित राष्ट्रीय और वैश्विक ग्राहकों की नज़र में, इसने कंपनी की छवि को भी भारी क्षति पहुचाई और बाजार से पर्याप्त व्यवसाय हासिल करने की संभावनाओं को समाप्त कर दिया। । समिति का मानना है कि एचएएल के पास मजबूत बुनियादी ढांचा और अच्छी तरह से सुस्थापित संयंत्र और मशीनरी है। एचएएल की निम्न लिखित क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढ़ाचे के कारण स्थिति मजबूत है :

(i) कई दवाओं और योगों (ड्रग्स एण्ड फॉर्मूलेशन्स) के विनिर्माण में मुख्य क्षमता (कोर कंपिटेन्स),

(ii) एंटीबायोटिक दवाओं के आविष्कार करने का गौरव ,

(iii) समर्पित और कुशल आर एंड डी टीम,

(iv) कुशल विपणन टीम और नेटवर्क चैनल,

(v) अनुभवी पेशेवर और कम जनशक्ति ,

(vi) एचएएल द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से लागत में कमी और प्रभावशीलता में वृद्धि,

(vii) पर्याप्त उत्पादन सुविधाएं,

(viii) प्राइम लोकेशन पर कीमती ज़मीन ,

(ix) स्थापित ब्रांड और साख ; आदि।

इस तरह एचएएल भविष्य में मजबूत व्यवसाय बनाने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित है। इसलिए समिति एचएएल की मुख्य क्षमता (कोर कंपिटेन्स), और इसके मजबूत बुनियादी ढाँचे के आधार जैसा की ऊपर वर्णित है को पुनर्जीवित करने और सार्वजनिक क्षेत्र के पी एस यू के रूप में बनाए रखने के लिए सरकार से दृढ़ता से सिफारिश करती है।

16. समिति ने आगे कहा कि फार्मास्युटिकल विभाग को सामान्य रूप से फार्मा क्षेत्र के और विशेष रूप से एच ए एल के रणनीतिक महत्व पर सरकार को मनाने के लिए नीति आयोग की बजाय कैबिनेट से संपर्क करना चाहिए तथा कंपनी को सरकारी क्षेत्र में बरकरार रखे जाने हेतु सभी प्रयास करने चाहिए थे । इसके अलावा, विभाग को देश को फार्मा क्षेत्र में 'आत्मानिर्भर ' बनाने के लिए 6 साल पहले 25 सितंबर 2014 को शुरू किए गए 'मेक इन इंडिया' के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पर समय से काम करना चाहिए था ताकि बढ़ते आयात पर निर्भरता कम हो। हाल ही में कोविड महामारी ने देश को और अधिक दर्दनाक तरीके से एहसास कराया कि मुश्किल समय में जब आयात चैनल उपलब्ध नहीं रहा और निजी क्षेत्र हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो केवल सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हमारे बचाव में आ सकती है और समाज और देश की मदद कर सकती है। अतः समिति सरकार से इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने और फार्मा क्षेत्र को रणनीतिक क्षेत्र घोषित करने की पुर जोर सिफारिश करती है। समिति की इच्छा है कि एक बार जब ' फार्मा ' को ' रणनीतिक ' क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो आवशयक पूंजी निवेश के द्वारा एचएएल के लिए एक ठोस कारोबार योजना तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा करने में देरी होने से उसकी वित्तीय स्थिति में और गिरावट आएगी। समिति ने देखा कि रणनीतिक बिक्री टैग के कारण नए उत्पाद खंडों में प्रवेश करने, मौजूदा उत्पादों के विस्तार, पुराने संयंत्र और मशीनरी के उन्नयन आदि के लिए एचएएल की कई योजनाएं रोक दी गई हैं। इसलिए समिति पूरी उम्मीद करती है कि सरकार इस मामले में जल्द से जल्द अंतिम निर्णय लेगी।

नई दिल्ली; **मीनाक्षी लेखी**

7 जनवरी , 2021 **सभापति,**

17 पौष, 1942 (शक) **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति**

परिशिष्ट - एक

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति

(2020-2021)

समिति की सातवी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 2 दिसंबर 2019 को 1530 बजे- से 1800 बजे तक कमेटी रूम 'ई', बेसमेंट, संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में हुई।

<u>उपस्थित</u>

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

सदस्य

<u>लोकसभा</u>

2. श्री कुंवर दानिश अली
3. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
4. श्री रघु रामकृष्ण राजू कानुमुरू,
5. श्रीमतीपूनमबेन हेमतभाई मादाम
6. श्री जनार्दन मिश्र
7. प्रो. सौगत राय
8. श्री उदय प्रताप सिंह
9. श्री रामदास चन्द्रभानजी तडस

<u>राज्यसभा</u>

10. श्री प्रसन्न आचार्य
11. डॉ अनिल जैन
12. श्री मोहम्मद अली खान

सचिवालय

1. श्री आर.सी. तिवारी - संयुक्त सचिव
2. श्रीमती ममता केमवाल - निदेशक
3. श्री खाखाई जोऊ - अपर निदेशक
4. श्री जी .सी. प्रसाद - अपर निदेशक

रेलटेल कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि 1500 बजे- से -1545 तक

******** एचएएल रिपोर्ट से संबंधित नहीं
******** एचएएल रिपोर्ट से संबंधित नहीं

हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधि 1500 बजे- से -1545 तक

1. श्रीमति नीरजा शराफ - प्रबंध निदेशक
2. श्री आर के गुप्ता - व्यवसाय प्रबंधक

2. ******** एचएएल रिपोर्ट से संबंधित नहीं
3. ******** एचएएल रिपोर्ट से संबंधित नहीं
4. ******** एचएएल रिपोर्ट से संबंधित नहीं
5. ******** एचएएल रिपोर्ट से संबंधित नहीं

6. माननीय अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों और हिंद्स्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के (एचएएल) प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि सीपीएसयू में'कॉरपोरेट गवर्नेंस 'विषय पर एक ब्रीफिंग करने के लिए ब्लाई गई है। इसके बाद उन्होंने संसदीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में 'स्पीकर द्वारा निर्देश' की दिशा (1) 55पर ध्यान आकर्षित किया।

7. अध्यक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण मान्गा जैसे एचएएल का पूर्ण निदेशक मंडल नहीं होना, एचएएल द्वारा गठित सहायक कंपनियों या संयुक्त उपक्रमों का प्रदर्शन, सरकार द्वारा इसके बंद होने के प्रस्ताव के बाद एचएएल की वर्तमान स्थिति और रणनीतिक विनिवेश, भूमि संपत्ति के प्रबंधन और एनबीसीसी की स्थिति के लिए एनआईटीआई अयोग का प्रस्ताव। सरकार ने एचएएल की जमीन को नुकसान के बोझ को कम करने, भविष्य में एचएएल द्वारा कर्मचारियों की आवश्यकता, स्टाफ रिटायर होने, वीआरएस पैकेज आदि ।

8. एमडी, एचएएल ने तब कंपनी और उसके कार्यात्मक क्षेत्रों की पृष्ठभूमि को उजागर करने वाले विषय पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी। उन्होंने कंपनी के लगातार घाटे, निजी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा, बाजार में चीनी फार्मा कंपनियों की भूमिका, एचएएल की ताकत और कमजोर क्षेत्रों, इसकी विनिर्माण क्षमताओं, विपणन रणनीतियों, मुख्य विशेषज्ञता, नुकसान के बोझ को कम करने के लिए गतिविधियों में विविधता लाने के कारणों के बारे में समिति को सूचित किया। भूमि संपत्ति प्रबंधन, आदि । उन्होंने कंपनी की रणनीतिक स्थिति और कुछ खास छूट, मैनपावर पर सहायता, बिजली दर में कमी पर टर्न-ऑवर की क्षमता को उजागर करने में समिति की मदद मांगी।

9. इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने भूमि मूल्य, देनदारियों आदि पर स्पष्टीकरण मांगा। एचएएल के प्रतिनिधियों ने कुछ मुद्दों को स्पष्ट किया, जिन पर उनके साथ आसानी से जानकारी उपलब्ध थी। अध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिया कि समिति द्वारा विचार के लिए एचएएल द्वारा एक पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की जा सकती है। उन बिंदुओं के संबंध में जिनके लिए सूचना आसानी से उपलब्ध नहीं थी, अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि लिखित उत्तर समिति सचिवालय को 15 दिनों के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

(कार्यवाही का शब्दशःरिकार्ड अलग से रखा गया है।)

……

परिशिष्ट - दो

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति
(2020-2021)

समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति सोमवार, 17 अगस्त 2020 को 1510 बजे से बैठी। सेवा 1600 बजे। कमेटी रूम नंबर 'बी', ग्राउंड फ्लोर,पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी, नई दिल्ली में।

वर्तमान

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - अध्यक्षा

सदस्यों

लोकसभा

2. डॉ. हीना विजयकुमार गावित
3. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
4. श्री रघु रामकृष्ण राजू कानुमारु
5. श्री अर्जुनलाल मीणा
6. डॉ. अरविंद कुमार शर्मा
7. श्री रवनीत सिंह

<u>राज्यसभा</u>

8. श्री प्रसन्न आचार्य
9. श्री अनिल देसाई
10. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
11. श्री एम. शानमुगम

सचिवालय

1.	श्री आर .सी. तिवारी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री निवासालु गुंडा	-	निदेशक
3.	श्री खखई जौ	-	अतिरिक्त निदेशक
4.	श्री जी .सी. प्रसाद	-	अतिरिक्त निदेशक

सी एंड एजी का कार्यालय

1.	सुश्री शुभ कुमार	-	उप. सी एंड एजी (वाणिज्यिक)
2.	सुश्री रितिका भाटिया	-	प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक)
3.	श्री शैलेन्द्र विक्रम सिंह	-	प्रधान निदेशक (संसदीय समिति)
4.	श्री अशोक सिन्हा	-	प्रधान निदेशक (लेखा परीक्षा)

<u>हिंदुस्तान एनिटिबोटिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधि</u>

1.	सुश्री निरजा सराफ	-	प्रबंध संचालक
2.	श्री सीपुरम .वी.	-	डीजीएम

2. शुरुआत में, अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों और 'हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)' के प्रतिनिधियों का स्वागत किया, जो कि एचएएल के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई समिति में बैठे और इसकी व्यापक परीक्षा के संबंध में दिशा (1) 55 निर्देश पर ध्यान दिया।-'स्पीकर द्वारा दिशानिर्देश-', लोकसभा की संसदीय समितियों के समक्ष साक्ष्य की गोपनीयता बनाए रखने के बारे में।

3. प्रारंभिक टिप्पणी में अध्यक्ष ने कहा कि कंपनी पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रही थी, हालांकि उत्पादन और लाभ के मामले में इसका बहुत शानदार अतीत था। इस संदर्भ में, अध्यक्ष अब किए जा रहे प्रयासों और उसके पुनरुद्धार के लिए एचएएल द्वारा तैयार की गई व्यवसाय योजना, ओवरहेड व्यय और नुकसान को कम करने के लिए उठाए गए कदम, इसे पीएसयू के रूप में बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों को जानना चाहता है, विशेष रूप से कम करने की आवश्यकता के

कारण कोविड-19, रणनीतिक बिक्री के प्रस्ताव की स्थिति आदि के कारण एकत्र किए गए अनुभव के संदर्भ में दवा फार्मास्यूटिकल्स आयात पर निर्भरता। सदस्यों ने एचएएल और इसकी पुनरुद्धार / योजना के कामकाज के बारे में भी कुछ सवाल उठाए।

4. एचएएल के प्रतिनिधियों ने समिति को व्यय को कम करने के लिए उठाए गए कदमों, कर्मचारियों को वीआरएस की स्थिति, मादक कीटाणुनाशक और स्वास्थ्य कियोस्क जैसे नए उत्पादों, बल्क ड्रग्स पार्क योजना में भागीदारी की योजना, एचएएल की अक्षमता के बारे में जानकारी दी। 'रणनीतिक बिक्री' टैग आदि के कारण विभिन्न पहल ।

5. एचएएल के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया। जिन प्रश्नों पर जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं थी, उन चेयरपर्सन ने चाहा कि लिखित जवाब दिनों के भीतर 10 समिति सचिवालय को भेजे जाएं।

समिति ने फिर स्थगित कर दिया।

/(कार्यवाही का एक रिकॉर्ड अलग से रखा गया है)

……

परिशिष्ट - तीन

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति
(2020-2021)

समिति की तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति ने मंगलवार, 18 अगस्त, 2020 को 1445 बजे से 1550 बजे तक बैठक की। समिति कक्ष सं .'ई', बेसमेंट, संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में।

वर्तमान

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - अध्यक्षा

सदस्यों

<u>लोक सभा</u>

2.	डॉ हीना विजयकुमार गावित
3.	श्री रघु रामकृष्ण राजू कानुमारु
4.	श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई मादाम
5.	श्री अर्जुनलाल मीणा
6.	श्री जनार्दन मिश्र
7.	डॉ अरविंद कुमार शर्मा
8.	श्री सुशील कुमार सिंह

<u>राज्यसभा</u>

12.	श्री ओम प्रकाश माथुर
13.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
14.	श्री एम.शानमुगम

सचिवालय

1.	श्री आर.सी. तिवारी	संयुक्त सचिव
2.	श्री श्रीनिवासुलु गुंडा	निदेशक
3.	श्री खखई जौ	अपर निदेशक
4.	श्री जी प्रसाद .सी.	अपर निदेशक

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के (दवा विभाग)प्रतिनिधि

1.	श्री पीवाघेला .डी.	-	फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
2.	श्रीमती अलका तिवारी	-	अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, फार्मास्युटिकल विभाग
3	श्री रजनीश तिंगल	-	संयुक्त सचिव, फार्मास्युटिकल विभाग

2. शुरुआत में, माननीय अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों और फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अधिकारियों का स्वागत किया, जो कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के (विभाग फार्मास्यूटिकल) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स " प्रतिनिधियों के साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई थी। व्यापक परीक्षा का विषय "(एचएएल) लिमिटेड। अध्यक्ष ने संसदीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में 'अध्यक्ष द्वारा निर्देशों के निर्देश 55 (1) का भी उल्लेख किया।

3. आरंभिक टिप्पणी में, अध्यक्ष ने प्रत्यर्थी द्वारा हुए नुकसानों का उल्लेख किया और अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एचएएल द्वारा किए जा रहे प्रयासों, सामरिक बिक्री के प्रस्ताव की स्थिति, विशेष रूप से COVID-19 महामारी के दौरान एकत्रित अनुभवों के मद्देनजर इसकी समीक्षा की आवश्यकता को जानने की मांग की, और एचएएल द्वारा अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने, सामरिक बिक्री के प्रस्ताव की स्थिति, विशेष रूप से COVID- 19 महामारी के दौरान प्राप्त अनुभवों के मद्देनजर इसकी समीक्षा की आवश्यकता, दवाओं के लिए आयात निर्भरता को कम करने की आवश्यकता और एचएएल को पीएसयू के रूप में पुनर्जीवित रखने की आवश्यकता को भी/जानने की मांग की, विशेष रूप से 'आत्मनिहार भारत' के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के मद्देनजर। सदस्यों ने एचएएल के कामकाज से संबंधित कुछ मुद्दों को भी उठाया।

4. सचिव, डीओपी ने इस विषय पर एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी)) बनाया और अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को भी स्पष्ट किया। सचिव ने समिति को अवगत कराया कि फार्मास्यूटिकल्स उद्योग को एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में माना जाना चाहिए और देश में एपीआई की आवश्यक दवाओं का निर्माण एक प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी बताया कि दवाइयों और दवाओं के विनिर्माण में आत्मविश्वसनीयता स-ुनिश्चित करने के लिए, दवा क्षेत्र में कम से कम एक सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आवश्यक है और तदनुसार एचआईएल की रणनीतिक बिक्री के मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए नीती अयोग से अनुरोध किया गया है।

5. फार्मास्यूटिकल्स विभाग के प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब दिया। जिन प्रश्नों पर जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं थी, उन पर चेयरपर्सन ने चाहा कि लिखित जवाब 10 दिनों के भीतर समिति सचिवालय को भेजे जाएं।

समिति ने फिर स्थगित कर दिया।

(कार्यवाही का एक रिकॉर्ड अलग से रखा गया है।)

/----------/

परिशिष्ट - चार

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति

(2020-2021)

समिति की सातवी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति गुरुवार, 7 जनवरी, 2021 को 1210 बजे से 1310 बजे तक समिति रूम '3', ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक ए, पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी एक्सटेंशन (नई बिल्डिंग), नई दिल्ली में बैठी ।

वर्तमान

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - अध्यक्षा

सदस्य

लोकसभा

2. श्री अर्जुनलाल मीणा
3. श्री जनार्दन मिश्र
4. प्रोफ. सौगात रॉय
5. डॉ. अरविंद कुमार शर्मा
6. श्री सुशील कुमार सिंह
7. श्री उदय प्रताप सिंह
8. श्री रामदास चंद्रभानजी तड़स

राज्यसभा

9. श्री प्रसन्न आचार्य
10. श्री बीरेंद्र प्रसाद बैशय
11. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

सचिवालय

1.	श्री आर .सी. तिवारी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री श्रीनिवासालु गुंडा	-	निदेशक
3.	श्री जी .सी. प्रसाद	-	अतिरिक्त निदेशक

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के प्रतिनिधि

****	****	****
****	****	****

2. शुरुआत में, माननीय अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठने के एजेंडे से अवगत कराया। पहले एजेंडा आइटम के रूप में, अध्यक्ष ने निम्नलिखित विषयों पर मसौदा रिपोर्टों पर विचार और अपनाने के लिए प्रस्ताव दिया- :

(i) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)एएआई)

(ii) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल))

(iii) भारतीय खाद्य निगम)एफसीआई)

(iv) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड एच ए एल))

(v) एनबीसीसी लिमिटेड (इंडिया)

(vi) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा "नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण" पर सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति की बीसवीं रिपोर्ट (16 वीं रा.स.) में शामिल टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई (निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर) 2015 की No.12)"।

(vii) (सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की चौबीसवीं रिपोर्ट)16 वीं लोक सभा में शामिल टिप्पणियों न्कसान की समीक्षा करने" अन्शंसाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई / वाले सीपीएसयू की समीक्षा।"

3. समिति ने तब उपरोक्त मसौदा रिपोर्टों पर विचार किया और इसे बिना किसी बदलाव / विभाग द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन के / संशोधनों के अपनाया। तत्पश्चात समिति ने संबंधित मंत्रालय आधार पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया और संसद के सत्र में नहीं होने के कारण माननीय अध्यक्ष को रिपोर्ट पेश करने पर विचार किया।

(एनटीपीसी के प्रतिनिधियों को अंदर बुलाया गया)

4.	****	****	****
5.	****	****	****
6.	****	****	****
7.	****	****	****

समिति ने फिर स्थगित कर दिया।

।(का एक रिकॉर्ड अलग से रखा गया है कार्यवाही)

/----------/